Current Affairs

Connect Civils RAS

IAS RAS

प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका

फ़रवरी 2026

8690222044 Connect Civils RAS Youtube Lecture

Focus on Answer Writing

Connect Civils - Dedicated to Civil services only

State of Rajasthan can be termed as Mini India.

पर्यायवाची शब्द Rajasthan (land of Kings) is areawise Largest and 7th Population wise state, situated in N-W Part.

The most diverse state of country →

History → About 5000 years old, ancient name - MaruKantar, Rukshpradesh

- IVC sites → Kalibanga, Copper Age - Ahad
- Ruled by numerous rulers - Rajput, Marathas
- wars like Haldighati, dever fought here.

Geography → lot of similarity in demography of India & Raj.

Mountains < Himalaya, Aravali; Thar desert; Hadoti Plateau

(Map: Desert, Aravali, Plains, Plateau — India Not to scale)

- Mineral rich state - 84 kinds of minerals excavated. Copper, lead, zinc, Feldspar, wallastonite.
- Agriculture - Millets, Bajra • Solar, wind, Hydro energy

Culture → • Fairs and Festivals → Desert Festival (Jaisalmer) of national importance Pushkar Fair (Ajmer)

- Costume ornaments - various costumes in different parts - Safa, dhoti, Pomcha, lugdi
- Dialects - Marwadi, Mewadi, dhundhadi, Vagadi
- Food - diversity in food like india. Dal-bati-churma

Ethnicity → Tribal people < India - Gondi, Bhil, Santhal, Munda; Rajasthan - Bhil, Garasiya, Mina, Sahariya

Political → Multi party system exists - BJP, INC, RLP, BSP, AAP like India

↳ Prominent leaders → Lt. Bhairon Singh ji Sekhawat, OM Birla, Jagadeep dhankad

Economical → Multi sector Economy - Agriculture (28.95%) Manufacture (27.31%) Service (43.74%) like India

Tourism state, Best wedding destination

"सोना री धरती अठे, चाँदी रो आसमान।
रंग रंगीलो रस भरयो, म्हारो प्यारो राजस्थान" ॥

Thus, having unity in diversity (Historical, cultural, geographical, ecological), the state of Rajasthan can be termed as Mini India. Like India, Rajasthan has also came along way from Bimaru State to Mini India.

(Q. 2. 2 format) Date - 31-3-23

Q. राजस्थान राज्य को 'मिनी इंडिया' कहा जा सकता है। विस्तार से समझाइए।

30 मार्च 1949 को राजस्थान, भारत गणराज्य में शामिल हुआ। देश का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल → 10.41%। भारत व राजस्थान की ऐसी समानताएँ जिससे राज. को 'मिनी इंडिया' कहा जा सकता है :- आधार

1. कृषि-प्रधान – भारत की 70%, राज. की 60-65% आबादी कृषि व कृषिगत कार्यों में संलग्न। खाद्यान्न, वाणिज्यिक, मसाला फसलों की प्रधानता।
2. भौगोलिक विविधता – उच्चावच: हिमालय, प. मरु., गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार; प. मरु., अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार
3. आकार समान – भारत ◇ समचतुर्भुजाकार, राज. ◇ विषम-कोणीय चतुर्भुज
4. उभरती अर्थव्यवस्था – GDP वृद्धि दर : भारत → 7%, राज. → 8.19% ; विकासशील
5. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा – दोनों के पश्चिमी भाग में सामरिक महत्व की रेडक्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ
6. "विविधता में एकता" – भाषायी: भारत – गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया, etc.; राज. – मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, इत्यादि बोलियाँ। "पाँच कोस में बदले पानी, दस कोस में वाणी"
   धार्मिक – भारत: 78.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख, 0.70% बौद्ध, 0.37% जैन; राज.: 88.5% हिंदू, 9.07% मुस्लिम, 1.3% सिख, 0.9 जैन, 0.14% ईसाई
7. सांस्कृतिक वैभव – वानस्पतिक व जैव विविधता, तीर्थ-स्थल, लोक संगीत, खान-पान, पहनावा, संस्कृति में अनन्य विशेषता।
8. ऐतिहासिक – विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएँ भारत - हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो; राज. - गणेश्वर, कालीबंगा, बैराठ; रियासतें, किले, 1857, 1947 का गौरवशाली साझा इतिहास
9. खनिज व प्राकृतिक संसाधन – खनिज - भारत → 87, राज. → 81 प्रकार के; प्राकृतिक तेल-गैस, गैर परंपरागत ऊर्जा भण्डार
10. समान चुनौतियाँ – शिक्षा, गरीबी, गिरता भू-जल स्तर, अनुसंधान, चिकित्सा, असमानता etc.

निष्कर्षतः राजस्थान भारत का उचित प्रतिनिधित्व करता है और इसे 'मिनि इंडिया' कहा जा सकता है।

Free content and answer writing on website and App

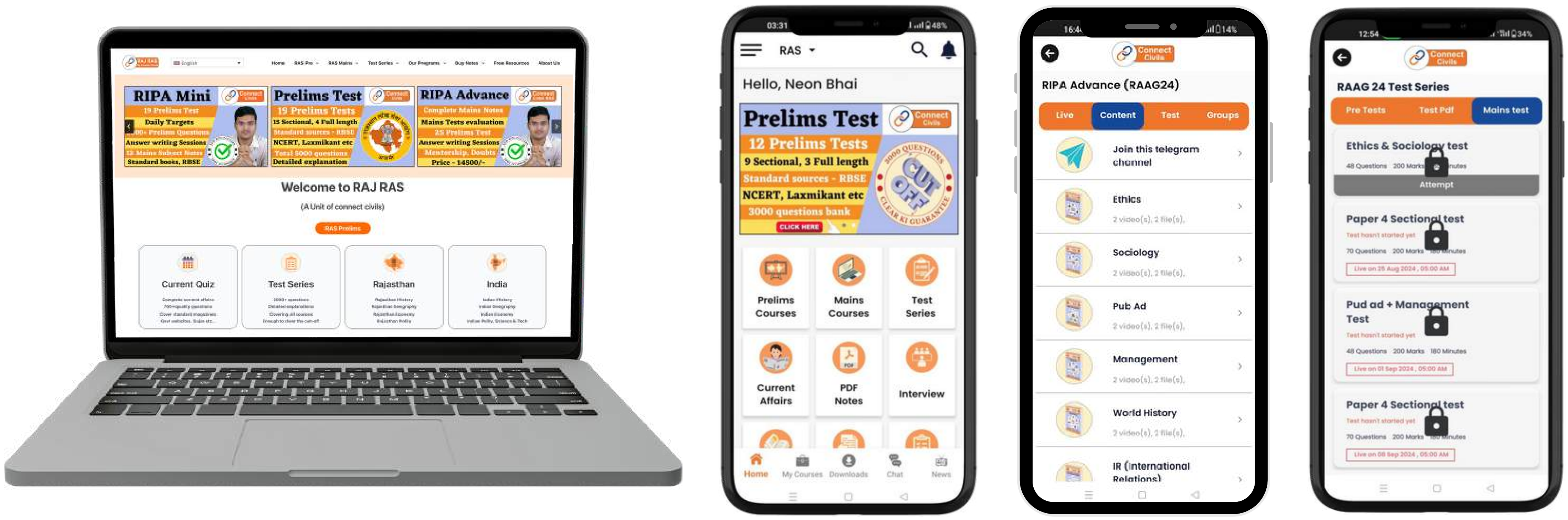

8690222044 | Connect Civils RAS | Youtube Lecture

Index

Polity......2
Topic 1 - मौलिक अधिकार के रूप में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार...... 2
Topic 2 - उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी (UGC) इक्विटी विनियम 2026 पर रोक लगाई...... 3
Topic 3 - उच्च न्यायपालिका में विविधता की आवश्यकता......5
Topic 4 - भारत का संघवाद......7
IR...... **10**
Topic 1 - भारत-अमेरिका व्यापार समझौता......10
Topic 2 - भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी.... 12
Topic 3 - भारत की विदेश नीति का पुनर्निर्धारण (Reframing) 14
Topic 4 - भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (India–EU FTA)......16
Economy......**18**
Topic 1 - 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट......18
Topic 2 - भारत के औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridors)......19
Topic 3 - कृषि में चक्रीय अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट से संपदा का रूपांतरण...... 21
Topic 4 - विकसित भारत 2047 और नेट जीरो 2070 की ओर परिदृश्य...... 23
Topic 5 - भारत में ELVs की चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट...... 25
Topic 6 - अवैध खनन का संकट......27
History......**29**
Topic 1 - संस्कृति और भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)... 29
Science and Technology......**31**
Topic 1 - भारत में मलेरिया उन्मूलन...... 31
Topic 2 - रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि......33
Environment & Geography...... **35**
Topic 1 - विश्व बैंक – A Breath of Change रिपोर्ट...... 35
Topic 2 - वैश्विक जलवायु शासन (Global Climate Governance)...... 36
Topic 3 - राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तु के रूप में आर्द्रभूमि......37
SMA, SBL and Ethics......**39**
Topic 1 - साइबर अपराध और वैश्विक शासन का संकट...... 39
Topic 2 - कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा...... 40
Topic 3 - भारत में बांझपन (Infertility)...... 43
Topic 4 - बढ़ती डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ... 44
Topic 5 - नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध....... 45
Topic 6 - भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) 2025...... 47
Topic 7 - शासन के अंतराल को पाटना (Bridging the Governance Divide)...... 49
Topic 8 - डिजिटल मीडिया नीतिशास्त्र (Digital Media Ethics)...... 51

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Polity

Topic 1 - मौलिक अधिकार के रूप में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार

Syllabus	Paper III | Polity and Constitution | Fundamental Rights
संदर्भ	उच्चतम न्यायालय ने (**डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ**) मामले में अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) को एक **मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी स्कूलों को निःशुल्क सैनिटरी पैड और उचित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है।
यह क्या है?	❖ **मासिक धर्म स्वास्थ्य:** जीवन और गरिमा के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक अभिन्न हिस्सा। ❖ मासिक धर्म एक जैविक वास्तविकता है, यह किसी भी प्रकार के बहिष्कार या स्कूल से अनुपस्थिति का आधार नहीं होना चाहिए। ❖ पैड और शौचालय उपलब्ध कराना कोई दान नहीं, बल्कि एक **संवैधानिक कर्तव्य** है। ❖ **उद्देश्य:** बालिकाओं के लिए गरिमा, निजता, समानता और निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करना।
संवैधानिक आधार	❖ **अनुच्छेद 21 – जीवन और गरिमा का अधिकार:** सुविधाओं का अभाव अपमान और गरिमा की हानि के समान है। ❖ **अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार:** मासिक धर्म संबंधी बाधाएं लैंगिक असमानता उत्पन्न करती हैं। ❖ **अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार:** मासिक धर्म संबंधी गरीबी (Menstrual Poverty) किसी को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्देश	❖ **निःशुल्क सैनिटरी पैड:** सरकारी और निजी स्कूल → कक्षा 6-12 तक; जैव-अपघटनीय (Biodegradable) मानक के पैड अनिवार्य। ❖ **पृथक महिला शौचालय:** कार्यात्मक शौचालय, जिसमें पानी की आपूर्ति, साबुन और दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं हों। ❖ **MHM (मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन) कॉर्नर:** अतिरिक्त यूनिफॉर्म, निस्तारण बैग और आपातकालीन किट की उपलब्धता। ❖ **जवाबदेही:** जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा वार्षिक निरीक्षण; नियमों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करना।
महत्व	❖ **शिक्षा की निरंतरता:** मासिक रूप से होने वाली 2-5 दिनों की अनुपस्थिति में कमी। ❖ **मानवीय गरिमा:** सामाजिक कलंक (Stigma) और सहायता मांगने में होने वाली झिझक को दूर करना। ❖ **स्वास्थ्य लाभ:** असुरक्षित विकल्पों के कारण होने वाले प्रजनन मार्ग संक्रमण (RTIs) को रोकना। ❖ **लैंगिक समानता:** जैविक आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। ❖ **पर्यावरणीय स्थिरता:** जैव-अपघटनीय पैड को बढ़ावा → प्लास्टिक कचरे में कमी।
कार्यान्वयन की चुनौतियां	❖ **रखरखाव का अभाव:** शौचालय तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें पानी, तालों या सफाई की कमी होती है। ❖ **सामाजिक कुरीतियाँ:** सांस्कृतिक वर्जनाएं चर्चा और उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं। ❖ **आपूर्ति श्रृंखला की समस्या:** दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में पैड के स्टॉक की कमी। ❖ **संवेदनशीलता का अभाव:** पुरुष कर्मचारियों में जागरूकता की कमी के कारण छात्राओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ❖ **निस्तारण की समस्या:** डस्टबिन या इंसीनरेटर (भस्मक) की कमी → असुरक्षित फ्लशिंग।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

आगे की राह	❖ **पाठ्यक्रम एकीकरण:** सभी लिंगों के लिए मासिक धर्म संबंधी शिक्षा अनिवार्य करना। ❖ **वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर:** निजता और सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करना। ❖ **सामुदायिक सहभागिता:** आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंच। ❖ **डिजिटल निगरानी:** स्टॉक और निरीक्षण के लिए रियल-टाइम पोर्टल। ❖ **स्थानीय SHG (स्वयं सहायता समूह) उत्पादन:** किफायती और जैव-अपघटनीय पैड की स्थानीय आपूर्ति।
निष्कर्ष	यह निर्णय मासिक धर्म को एक व्यक्तिगत स्वच्छता के मुद्दे से बदलकर एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बालिका की शिक्षा या गरिमा में उसका मासिक धर्म कभी बाधा न बने। प्रभावी बुनियादी ढांचा और सामाजिक स्वीकृति ही इसकी वास्तविक सफलता निर्धारित करेगी।

Topic 2 - उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी (UGC) इक्विटी विनियम 2026 पर रोक लगाई

Syllabus	Paper III | Polity and Governance
संदर्भ	उच्चतम न्यायालय ने 'यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026' पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने अस्पष्टता और संभावित सामाजिक विभाजन की चिंताओं के कारण 2012 के दिशा-निर्देशों को ही जारी रखने का निर्देश दिया है।
मुद्दा क्या है?	❖ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 2012 के सलाहकार इक्विटी नियमों के स्थान पर सख्त और लागू करने योग्य 2026 के विनियम लाने का प्रयास किया था। ❖ **उद्देश्य:** रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद परिसरों (कैंपस) में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना। ❖ **विरोध का कारण:** अत्यधिक अपराधीकरण, अस्पष्ट शब्दावली और बहिष्करण की चिंताएं।
2026 विनियमों की मुख्य विशेषताएं	❖ **भेदभाव की पृथक परिभाषाएं:** सामान्य बनाम जाति-आधारित (विशेष रूप से SC/ST/OBC के लिए) भेदभाव। ❖ **अनिवार्य अवसंरचना:** 'समान अवसर केंद्र', 'इक्विटी एम्बेसडर' और 'इक्विटी स्क्वाड' की स्थापना। ❖ **सख्त समय सीमा:** शिकायत पर 24 घंटे में प्रतिक्रिया और 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करना। ❖ **दंडात्मक कार्रवाई:** संस्थान की मान्यता रद्द करना, अनुदान वापस लेना और यूजीसी की योजनाओं पर रोक। ❖ **प्रत्यक्ष जवाबदेही:** संस्थान का प्रमुख (कुलपति/प्राचार्य) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ❖ **24×7 सहायता:** इक्विटी हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल।
पक्ष में तर्क (समानता के समर्थक)	❖ **संवैधानिक जनादेश:** यह अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 को प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित करता है, जिससे वंचित समूहों के लिए गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। ❖ **बढ़ती शिकायतें:** परिसरों में बढ़ते भेदभाव को संबोधित करता है; औपचारिक शिकायतें 2019-20 के 173 से बढ़कर 2023-24 में 378 हो गई हैं। ❖ **अतिवादी घटनाओं की रोकथाम:** गोपनीय और त्वरित रिपोर्टिंग प्रदान कर छात्र आत्महत्याओं (जैसे- रोहित वेमुला मामला) को रोकने का प्रयास। ❖ **समान अवसर प्रदान करना:** तर्क है कि "समानता" (Equity) कोई शून्य-योग खेल (Zero-sum game) नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक नुकसानों का आवश्यक सुधार है। ❖ **संरचित जवाबदेही:** देश भर में शिकायत निवारण का मानकीकरण करना, जिससे संस्थान छात्रों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनें।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

विपक्ष में तर्क (आलोचक और कानूनी चिंताएं)	❖ **व्यक्तिपरकता और अस्पष्टता:** नियम इरादे के बजाय क्रिया के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आलोचकों का मानना है कि बिना वस्तुनिष्ठ प्रमाण के केवल धारणा के आधार पर शिकायतें हो सकती हैं। ❖ **विपरीत भेदभाव (Reverse Discrimination):** जातिगत भेदभाव को केवल SC/ST/OBC समूहों के विरुद्ध परिभाषित करने से सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ होने वाले संभावित उत्पीड़न की अनदेखी होती है। ❖ **दुरुपयोग के लिए निवारक की कमी:** झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दर्ज करने के लिए वर्तमान में किसी दंड का प्रावधान नहीं है। ❖ **प्रशासनिक अतिरेक:** छोटे संस्थानों के लिए 24/7 हेल्पलाइन और समर्पित 'इक्विटी स्क्वाड' का वित्तीय और कर्मचारी भार उठाना कठिन हो सकता है। ❖ **परिसर का ध्रुवीकरण:** डर है कि 'इक्विटी एम्बेसडर' से निगरानी की संस्कृति और शैक्षणिक एकता के बजाय पहचान-आधारित विभाजन पैदा हो सकता है।
आगे की राह	❖ **समावेशी पुनर्कथन:** भेदभाव की एक सार्वभौमिक (Universal) परिभाषा तैयार करना। ❖ **विशेषज्ञ समिति की समीक्षा:** स्पष्टता के लिए शिक्षाविदों और न्यायविदों की भागीदारी। ❖ **दुरुपयोग विरोधी सुरक्षा:** झूठी शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान। ❖ **व्यापक संरक्षण:** इसमें रैगिंग, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को भी शामिल करना। ❖ **संवेदीकरण पर ध्यान:** केवल दंड के बजाय ओरिएंटेशन और सहानुभूति कार्यक्रमों पर जोर।
निष्कर्ष	न्यायालय की रोक यह संकेत देती है कि समानता संबंधी कानूनों को सुरक्षा और समावेशिता के बीच संतुलन बनाना चाहिए, ताकि सामाजिक विभाजन को गहरा किए बिना कैंपस सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
शिक्षा क्षेत्र में जाति-आधारित बाधाओं को दूर करने हेतु भारत की प्रमुख पहलें	**संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपाय** ❖ **अनुच्छेद 15:** राज्य को सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों में SC/ST छात्रों के लिए "विशेष प्रावधान" (आरक्षण) करने की शक्ति देता है। ❖ **अनुच्छेद 46:** एक राज्य का नीति निदेशक तत्व जो राज्य को वंचित समूहों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है। ❖ **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** एक शक्तिशाली कानूनी निवारक जो शैक्षणिक पहुंच को रोकने या SC/ST सदस्यों का सार्वजनिक रूप से अपमान करने को अपराध मानता है। **वित्तीय और शैक्षणिक सहायता योजनाएं** ❖ **श्रेष्ठ (SHRESHTA):** मेधावी SC छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले निजी आवासीय स्कूलों में सीटें प्रदान करता है ताकि सरकारी और विशिष्ट निजी स्कूली शिक्षा के बीच के अंतर को पाटा जा सके। ❖ **राष्ट्रीय फेलोशिप (SC/ST):** एम.फिल और पी-एच.डी. शोधार्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता बढ़ती है। ❖ **टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम:** प्रतिष्ठित संस्थानों (जैसे IIT, IIM) में प्रवेश पाने वाले SC/ST छात्रों को पूर्ण वित्त पोषण प्रदान करती है। ❖ **PM-AJAY:** बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से छात्रावासों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि SC छात्रों के पास सुरक्षित आवास हो, जिससे ड्रॉप-आउट दर कम हो सके।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

<table>
<tr><th colspan="2">Topic 3 - उच्च न्यायपालिका में विविधता की आवश्यकता</th></tr>
<tr><td>Syllabus</td><td>Paper III | Polity/Judiciary</td></tr>
<tr><td>संदर्भ</td><td>भारतीय कानूनी प्रणाली की समावेशिता पर बहस राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक: संविधान (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से पुनः शुरू हो गई है। सांसद पी. विल्सन द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक उच्च न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को अनिवार्य बनाने और न्याय तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों (Regional Benches) की स्थापना का प्रयास करता है।</td></tr>
<tr><td>वर्तमान परिदृश्य: आंकड़े और सांख्यिकी</td><td>भारतीय उच्च न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) वर्तमान में जाति, लिंग और क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के एक महत्वपूर्ण अंतराल का सामना कर रही है:
❖ जातिगत असंतुलन: 2018 और 2024 के बीच, उच्च न्यायालय के लगभग 78% न्यायाधीश उच्च जातियों से संबंधित थे। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का हिस्सा केवल लगभग 5-5% था।
❖ लैंगिक अंतराल: अगस्त 2024 तक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या केवल 14% है। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में केवल एक महिला न्यायाधीश (न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना) कार्यरत हैं।
❖ अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व: पिछले छह वर्षों में उच्च न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा 5% से भी कम रहा है।
❖ भौगोलिक संकेंद्रण: दिल्ली में वकालत करने वाले वकीलों को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के लिए असमान लाभ मिलता है, जबकि क्षेत्रीय प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है।
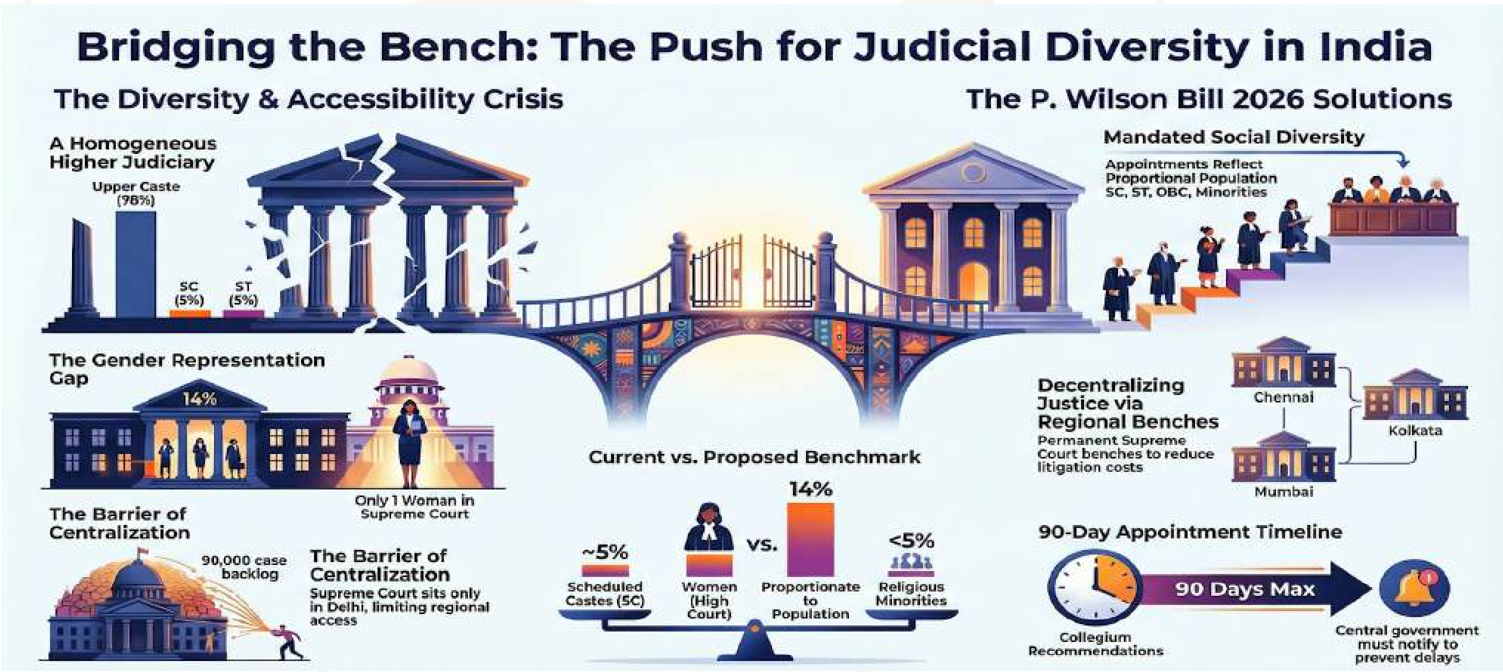
</td></tr>
<tr><td>संशोधन विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधान</td><td>विधेयक न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में तीन परिवर्तनकारी बदलावों का प्रस्ताव करता है:
❖ अनिवार्य सामाजिक विविधता: यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उच्चतम न्यायालय (SC) और उच्च न्यायालयों (HC) में नियुक्तियों में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व शामिल हो।
❖ उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें: यह नई दिल्ली में मुख्य संवैधानिक पीठ के साथ-साथ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थायी क्षेत्रीय पीठों के निर्माण का आदेश देता है।
❖ सख्त समय सीमा: यह केंद्र सरकार के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को अधिसूचित करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा निर्धारित करता है, जिसका उद्देश्य "पॉकेट वीटो" और प्रशासनिक देरी को रोकना है।</td></tr>
</table>

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

विविधता क्यों महत्वपूर्ण है: बहुआयामी आवश्यकता

- **जनता के विश्वास में वृद्धि:** एक ऐसी पीठ जो राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को प्रतिबिंबित करती है, न्यायालयों की कथित वैधता को बढ़ाती है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की नियुक्ति को अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच विश्वास बढ़ाने वाले मील के पत्थर के रूप में उद्धृत किया जाता है।
- **कानूनी व्याख्या में समावेशिता:** न्यायाधीश अपने "जीवित अनुभवों" (lived experiences) को पीठ पर लाते हैं। उदाहरण के लिए, महिला न्यायाधीश अक्सर लिंग-संवेदीकरण के मामलों और घरेलू हिंसा के मामलों में अधिक संवेदनशीलता प्रदान करती हैं।
- **ऐतिहासिक अल्प-प्रतिनिधित्व में सुधार:** सात दशकों से अधिक समय तक किसी महिला को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने से रोकने वाली प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए संरचित समावेश की आवश्यकता है।
- **बार (Bar) का लोकतंत्रीकरण:** शीर्ष स्तर पर दृश्यमान रोल मॉडल पहली पीढ़ी के वकीलों और पिछड़े वर्गों के लोगों को न्यायिक करियर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

चुनौतियां और संरचनात्मक बाधाएं

- **कॉलेजियम की अपारदर्शिता:** वर्तमान प्रणाली (द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामलों से जन्मी) में विविधता सुनिश्चित करने के लिए एक औपचारिक, पारदर्शी तंत्र का अभाव है, जो अक्सर वरिष्ठ न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करता है।
- **"ओल्ड बॉयज़ क्लब" मानसिकता:** अनौपचारिक नेटवर्क और पितृसत्तात्मक मानदंड अक्सर स्थापित कानूनी घरानों का पक्ष लेते हैं, जिससे एक "फ़नल प्रभाव" पैदा होता है जो विविध उम्मीदवारों को बाहर कर देता है।
- **औपचारिक कोटा का अभाव:** निचली न्यायपालिका के विपरीत, जो राज्य-स्तरीय आरक्षण का पालन करती है, उच्च न्यायपालिका के लिए कोई संवैधानिक कोटा अनिवार्य नहीं है, जिससे विविधता एक अनिवार्य लक्ष्य के बजाय आकस्मिक बन जाती है।
- **लॉजिस्टिक लंबितता:** उच्चतम न्यायालय में 90,000 से अधिक मामले लंबित (जनवरी 2026) होने के कारण, क्षेत्रीय पीठों की कमी तमिलनाडु या उत्तर-पूर्व जैसे दूर के राज्यों के वादियों को भारी खर्च करने के लिए मजबूर करती है, जो प्रभावी रूप से "न्याय तक समान पहुंच" से इनकार है।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

अनुच्छेद	विषय वस्तु	सुधार के लिए महत्व
अनुच्छेद 124	SC न्यायाधीशों की नियुक्ति	वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से व्याख्यायित।
अनुच्छेद 130	उच्चतम न्यायालय का स्थान	मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की मंजूरी से क्षेत्रीय पीठ नियुक्त करने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 217	HC न्यायाधीशों की नियुक्ति	CJI, राज्यपाल और संबंधित HC के मुख्य न्यायाधीश के बीच परामर्श को नियंत्रित करता है।

आगे की राह: सुधार का मार्ग

- **विविधता मेट्रिक्स को संस्थागत बनाना:** न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) में जनसांख्यिकीय विविधता को औपचारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- **न्याय का विकेंद्रीकरण:** विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्षेत्रीय पीठों की स्थापना करना ताकि दिल्ली पीठ पर बोझ कम हो और गरीबों के लिए मुकदमों की लागत कम हो सके।
- **पारदर्शी चयन (NJAC 2.0):** एक संशोधित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग बढ़ रही है जो नागरिक समाज सहित एक व्यापक आधार वाली चयन समिति के साथ न्यायिक स्वतंत्रता को संतुलित करे।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **परामर्श (Mentorship) पाइपलाइन:** हाशिए की पृष्ठभूमि के उच्च-संभावित वकीलों की पहचान करने और उनके करियर के शुरुआती दौर में उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए औपचारिक कार्यक्रम बनाना।
निष्कर्ष	न्यायिक विविधता की खोज योग्यता के साथ समझौता नहीं है; बल्कि, यह एक संवैधानिक वादे की पूर्ति है। एक विविध न्यायपालिका भारत की विविध सामाजिक वास्तविकताओं के सामूहिक ज्ञान के साथ कानूनी न्यायशास्त्र को समृद्ध करती है। पी. विल्सन विधेयक में सुझाए गए सुधारों को लागू करके और संरचनात्मक पूर्वाग्रहों को दूर करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके "न्याय के मंदिर" वास्तव में उन लोगों के प्रतिनिधि हों जिनकी वे सेवा करते हैं।

<table>
<tr><th colspan="2">Topic 4 - भारत का संघवाद</th></tr>
<tr><td>Syllabus</td><td>Paper III | Polity/Federalism</td></tr>
<tr><td>संदर्भ</td><td>तमिलनाडु द्वारा नियुक्त 'न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति की रिपोर्ट (भाग-I)' भारतीय संघवाद के "संरचनात्मक पुनर्गठन" (structural reset) का आह्वान करती है। इसका उद्देश्य संघ की विस्तारित और केंद्रीकृत भूमिका को सीमित करके राज्यों की स्वायत्तता को बहाल करना है। रिपोर्ट का तर्क है कि विभाजन के बाद की केंद्रीकृत व्यवस्था अब एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र के लिए पुरानी हो चुकी है।</td></tr>
<tr><td>वर्तमान संवैधानिक संरचना</td><td>भारत के संघवाद को अक्सर "अर्द्ध-संघीय" (Quasi-Federal) कहा जाता है, जिसकी विशेषता दोहरी राजव्यवस्था है लेकिन इसमें "संघ" की ओर झुकाव अधिक है।
❖ अनुच्छेद 1: भारत को "राज्यों का संघ" के रूप में परिभाषित करता है, जो एक अविनाशी एकता का संकेत

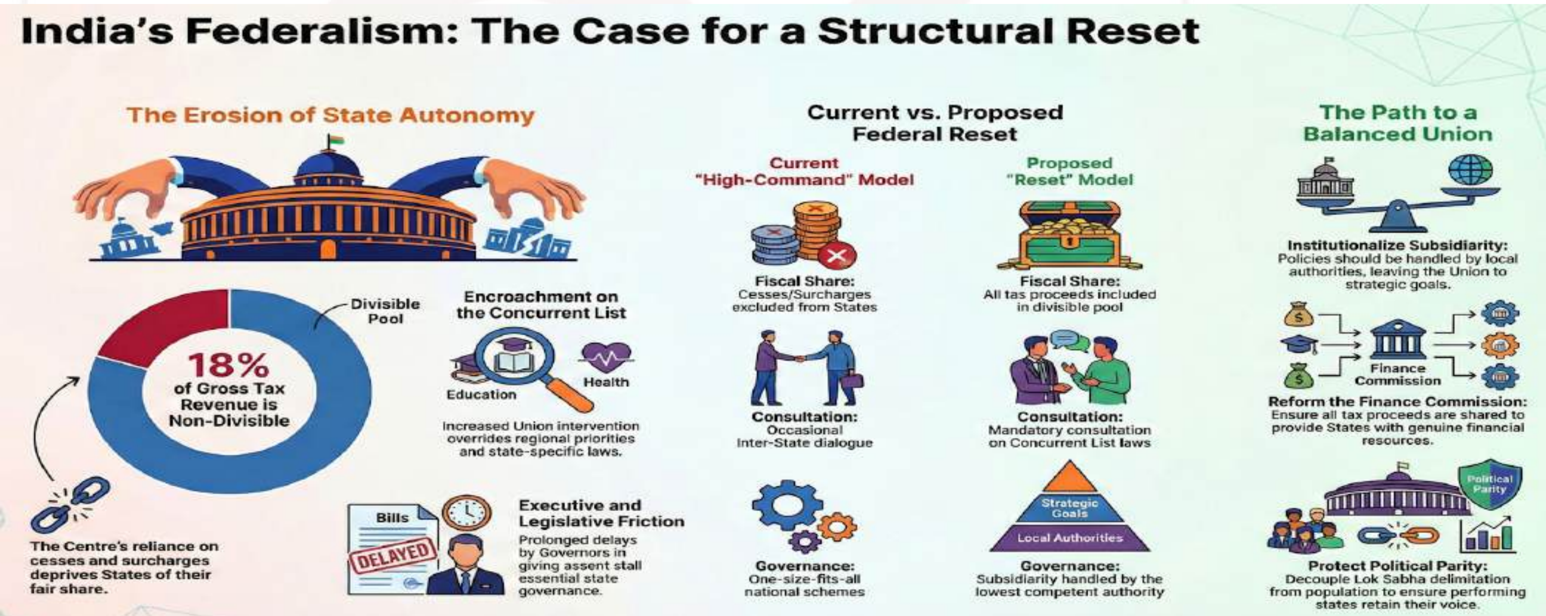

देता है जहाँ राज्य आवश्यक घटक इकाइयाँ हैं, न कि मात्र प्रशासनिक अंग।
❖ सातवीं अनुसूची: शक्तियों का विभाजन संघ सूची (97 विषय), राज्य सूची (66 विषय) और समवर्ती सूची (47 विषय) के माध्यम से करती है। अनुच्छेद 254 के तहत, समवर्ती विषयों पर संघर्ष की स्थिति में संघ का कानून मान्य होता है।
❖ मूल संरचना का सिद्धांत: 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में, उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को संविधान की "मूल संरचना" का हिस्सा घोषित किया, जो इसे मनमाने विधायी या कार्यकारी क्षरण से बचाता है।
❖ राजकोषीय संघवाद: अनुच्छेद 280 के तहत, प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को ठीक करने के लिए कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।</td></tr>
</table>

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

पुनर्गठन से जुड़ी चुनौतियां	पुनर्गठन की मांग संघ द्वारा "निरंतर अतिरेक" (persistent overreach) के माध्यम से मूल संवैधानिक संतुलन के बिगड़ने के कारण उत्पन्न हुई है। ❖ **राजकोषीय स्वायत्तता का क्षरण** राज्य महत्वपूर्ण व्यय उत्तरदायित्वों (स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिसिंग) का प्रबंधन करते हैं, लेकिन उनके पास सीमित कराधान शक्तियां हैं। ➢ **उपकर और अधिभार का जाल:** संघ तेजी से उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) पर निर्भर हो रहा है (2025 तक कुल कर राजस्व का ~18%), जो अनुच्छेद 270 के तहत विभाज्य पूल से बाहर हैं, जिससे राज्यों को उनके उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ➢ **GST की सीमाएं:** यद्यपि GST ने व्यापार को सरल बनाया है, लेकिन इसने राज्यों की स्वतंत्र राजकोषीय निर्णय क्षमता को काफी कम कर दिया है। ❖ **समवर्ती सूची पर अतिक्रमण** संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में राज्यों की विशिष्ट प्राथमिकताओं को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों (जैसे- NEP 2020) और अधीनस्थ विधानों का तेजी से उपयोग किया है। ➢ **कार्यकारी ओवरलैप:** केंद्रीय मंत्रालय अब उन कार्यों का दोहराव करते हैं जो पारंपरिक रूप से राज्यों को सौंपे गए थे, जिससे नियामक जटिलता पैदा होती है और स्थानीय जवाबदेही कम होती है। ❖ **राज्यपाल के पद का संकट** राज्यपाल की भूमिका घर्षण का बिंदु बन गई है। केरल और तमिलनाडु (2024-25) जैसे राज्यों में विधेयकों को सहमति देने में अत्यधिक देरी ने राज्य के विधायी कार्यों में बाधा डाली है और बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप को मजबूर किया है। ❖ **केंद्रीकृत डिजिटल और योजना प्रारूप** ➢ **CSS का सूक्ष्म प्रबंधन:** केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) अक्सर "एक ही प्रकार का ढांचा सबके लिए" (one-size-fits-all) थोपती हैं। उदाहरण के लिए, मनरेगा (MGNREGS) में निधि उपयोग के कठोर नियम राजस्थान या तमिलनाडु जैसे राज्यों में सूखा-विशिष्ट अनुकूलन को सीमित कर सकते हैं। ➢ **डिजिटल जनादेश:** केंद्रीकृत डिजिटल संरचनाएं कभी-कभी राज्य के प्रशासनिक ढांचे को दरकिनार कर देती हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में बहिष्करण की त्रुटियां (exclusion errors) होती हैं। 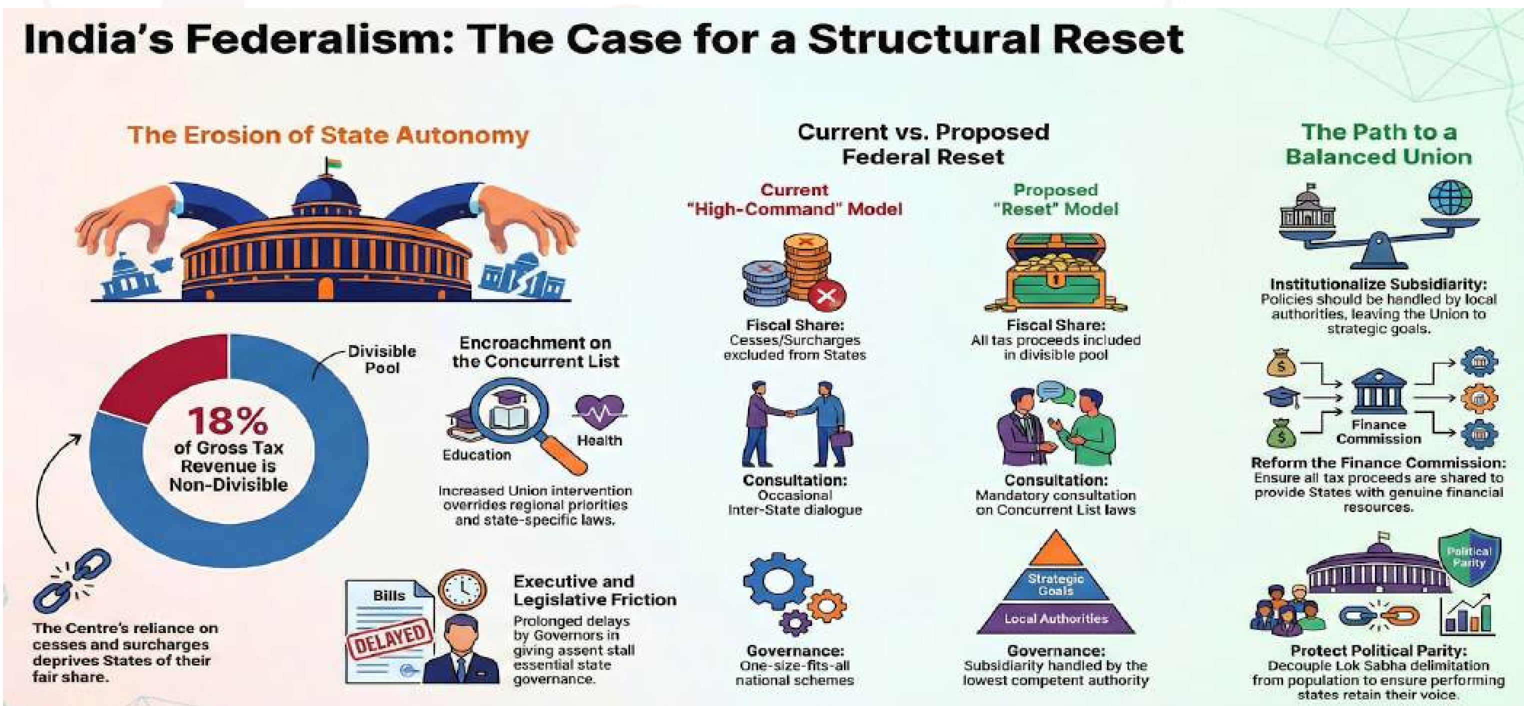
पुनर्गठन से जुड़ी चुनौतियां	❖ **परिसीमन 2026:** दक्षिणी राज्यों को डर है कि यदि लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नुकसान होगा। यह अनिवार्य रूप से उन राज्यों को दंडित करने जैसा होगा जिन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया है। ❖ **राष्ट्रीय सुरक्षा का ओवरलैप:** केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार (जैसे पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र) अक्सर राज्य के "कानून और व्यवस्था" जनादेश के साथ टकराता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **क्षमता का विरोधाभास:** संघ राज्यों की "क्षमता" की कमी का हवाला देकर हस्तक्षेप को उचित ठहराता है, लेकिन निरंतर हस्तक्षेप राज्यों को अपनी स्वयं की संस्थागत सक्षमता विकसित करने से रोकता है।
रणनीतिक सिफारिशें: आगे की राह	पुनर्गठन का उद्देश्य नागरिक के निकटतम स्तर पर अधिकार और जवाबदेही के बीच समन्वय स्थापित करना है। ❖ **वित्त आयोग सुधार:** विभाज्य पूल का विस्तार करके इसमें सभी उपकरों और अधिभारों को शामिल किया जाए ताकि राज्यों को बिना शर्त वित्तीय संसाधन प्राप्त हों। ❖ **अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) को पुनर्जीवित करना:** इसे समवर्ती सूची से संबंधित सभी विधानों के लिए एक अनिवार्य परामर्शदात्री निकाय में बदला जाए। ❖ **सहायकता के सिद्धांत (Subsidiarity) को संस्थागत बनाना:** इस सिद्धांत को अपनाएं कि नीति का प्रबंधन निम्नतम सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे संघ रणनीतिक राष्ट्रीय लक्ष्यों (रक्षा, विदेश नीति, रेलवे) पर ध्यान केंद्रित कर सके। ❖ **राज्यपाल सुधार:** विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने और विधेयक पर सहमति के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित करने हेतु सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू करें। ❖ **राजनीतिक समानता की रक्षा:** परिसीमन को केवल जनसंख्या के आंकड़ों से अलग किया जाए ताकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की आवाज संघ में बनी रहे।
निष्कर्ष	जैसा कि के. संथानम ने कहा था, "सत्ता तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब उसका प्रयोग ज्ञान और जवाबदेही के सबसे करीब किया जाता है।" संरचनात्मक पुनर्गठन एक कमजोर संघ की मांग नहीं है, बल्कि एक "उचित आकार" (right-sized) वाले संघ की मांग है जो अपनी घटक इकाइयों पर भरोसा करता है। "हाई-कमांड संघवाद" से "साझेदारी-आधारित उद्यम" में बदलकर, भारत 'विकसित भारत 2047' के विजन के लिए शासन दक्षता बढ़ाते हुए अपनी विविध पहचान को बनाए रख सकता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

IR

Topic 1 - भारत-अमेरिका व्यापार समझौता	
Syllabus	Paper III | International Relations
संदर्भ	भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 में एक बड़े 'व्यापार रिसेट' (Trade Reset) को अंतिम रूप दिया है। इसके तहत दोनों देशों ने शुल्कों में कटौती की है और लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक गतिरोध को समाप्त करते हुए रणनीतिक-आर्थिक संरेखण को गहरा किया है।
यह क्या है?	❖ **द्विपक्षीय व्यापार रिसेट:** 2025 के व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा घोषित एक पारस्परिक समझौता। ❖ **मूल विचार:** अमेरिका द्वारा भारत के लिए कम शुल्क और बाजार पहुंच प्रदान करना, जिसके बदले में भारत अमेरिका से ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि खरीद की प्रतिबद्धता जताएगा।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **शुल्क में कटौती:** भारतीय वस्तुओं पर प्रभावी अमेरिकी शुल्क 50% से घटकर ~18% रह गया है। ❖ **दंडात्मक शुल्क की समाप्ति:** अतिरिक्त 25% का दंडात्मक लेवी (Punitive levy) समाप्त कर दिया गया है। ❖ **ऊर्जा विविधीकरण:** भारत अपने तेल आयात के स्रोतों का विविधीकरण अमेरिका और अन्य देशों की ओर करेगा, जिससे रियायती दर वाले आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम होगी। ❖ **खरीद प्रतिबद्धता:** अमेरिकी ऊर्जा, कृषि, कोयला और प्रौद्योगिकी के लिए बहु-वर्षीय ~$500 बिलियन का आयात लक्ष्य। ❖ **पारस्परिक पहुंच:** भारत चुनिंदा अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर धीरे-धीरे शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं (NTBs) को कम करेगा। ❖ **क्षेत्रीय सुरक्षा उपाय:** घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए डेयरी और मुख्य फसलों को समझौते से बाहर रखा गया है। ❖ **तकनीकी और परमाणु सहयोग:** डेटा केंद्रों और नागरिक परमाणु क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए पहुंच का विस्तार। ❖ **तरजीही दर:** भारत का 18% शुल्क कई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों (~19–20%) की तुलना में बेहतर है।
महत्व	❖ **निर्यात पुनरुद्धार:** कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण और समुद्री उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल होगी। ❖ **रणनीतिक संरेखण:** भारत-प्रशांत साझेदारी को मजबूती और चीन से आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम करना। ❖ **बाजार स्थिरता:** अनिश्चितता में कमी → मुद्रा और शेयर बाजार को समर्थन। ❖ **FDI में उछाल:** डेटा केंद्र, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च तकनीक निर्माण में अमेरिकी निवेश आकर्षित होने की संभावना। ❖ **आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका:** वैश्विक कंपनियों के लिए भारत को कम शुल्क वाले वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **रणनीतिक स्वायत्तता:** ऊर्जा विविधीकरण से अन्य साझेदारों के साथ पुराने रक्षा-ऊर्जा संबंधों पर दबाव पड़ सकता है। ❖ **घरेलू विरोध:** आयात प्रतिस्पर्धा को लेकर किसानों और MSME की चिंताएं। ❖ **शून्य-शुल्क जोखिम:** तेजी से शुल्क कटौती से छोटे निर्माता पिछड़ सकते हैं। ❖ **आयात बिल का दबाव:** ऊर्जा के महंगे स्रोतों से चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **गैर-शुल्क बाधाएं:** अमेरिका में SPS/TBT मानक अभी भी भारतीय निर्यात को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
आगे की राह	❖ **कानूनी औपचारिकताएं:** संयुक्त वक्तव्य को स्पष्ट समय सारिणी के साथ एक बाध्यकारी संधि में बदलना। ❖ **बुनियादी ढांचे का उन्नयन:** उच्च ऊर्जा व्यापार को संभालने के लिए LNG टर्मिनल, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स का विकास। ❖ **व्यापार विविधीकरण:** एकल बाजार पर निर्भरता से बचने के लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और खाड़ी देशों के साथ समानांतर FTA करना। ❖ **MSME सहायता:** तकनीकी उन्नयन, ऋण और निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करना। ❖ **मानकों की निगरानी:** SPS/TBT के माध्यम से होने वाले छद्म संरक्षणवाद को रोकने के लिए द्विपक्षीय तंत्र विकसित करना।
निष्कर्ष	2026 का भारत-अमेरिका व्यापार समझौता ऊर्जा और बाजार पहुंच रियायतों के बदले कम शुल्क और निर्यात राहत सुरक्षित करता है। दीर्घकालिक लाभ किसानों/MSMEs की सुरक्षा, आयात लागत के प्रबंधन और रणनीतिक सहयोग के साथ-साथ व्यापारिक भागीदारों के विविधीकरण पर निर्भर करेंगे।
भारत-अमेरिका शुल्क विकास और व्यापार संबंध	**शुल्क विकास की पृष्ठभूमि** 18% के स्थिर शुल्क की ओर संक्रमण 2025 में 'लेन-देन आधारित कूटनीति' (Transactional diplomacy) के दौर के बाद आया है: ❖ **"टैरिफ किंग" प्रतिक्रिया:** 2025 के मध्य में, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% का पारस्परिक शुल्क लगाकर भारत के औसत शुल्कों की बराबरी की थी। ❖ **रूसी तेल का गतिरोध:** भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद के कारण, अमेरिका ने अगस्त 2025 में 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क जोड़ा, जो कुल मिलाकर 50% तक पहुंच गया था। ❖ **रणनीतिक क्षेत्रीय प्रभाव - ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025):** पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान (मुरीदके, बहावलपुर और PoK) में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। अमेरिका ने इस संकट के दौरान युद्धविराम और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए व्यापार/शुल्क का दबाव बनाया। ❖ **भारत के तनाव कम करने के उपाय:** भारत ने 2025 के केंद्रीय बजट में अमेरिकी लग्जरी वस्तुओं (भारी मोटरसाइकिल, बॉर्बन) पर शुल्क में कटौती की। ❖ **शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025:** परमाणु कानूनों के आधुनिकीकरण, परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) को निरस्त करने और परमाणु क्षेत्र में निजी/विदेशी भागीदारी की अनुमति देने के लिए पारित किया गया।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंध (वित्त वर्ष 25 की झलक)	राजनीतिक तनाव के बावजूद साझेदारी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंची: ❖ **व्यापार की मात्रा:** द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 132 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया (वित्त वर्ष 24 के 119.71 बिलियन डॉलर से अधिक)। ❖ **व्यापार अधिशेष:** भारत ने 40.82 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष बनाए रखा। ❖ **निवेश:** अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है (कुल FDI: 70.65 बिलियन डॉलर)। **मुख्य व्यापारिक वस्तुएं**

अमेरिका से भारत का आयात	भारत से अमेरिका का निर्यात
खनिज ईंधन और तेल	विद्युत मशीनरी
बहुमूल्य पत्थर और धातु	औषधियाँ (जेनेरिक दवाएं)
परमाणु रिएक्टर और मशीनरी	लोहा और इस्पात की वस्तुएं

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	विद्युत उपकरण	मशीनरी और उपकरण

रणनीतिक पहल: COMPACT और मिशन 500	2025 में शुरू किया गया 'यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट' (COMPACT - सैन्य भागीदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए उत्प्रेरक अवसर) अगले दशक का रोडमैप तैयार करता है: ❖ **मिशन 500:** 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक कर 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य। ❖ **अंतरिम व्यापार समझौता (फरवरी 2026):** 18% पारस्परिक शुल्क स्थापित करता है और भारतीय जेनेरिक दवाओं, विमान के पुर्जों और ऑटो घटकों के लिए तरजीही पहुंच प्रदान करता है। ❖ **रक्षा सह-उत्पादन:** 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' (2025-2035) के तहत जैवलिन मिसाइलों और स्ट्राइकर वाहनों के सह-उत्पादन की पहल शामिल है।

Topic 2 - भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी

Syllabus	Paper III | IR/Bilateral Relations
संदर्भ	फरवरी 2026 में, भारत-फ्रांस संबंधों को "विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" (Special Global Strategic Partnership) के स्तर पर उन्नत किया गया। यह 'होराइजन 2047' (Horizon 2047) रोडमैप द्वारा निर्देशित वैश्विक सुरक्षा, तकनीकी संप्रभुता और नवाचार के लिए एक व्यापक गठबंधन है, जो पारंपरिक 'क्रेता-विक्रेता' संबंधों से कहीं आगे है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा के दौरान '2026 भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' और 'AI इम्पैक्ट समिट' के शुभारंभ के साथ रखी गई।
विश्वास की ऐतिहासिक नींव	यह संबंध 'रणनीतिक स्वायत्तता' और 'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है: ❖ **1998:** फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाली पहली पश्चिमी शक्ति था और उसने भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद प्रतिबंध लगाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। ❖ **2008:** NSG छूट के बाद भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला फ्रांस पहला देश बना। ❖ **होराइजन 2047:** वर्ष 2023 में अपनाए गए इस रोडमैप के माध्यम से साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया और आगामी अगली चौथाई सदी के लिए रूपरेखा तैयार की गई।

2026 की यात्रा के प्रमुख परिणाम

क्षेत्र	प्रमुख पहल और समझौते
रक्षा	26 राफेल-समुद्री (Rafale-Marine) विमानों की खरीद को अंतिम रूप दिया गया; टाटा-एयरबस की H125 'फाइनल असेंबली लाइन' का उद्घाटन—यह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है।
परमाणु ऊर्जा	'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स' (SMRs) के सह-विकास की प्रतिबद्धता; फ्रांस ने भारत के 'शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025' की सराहना की, जो परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश की अनुमति देता है।
AI और नवाचार	'भारत-फ्रांस नवाचार नेटवर्क' का शुभारंभ; स्वास्थ्य सेवा में AI के लिए AIIMS दिल्ली और 'पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट' के बीच संयुक्त अनुसंधान केंद्र।
अंतरिक्ष	मानव अंतरिक्ष उड़ान और 'तृष्णा' (TRISHNA) मिशन में सहयोग का विस्तार; भारत 2026 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेगा।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

गतिशीलता (Mobility)	2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों का लक्ष्य; फ्रांसीसी हवाई अड्डों के माध्यम से भारतीयों के लिए 6 महीने का पायलट 'वीजा-मुक्त पारगमन' (Transit) शुरू किया गया।
सहयोग के रणनीतिक स्तंभ	➢ **रक्षा और सुरक्षा औद्योगिकीकरण** फ्रांस भारत के दूसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। अब ध्यान केवल सीधे खरीद के बजाय 'रक्षा औद्योगिक रोडमैप' के तहत सह-विकास (जैसे- सफरान-HAL जेट इंजन) पर केंद्रित है। नियमित त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास—**शक्ति** (थल सेना), **वरुण** (नौसेना) और **गरुड़** (वायु सेना)—दोनों देशों के बीच उच्च स्तर के अंतर-संचालनीयता (interoperability) को सुनिश्चित करते हैं। ➢ **हिंद-प्रशांत तालमेल (Indo-Pacific Synergy)** दोनों राष्ट्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र को "मुक्त, खुला और नियम-आधारित" क्षेत्र मानते हैं। इसके लिए सहयोग के माध्यम हैं: ➢ **हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI):** समुद्री सुरक्षा और 'ब्लू इकोनॉमी' में संयुक्त प्रयास। ➢ **त्रिपक्षीय प्रारूप:** क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे भागीदारों के साथ जुड़ाव। ❖ **बहुपक्षीय और जलवायु नेतृत्व** फ्रांस UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रबल समर्थक बना हुआ है। दोनों देश मिलकर **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** का नेतृत्व कर रहे हैं और 'BBNJ संधि' (समुद्री जैव विविधता) तथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन पर सहयोग कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण चुनौतियां और चिंताएँ	❖ **भू-राजनीतिक मतभेद:** यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संघर्षों पर दृष्टिकोण की सूक्ष्म भिन्नताओं के लिए निरंतर राजनयिक संतुलन की आवश्यकता होती है। ❖ **व्यापारिक बाधाएँ:** भारत-यूरोपीय संघ FTA में लंबे समय से चली आ रही अड़चनें, जिनमें 'सेनेटरी एंड फाइटोसैनिटरी' (SPS) उपाय और यूरोपीय संघ के कड़े डेटा नियम (GDPR) बनाम भारत का DPDP अधिनियम, 2023 शामिल हैं। ❖ **कार्यान्वयन अंतराल:** तकनीकी और दायित्व संबंधी मुद्दों के कारण जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसी प्रमुख परियोजनाएँ अभी भी विलंबित हैं। ❖ **क्षेत्रीय अस्थिरता:** मध्य पूर्व में अशांति 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) के लिए सीधा खतरा पैदा करती है।
आगे की राह: "तीसरे ध्रुव" को मजबूत करना	विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए दोनों देशों को चाहिए: ❖ **IMEC का संचालन:** इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर को भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए मंत्रिस्तरीय वार्ता को प्राथमिकता देना। ❖ **तकनीकी लोकतंत्रीकरण:** वैश्विक AI विभाजन को पाटने के लिए मिलकर कार्य करना, जिससे 'ग्लोबल साउथ' की "सुरक्षित और विश्वसनीय" AI तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। ❖ **महत्वपूर्ण खनिज सहयोग:** हरित संक्रमण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों में संयुक्त निवेश शुरू करना। ❖ **सांस्कृतिक कूटनीति:** पेरिस में 'स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र' की स्थापना और लोथल में 'राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर' जैसी विरासत परियोजनाओं पर सहयोग को गहरा करना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

निष्कर्ष	विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में वृद्धि पारंपरिक क्रेता-विक्रेता संबंधों से हटकर एक सहयोगात्मक गठबंधन की ओर बढ़ने का संकेत है। अपने संबंधित "आत्मनिर्भर भारत" और "होराइजन 2047" दृष्टिकोणों को संरेखित करके, भारत और फ्रांस स्वयं को एक स्थिर, बहुध्रुवीय दुनिया के दो स्तंभों के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी रणनीतिक स्वायत्तता वैश्विक कल्याण के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करे।

Topic 3 - भारत की विदेश नीति का पुनर्निर्धारण (Reframing)

Syllabus	**Paper III | IR**
संदर्भ	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में कहा कि भारत की विदेश नीति 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy - सामरिक तटस्थता) के पुराने सिद्धांत से हटकर वैश्विक जुड़ाव के प्रति अधिक मुखर और राष्ट्रहित-प्रेरित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही है।
नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का क्षरण	इस पुनर्निर्धारण का प्राथमिक कारण 1945 के बाद बने संस्थानों का पतन है, जो अब भारत की विकासपरक या सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं: ❖ **संस्थागत पक्षाघात:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) वीटो-शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के कारण गतिरोध का शिकार है, जबकि विश्व व्यापार संगठन (WTO) अपने विवाद निपटान तंत्र की नाकेबंदी के कारण संकट का सामना कर रहा है। ❖ **लेन-देन आधारित कूटनीति (Transactional Diplomacy) का उदय:** साझा उदारवादी मूल्यों का स्थान "अमेरिका फर्स्ट" या "चीन-केंद्रित" लेन-देन की राजनीति ने ले लिया है। ➢ **उदाहरण:** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और WHO (2025-26) से अमेरिका का बाहर निकलना सार्वजनिक कल्याण के कार्यों से वैश्विक पीछे हटने को दर्शाता है। ❖ **परस्पर निर्भरता का शस्त्रीकरण:** सेमीकंडक्टर, स्विफ्ट (SWIFT) नेटवर्क और ऊर्जा प्रवाह पर नियंत्रण का उपयोग अब दबाव बनाने के उपकरण के रूप में किया जा रहा है। ➢ **उदाहरण:** 2025 में भारतीय स्टील पर 25% अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क को स्पष्ट रूप से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जोड़ा गया था। ❖ **चीन का संस्थागत नियंत्रण:** बीजिंग अब संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से चार का नेतृत्व करता है, जिससे वह डिजिटल शासन और बुनियादी ढांचे के वैश्विक मानकों को प्रभावित कर रहा है। 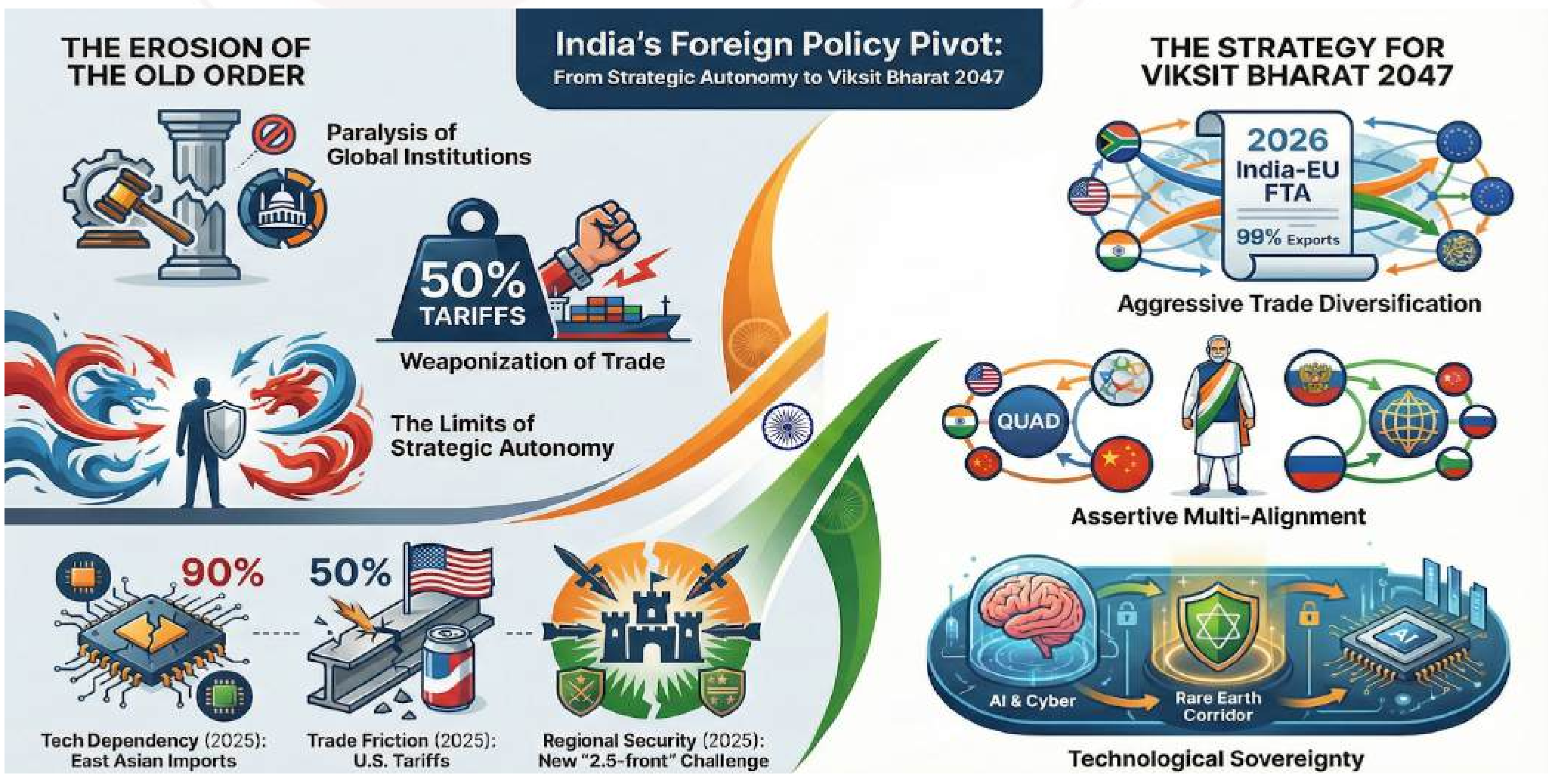

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

पारंपरिक रणनीतिक स्वायत्तता की सीमाएं	शीत युद्ध की उपज 'रणनीतिक स्वायत्तता' आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में अपनी प्रासंगिकता खो रही है: ❖ **'स्विंग स्टेट' का जाल:** पश्चिमी सहयोगी अब भारत की स्वायत्तता को एक स्थिर तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि एक 'स्विंग स्टेट' (परिवर्तनशील राज्य) के रूप में देखते हैं, जिसे अपने खेमे में लाने के लिए प्रलोभन देना पड़ता है। ❖ **तकनीकी अपवर्जन (Exclusion):** 'चिप वॉर' (Chip Wars) की दुनिया में तटस्थता महत्वपूर्ण तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर होने का कारण बन सकती है। ➢ **उदाहरण:** पूर्व एशियाई सेमीकंडक्टर्स पर भारत की 90% निर्भरता (2025 का डेटा) भारत की तकनीकी मानक निर्धारित करने की क्षमता को सीमित करती है। ❖ **2.5 मोर्चे की चुनौती:** बांग्लादेश-पाकिस्तान प्रस्तावित रक्षा समझौता (2025) और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की समुद्री घेराबंदी ने 'संतुलन' बनाने के कार्य को पहले से कहीं अधिक कठिन बना दिया है।

भारत का विकासक्रम: एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण

कालखंड	मुख्य सिद्धांत	प्रमुख विशेषता
1947–1964	आदर्शवाद और गुटनिरपेक्षता	तटस्थता के माध्यम से संप्रभुता; पंचशील।
1964–1991	सुरक्षा यथार्थवाद	क्षेत्रीय स्थिरता: 1971 की भारत-सोवियत संधि।
1991–2014	आर्थिक कूटनीति	लुक ईस्ट पॉलिसी; LPG सुधार; 2008 का परमाणु समझौता।
2014–वर्तमान	मुखर बहु-संरेखण (Multi-Alignment)	विषय-आधारित विकल्प: "विश्व बंधु"।

रणनीति का पुनर्निर्धारण: विकसित भारत पर ध्यान	भारत चार रणनीतिक स्तंभों द्वारा परिभाषित एक सक्रिय रुख अपना रहा है: ❖ **तकनीकी संप्रभुता ही वास्तविक संप्रभुता है:** भविष्य की शक्ति AI, साइबर और अंतरिक्ष द्वारा परिभाषित होगी। भारत 'नियम मानने वाले' के बजाय 'नियम बनाने वाले' (Rule-maker) की भूमिका में आ रहा है। ➢ **पहल:** नई दिल्ली में 2026 AI इम्पैक्ट समिट और भारत-रूस GLONASS/NavIC समझौता गैर-पश्चिमी डिजिटल और नेविगेशन पारिस्थितिकी तंत्र की ओर एक कदम है। ❖ **आक्रामक व्यापार विविधीकरण:** अमेरिकी शुल्कों की अस्थिरता से बचने के लिए भारत बड़े व्यापारिक समझौतों की दिशा में बढ़ रहा है। ➢ **सफलता:** भारत-ईयू FTA (जनवरी 2026) ने दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया, जो भारत के 99% निर्यात व्यापार को कवर करता है। ➢ **रणनीति:** चीन से जोखिम कम करने के लिए 'सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव' (SCRI) के माध्यम से "फ्रेंड-शोरिंग" को प्राथमिकता देना। ❖ **ग्लोबल साउथ का नेतृत्व:** भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करके और अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) को वैश्विक जनहित के रूप में निर्यात करके एक "स्थिर ध्रुव" के रूप में अपनी भूमिका को संस्थागत रूप दिया है। ❖ **पड़ोस के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण:** पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ संबंधों को अस्तित्वगत सुरक्षा संकट के बजाय विदेश नीति की चुनौतियों के रूप में देखना, ताकि घरेलू ध्यान आर्थिक विकास पर बना रहे।
भविष्य की प्रमुख चुनौतियां	❖ **चीन के साथ असंतुलन:** विशाल व्यापार घाटा और चीनी 'दुर्लभ मृदा तत्वों' (Rare Earths - मिसाइल कार्यक्रमों के लिए आवश्यक) पर निर्भरता अभी भी एक बड़ी कमजोरी बनी हुई है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **अपेक्षा-जिम्मेदारी अंतराल:** जैसे-जैसे भारत का उदय हो रहा है, दुनिया वैश्विक संघर्षों पर निश्चित रुख की अपेक्षा करती है, जिससे 'डी-हाइफनेटेड कूटनीति' की सीमाओं का परीक्षण होता है। ❖ **बुनियादी ढांचा "लॉक-इन":** व्यापार की "लेन-देन" वाली प्रकृति का प्रबंधन करना, जहाँ बड़ी शक्तियाँ बाजार पहुंच देने से पहले रियायतों की मांग करती हैं।
निष्कर्ष	भारत की विदेश नीति 1991 के बाद से अपने सबसे बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षात्मक मुद्रा से हटकर 'विकसित भारत 2047' के मुखर दृष्टिकोण को अपनाकर, नई दिल्ली इस विखंडित दुनिया में अपनी राह बनाना चाहती है। भारत अब केवल गुटों के बीच संतुलन नहीं बनाना चाहता, बल्कि एक स्वतंत्र "तीसरे ध्रुव" के रूप में उभरना चाहता है—एक ऐसा स्थिरकर्ता जो ध्रुवीकृत पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच सेतु का कार्य करे।

Topic 4 - भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (India–EU FTA)	
Syllabus	Paper III | IR/Bilateral Relations
संदर्भ	भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप दिया है। इसके साथ ही दो दशकों से चली आ रही वार्ताओं का समापन हुआ और एक प्रमुख रणनीतिक आर्थिक गलियारे का निर्माण हुआ है।
यह क्या है?	❖ **व्यापक व्यापार समझौता:** वस्तुओं पर सीमा शुल्क (Tariff) में कटौती, सेवाओं का उदारीकरण और निवेश प्रवाह में वृद्धि। ❖ **व्याप्ति:** यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 25% और विश्व व्यापार के लगभग एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है। ❖ **लक्ष्य:** 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना और स्थिर, नियम-आधारित आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) स्थापित करना।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **सीमा शुल्क उन्मूलन:** ➢ **यूरोपीय संघ:** 99% से अधिक भारतीय निर्यातों को शुल्क मुक्त पहुंच। ➢ **भारत:** लगभग 92–97% यूरोपीय वस्तुओं पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क कटौती। ❖ **श्रम-प्रधान क्षेत्र:** कपड़ा, चमड़ा, रत्न, आभूषण और समुद्री उत्पादों (~33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात) पर शून्य शुल्क। ❖ **ऑटोमोबाइल उदारीकरण:** घरेलू सुरक्षा उपायों के साथ यूरोपीय लग्जरी कारों के लिए कोटा-आधारित रियायती शुल्क (110% से घटाकर ~10%)। ❖ **सेवाएं और गतिशीलता:** 144 यूरोपीय उप-क्षेत्रों (IT, वित्त, शिक्षा) तक पहुंच; पेशेवरों और इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स के लिए आसान वीजा सुविधा। ❖ **सतत विकास / CBAM:** भारतीय MSMEs को यूरोपीय संघ के हरित मानदंडों (Green Norms) को पूरा करने में मदद करने हेतु तकनीकी सहयोग। ❖ **कृषि अपवर्जन (Carve-outs):** किसानों के हितों की रक्षा के लिए डेयरी, अनाज और पोल्ट्री को इस समझौते से बाहर रखा गया है।
चुनौतियाँ	❖ **गैर-शुल्क बाधाएं (Non-Tariff Barriers):** कृषि-निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के कड़े 'सेनेटरी एंड फाइटोसैनिटरी' (SPS) और गुणवत्ता मानक। ❖ **नियामक संरेखण:** डेटा गोपनीयता, डिजिटल व्यापार और AI मानदंडों के बीच का अंतर।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का दबाव:** 'डेटा विशिष्टता' (Data Exclusivity) के लिए यूरोपीय संघ का आग्रह जेनेरिक दवा उद्योग को प्रभावित कर सकता है। ❖ **CBAM लागत:** स्टील और सीमेंट उद्योगों को उच्च कार्बन-अनुपालन व्यय का सामना करना पड़ सकता है। ❖ **MSME संवेदनशीलता:** यूरोपीय संघ के उन्नत उत्पादों और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा का जोखिम।

लाभ

भारत के लिए	यूरोपीय संघ के लिए
निर्यात में वृद्धि: 45 करोड़ उपभोक्ताओं वाले यूरोपीय बाजार तक पहुंच।	**बाजार पहुंच:** भारत के तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग तक पहुंच।
प्रतिभा की गतिशीलता: पेशेवरों और छात्रों के लिए कार्य/अध्ययन के आसान मार्ग।	**आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा:** 'चीन-प्लस-वन' (China-plus-one) विविधीकरण।
व्यापार विविधीकरण: अमेरिका/चीन पर निर्भरता में कमी।	**निवेश निश्चितता:** यूरोपीय कंपनियों के लिए स्थिर कानूनी ढांचा।
ग्रामीण लाभ: चाय, कॉफी, मसालों और समुद्री उत्पादों के लिए बेहतर बाजार।	**लागत बचत:** वार्षिक अनुमानित 4 बिलियन यूरो की शुल्क बचत।

निष्कर्ष	भारत-यूरोपीय संघ FTA एक बहुध्रुवीय और लचीली व्यापार व्यवस्था की ओर एक बड़ा बदलाव है। यह सहयोग को केवल वस्तुओं तक सीमित न रखकर प्रौद्योगिकी, गतिशीलता और हरित मानकों तक विस्तारित करता है, जो भारत के दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Economy

Topic 1 - 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

Syllabus	Indian Economy | Centre-State Finance
संदर्भ	16वें वित्त आयोग (2026-31) की रिपोर्ट को केंद्रीय बजट 2026 के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें राज्यों को करों के हस्तांतरण (devolution) का हिस्सा **41%** पर बरकरार रखा गया है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) योगदान एवं वित्तीय अनुशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए क्षैतिज वितरण (horizontal distribution) के नए मानदंड पेश किए गए हैं।
यह क्या है?	❖ **वित्त आयोग:** अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के हस्तांतरण और अनुदान की सिफारिश करता है। ❖ **16वें वित्त आयोग का कार्यकाल:** 2026-2031 → इसका उद्देश्य राजकोषीय संघवाद, विकास प्रोत्साहन और ऋण स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है। ❖ **मुख्य ध्यान:** स्थिर ऊर्ध्वाधर हिस्सा + संशोधित क्षैतिज सूत्र + सरलीकृत अनुदान।
ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution) – राज्यों का हिस्सा	❖ **राज्यों का हिस्सा:** विभाज्य पूल (divisible pool) का **41%** बरकरार रखा गया है (15वें वित्त आयोग के समान)। ❖ **विभाज्य पूल:** केंद्र के कुल करों में से उपकर (cess), अधिभार (surcharge) और संग्रह लागत को घटाकर प्राप्त राशि। ❖ **प्रभाव:** यह राज्यों के लिए वित्तीय स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करता है तथा सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।
क्षैतिज हस्तांतरण – नया सूत्र (राज्यों के बीच वितरण)	❖ **16वें वित्त आयोग के मुख्य मानदंड और भार (Weights):** ➢ **आय की दूरी (Income Distance) – 42.5%:** इसमें मामूली कमी की गई है; यह शीर्ष 3 राज्यों के साथ प्रति व्यक्ति GSDP के अंतर पर आधारित है। ➢ **जनसंख्या (2011) – 17.5%:** इसका भार बढ़ाया गया है। ➢ **जनसांख्यिकीय प्रदर्शन – 10%:** अब यह जनसंख्या वृद्धि (1971–2011) पर आधारित है। ➢ **क्षेत्रफल – 10%:** इसका भार घटाया गया है। ➢ **वन और पारिस्थितिकी – 10%:** इसमें खुले वन + वन आवरण में वृद्धि (2015-23) शामिल है। ➢ **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान – 10%:** आर्थिक आकार (√GSDP) को पुरस्कृत करने वाला नया पैरामीटर। ➢ **कर प्रयास (Tax Effort) – 0%:** इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ➢ **सार:** यह निष्पक्षता (आय की दूरी) + दक्षता (GDP भार) + पारिस्थितिकी और जनसांख्यिकी का मिश्रण है।
सहायता अनुदान (कुल ≈ ₹9.47 लाख करोड़)	❖ **स्थानीय निकाय अनुदान – ₹7.91 लाख करोड़** ➢ **ग्रामीण निकाय:** ₹4.35 लाख करोड़। ➢ **शहरी निकाय:** ₹3.56 लाख करोड़। ➢ **संरचना:** 80% मूल अनुदान (50% जल/स्वच्छता से संबद्ध) + 20% प्रदर्शन आधारित। ➢ **शहरी अतिरिक्त अनुदान:** ○ **विशेष अवसंरचना अनुदान – ₹56,100 करोड़:** 10-40 लाख की आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	○ **शहरीकरण प्रीमियम – ₹10,000 करोड़:** उप-शहरी क्षेत्रों के विलय और संक्रमण योजना हेतु। ➢ **शर्तें:** राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन, अंकेक्षित (audited) खाते और स्थानीय निकायों का उचित गठन। ❖ **आपदा प्रबंधन अनुदान – ₹1.55 लाख करोड़** ➢ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)/राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के लिए। ➢ **लागत साझाकरण:** 90:10 (उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्य) | 75:25 (अन्य)। ➢ **नोट:** राजस्व घाटा, क्षेत्र-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट अनुदानों को बंद कर दिया गया है → सरलीकरण।
राजकोषीय रोडमैप और ऋण प्रबंधन	❖ **केंद्र का राजकोषीय घाटा लक्ष्य:** 2030-31 तक GDP का 3.5%। ❖ **राज्यों के राजकोषीय घाटे की सीमा:** GSDP का 3%। ❖ **ऑफ-बजट उधारी:** इसे बंद किया जाएगा; ऋण की एक समान और विस्तारित परिभाषा लागू होगी। ❖ **कुल सार्वजनिक ऋण:** 2026-31 के दौरान GDP के 77.3% से घटकर 73.1% होने का अनुमान।
बिजली क्षेत्र और सब्सिडी सुधार	❖ DISCOM निजीकरण को बढ़ावा + पुराने ऋणों के प्रबंधन के लिए 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' (SPV) का गठन। ❖ **केंद्रीय पूंजी सहायता:** निजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ी होगी। ❖ **सब्सिडी का युक्तिकरण:** स्पष्ट अपवर्जन मानदंड, बजट से इतर वित्त पोषण की समाप्ति और समान लेखांकन मानक।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) सुधार	❖ 308 निष्क्रिय राज्य PSEs को बंद करना या उनकी समीक्षा करना। ❖ खराब प्रदर्शन करने वाले उद्यमों के लिए राज्य विनिवेश नीतियां। ❖ **घाटे में चल रहे PSEs:** कैबिनेट का निर्णय अनिवार्य → बंद करना/निजीकरण/रणनीतिक प्रतिधारण (strategic retention)।

Topic 2 - भारत के औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridors)

Syllabus	Paper I | Economy | Industry
संदर्भ	केंद्रीय बजट 2026-27 ने 'एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे' (दुर्गापुर में एक मुख्य केंद्र के साथ) की घोषणा करके और 'नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट' (NICDIT) को ₹3,000 करोड़ आवंटित करके इस विजन को और गति दी है।
वर्तमान परिदृश्य और प्रगति	भारत वर्तमान में 'पीएम गतिशक्ति' (PM GatiShakti) ढांचे के माध्यम से समन्वित 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम' (NICDP) के तहत 11 औद्योगिक गलियारे विकसित कर रहा है। ❖ **निवेश और प्रभाव:** केवल प्रथम चरण (Phase-I) की परियोजनाओं ने ₹2.02 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। ❖ **रोजगार:** हाल ही में स्वीकृत 12 परियोजनाओं का लक्ष्य लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। ❖ **अवसंरचना की स्थिति:** प्रथम चरण के 4 स्मार्ट सिटी पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 4 अन्य पूर्ण होने के करीब हैं। इनमें "प्लग-एंड-प्ले" (plug-and-play) सुविधाएं और "वॉक-टू-वर्क" (walk-to-work) पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।
प्रमुख औद्योगिक गलियारे	❖ **दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC)** ❖ **चेन्नई–बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC)** ❖ **अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)** ❖ **विशाखापत्तनम–चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC)**

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
❖ बेंगलुरु–मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC)
❖ कोच्चि तक CBIC का विस्तार (ECKC)
❖ हैदराबाद–नागपुर औद्योगिक गलियारा (HNIC)
❖ हैदराबाद–वारंगल औद्योगिक गलियारा (HWIC)
❖ हैदराबाद–बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (HBIC)
❖ ओडिशा आर्थिक गलियारा (OEC)
❖ दिल्ली–नागपुर औद्योगिक गलियारा (DNIC)
</td>
</tr>
<tr>
<td>रणनीतिक विशेषताएं और महत्व</td>
<td>
➢ परिचालन दक्षता और लॉजिस्टिक्स 'समर्पित माल गलियारों' (Dedicated Freight Corridors - DFCs) के साथ जुड़कर ये क्षेत्र माल ढुलाई के समय और लागत को काफी कम कर देते हैं। "प्लग-एंड-प्ले" मॉडल व्यवसायों को न्यूनतम विनियामक समय के साथ "निवेश से उत्पादन" तक पहुंचने की अनुमति देता है।
➢ स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक इन गलियारों का स्थान क्षेत्रीय चालकों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है:
➢ प्राथमिक क्षेत्र: खनिज समृद्ध क्षेत्रों (OEC) और उपजाऊ कृषि पट्टियों (AKIC) से निकटता।
➢ द्वितीयक क्षेत्र: निर्यात-उन्मुख विनिर्माण (VCIC, ECKC) के लिए गहरे जल वाले बंदरगाहों तक पहुंच।
➢ तृतीयक क्षेत्र: अनुसंधान एवं विकास (R&D) और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान केंद्रों को जोड़ना (HBIC, CBIC)।
❖ सतत शहरीकरण ये गलियारे 'निम्न-कार्बन शहरों' (LCCs) को बढ़ावा देते हैं। इन्हें ट्रांजिट-ओरिएंटेड विकास, अनिवार्य नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणालियों के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि औद्योगिक विकास की कोई पर्यावरणीय कीमत न चुकानी पड़े।

</td>
</tr>
<tr>
<td>कार्यान्वयन में चुनौतियां</td>
<td>
❖ भूमि अधिग्रहण: उचित मुआवजे पर बातचीत और विस्थापित आबादी का पुनर्वास एक जटिल बाधा बनी हुई है।
❖ अंतर-राज्य समन्वय: कई गलियारे एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं, जिसके लिए नीति और बुनियादी ढांचे के मानकों में उच्च स्तर के तालमेल की आवश्यकता होती है।
❖ वैश्विक प्रतिस्पर्धा: वियतनाम और मैक्सिको जैसे स्थापित विनिर्माण केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए "व्यापार करने में आसानी" (Ease of Doing Business) में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।
❖ अंतिम मील तक कनेक्टिविटी (Last-Mile Connectivity): हालांकि मुख्य बुनियादी ढांचा मजबूत है, लेकिन छोटे औद्योगिक समूहों को मुख्य गलियारे से जोड़ना अभी भी एक प्रगतिशील कार्य है।
</td>
</tr>
</table>

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

सरकारी संस्थागत ढांचा	❖ **NICDC:** 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम' इस कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। ❖ **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):** गलियारों के भीतर स्थित ये क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन और विनियामक लाभ प्रदान करते हैं। ❖ **पीएम गतिशक्ति:** यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न मंत्रालय (रेलवे, शिपिंग, सड़क मार्ग) एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करें।
निष्कर्ष	अलग-थलग औद्योगिक क्षेत्रों से एकीकृत, बहु-मोडल गलियारों की ओर यह बदलाव भारत के आर्थिक भूगोल में एक युगांतरकारी क्षण है। क्षेत्रीय क्षमताओं को वैश्विक मानकों के साथ जोड़कर, ये गलियारे केवल परिवहन मार्ग नहीं बल्कि 'विकसित भारत @ 2047' का तंत्रिका तंत्र हैं। ये वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं।

Topic 3 - कृषि में चक्रीय अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट से संपदा का रूपांतरण

Syllabus	Paper I | Economy/Agriculture
संदर्भ	भारत सरकार ने हाल ही में "अपशिष्ट से संपदा" (Waste-to-Wealth) मिशन की प्रगति पर प्रकाश डाला है, जिसके अंतर्गत 'गोवर्धन' (GOBARdhan) योजना ने भारत के 50% से अधिक जिलों को कवर कर लिया है।
प्रस्तावना	भारत का कृषि क्षेत्र प्रतिवर्ष लगभग 35 करोड़ (350 मिलियन) टन अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा या तो अनुपयुक्त रह जाता है या जला दिया जाता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय क्षरण होता है। "लो-बनाओ-फेंको" (take-make-dispose) मॉडल के स्थान पर '6 आर' (**6 Rs**) - कम करना (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycle), नवीनीकरण (Refurbish), पुनः प्राप्ति (Recover) और मरम्मत (Repair) - आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की ओर संक्रमण आवश्यक है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य अवशेषों को जैव-ऊर्जा, जैव-उर्वरक और उच्च-मूल्य वाले औद्योगिक इनपुट में बदलना है। यह प्रयास भारत को 2050 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के चक्रीय बाजार और 1 करोड़ (10 मिलियन) हरित नौकरियों की ओर ले जाने का लक्ष्य रखता है।
कृषि में चक्रियता की आवश्यकता	❖ **ग्रामीण आय का विविधीकरण:** अपशिष्ट को संपदा में बदलने से राजस्व के नए स्रोत बनते हैं। उदाहरण के लिए, 'बायो-मेथेनेशन' के माध्यम से 50% गीले कचरे के प्रसंस्करण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष ₹2,460 करोड़ का योगदान मिल सकता है। ❖ **ऊर्जा संप्रभुता:** कृषि अवशेषों में 18,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने की क्षमता है, जो कोयला आधारित ग्रिड के कार्बन पदचिह्न (carbon footprint) को काफी कम कर सकती है। ❖ **मृदा स्वास्थ्य की बहाली:** कार्बनिक पदार्थों को पुनः मृदा में मिलाने से मिट्टी का "रासायनिक ऋण" कम होता है। 'बायो-स्लरी' और 'बायोचार' मिट्टी में कार्बन स्तर और जल धारण क्षमता को बहाल करते हैं। ❖ **जलवायु शमन:** खुले में पराली जलाने और लैंडफिलिंग को रोकने से मीथेन और CO_2 के भारी उत्सर्जन में कमी आती है, जो सीधे तौर पर भारत के 'नेट जीरो 2070' लक्ष्य का समर्थन करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

प्रमुख सरकारी पहलें

पहल	फोकस क्षेत्र	प्रमुख उपलब्धि (2026 तक)
गोवर्धन योजना	पशुओं के गोबर और खाद्य अपशिष्ट को संपीड़ित बायोगैस (CBG) और खाद में बदलना।	51.4% जिले कवर किए गए; 979 संयंत्र क्रियाशील।
CRM योजना	इन-सिटू (स्व-स्थान) और एक्स-सिटू प्रबंधन के माध्यम से पराली जलाने पर रोक।	3.24 लाख मशीनें वितरित; 42,000+ कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) स्थापित।
कृषि अवसंरचना कोष (AIF)	फसल कटाई के बाद प्रबंधन और जैविक इनपुट उत्पादन के लिए वित्त पोषण।	₹66,310 करोड़ स्वीकृत; 545 जैविक इनपुट परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया।
बायोमास को-फायरिंग	कोयला बिजली संयंत्रों में 5-7% कृषि-अवशेषों के उपयोग को अनिवार्य बनाना।	वर्तमान उपयोग 1.62 MMT (लक्ष्य: 38.55 MMT)।
AHIDF	पशुधन अपशिष्ट से संपदा और डेयरी प्रसंस्करण का समर्थन।	वैज्ञानिक उपोत्पाद प्रबंधन के लिए ₹15,000 करोड़ का कोष।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- ❖ **रसद संबंधी जटिलता:** 35 करोड़ टन अपशिष्ट की बिखरी हुई और मौसमी प्रकृति छोटे किसानों के लिए इसके एकत्रीकरण और परिवहन को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बनाती है।
- ❖ **पूंजीगत अवरोध:** सब्सिडी के बावजूद, बायोगैस संयंत्रों या उच्च तकनीक वाली मशीनरी की प्रारंभिक लागत सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
- ❖ **बाजार असंतुलन:** जैविक उर्वरकों को अत्यधिक रियायती रासायनिक यूरिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है, जिससे अपशिष्ट से संपदा बनाने वाले संयंत्र वित्तीय रूप से कमजोर हो जाते हैं।
- ❖ **तकनीकी-कौशल अंतराल:** सटीक खेती (precision farming) और स्थानीय बिजली के लिए 'मॉड्यूलर रिएक्टरों' की तैनाती के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी सीमित है।
- ❖ **व्यवहारिक जड़ता:** श्रम और समय की बचत के कारण मशीनों के उपयोग के बजाय आग के माध्यम से जमीन साफ करने की पुरानी पद्धतियों को प्राथमिकता दी जाती है।

आगे की राह: ढांचे को मजबूत करना

- ❖ **परिणाम-आधारित निगरानी:** "जारी किए गए फंड" के बजाय मापने योग्य संकेतकों जैसे—पराली जलाने में वास्तविक कमी और कुल बायोमास उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **नीतिगत समानता:** उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) के तहत जैविक खाद और जैव-उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के समान वितरण सहायता और सब्सिडी प्रदान करना। ❖ **कार्बन क्रेडिट को प्रोत्साहन:** 'बायोचार' और बायोगैस उत्पादन के माध्यम से प्रमाणित कार्बन पृथक्करण (sequestration) के लिए छोटे किसानों को वैश्विक कार्बन बाजारों से जोड़ना। ❖ **विकेंद्रीकृत केंद्र:** किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs) को "बायो-CNG क्लस्टर" प्रबंधित करने और बायोमास छर्रों (pellets) के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने हेतु सशक्त बनाना। ❖ **अनुसंधान एवं विकास:** इन-सिटू अपघटन के लिए तेजी से काम करने वाले सूक्ष्मजीवों और बायोमास को-फायरिंग के लिए राष्ट्रीय बॉयलर अनुकूलता मानकों में निवेश करना।
निष्कर्ष	कृषि में चक्रीय अर्थव्यवस्था केवल "अपशिष्ट प्रबंधन" नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवर्तन का इंजन है। "अपशिष्ट से संपदा" के प्रतिमान को सफलतापूर्वक विस्तार देकर, भारत अपनी खाद्य प्रणालियों को सुरक्षित कर सकता है, अपने किसानों को सशक्त बना सकता है और 35 करोड़ टन की पर्यावरणीय देनदारी को 'विकसित भारत 2047' की आधारशिला में बदल सकता है।

Topic 4 - विकसित भारत 2047 और नेट जीरो 2070 की ओर परिदृश्य

Syllabus	Paper I | Indian Economy |Green Economy
संदर्भ	नीति आयोग ने 11 खंडों वाला एक ऐतिहासिक 'एकीकृत मॉडलिंग अध्ययन' जारी किया है। इसमें रेखांकित किया गया है कि भारत किस प्रकार 2070 तक 'नेट जीरो' (शुद्ध शून्य) उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करते हुए 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।
यह अध्ययन क्या है?	❖ **परिभाषा:** यह आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी (Decarbonisation) के बीच सामंजस्य बिठाने वाला भारत का पहला सरकारी एकीकृत मॉडलिंग अभ्यास है। ❖ **निर्माण:** इसे 10 अंतर-मंत्रालयी कार्य समूहों द्वारा 18 महीनों में तैयार किया गया है। ❖ **उपयोग किए गए परिदृश्य:** ➢ **वर्तमान नीति परिदृश्य (CPS)** ➢ **नेट जीरो परिदृश्य (NZS):** जो 2070 की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ❖ **आधार स्तंभ:** ➢ UNFCCC के 'समानता और जलवायु न्याय' के सिद्धांत। ➢ भारत की 'दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति' (LT-LEDS), 2022। ❖ **मुख्य उद्देश्य:** ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन से अलग (Decouple) करना।
व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रक्षेपवक्र	❖ **GDP लचीलापन:** GDP के 2025 के 4.18 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। नेट जीरो मार्ग का GDP पर बहुत मामूली प्रभाव (±0.5%) पड़ेगा। ❖ **शहरीकरण में उछाल:** 2070 तक शहरी आबादी बढ़कर 65% हो जाएगी। ❖ **महत्वपूर्ण जोखिम:** 2070 तक आवश्यक कुल भवन क्षेत्र (Building floor space) का 86% अभी बनना बाकी है। 'कार्बन लॉक-इन' से बचने के लिए अभी से हरित मानकों को लागू करना अनिवार्य है। ❖ **रोजगार की गतिशीलता:** नेट जीरो मार्ग 2050 तक ऊर्जा क्षेत्र में 70 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा, लेकिन जीवाश्म ईंधन से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र के 1.7 करोड़ श्रमिकों को संरचनात्मक व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) का आधार	❖ **विद्युतीकरण:** अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी 2025 के 21% से बढ़कर 2070 तक 60% हो जाएगी। ❖ **विद्युत मिश्रण में परिवर्तन:** ➢ **नवीकरणीय ऊर्जा:** 164 GW से बढ़कर 6,000 GW से अधिक तक विस्तार। ➢ **परमाणु ऊर्जा:** बेसलोड पावर के लिए 8 GW से बढ़ाकर 300 GW से अधिक करना। ➢ **जीवाश्म ईंधन:** प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में इसकी हिस्सेदारी 2070 तक 87% से गिरकर मात्र 14% रह जाएगी।
अपशिष्ट क्षेत्र: दायित्व से संसाधन अर्थव्यवस्था तक	अपशिष्ट (वेस्ट) क्षेत्र भारत के उत्सर्जन में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसमें 1994 के बाद से GHG उत्सर्जन में 226% की वृद्धि हुई है। ❖ **वर्तमान भार:** भारत प्रतिदिन 1.7 लाख टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) उत्पन्न करता है; ई-अपशिष्ट से मूल्य प्राप्ति केवल 18% है। ❖ **प्रक्षेपण:** अपशिष्ट की मात्रा आज के 62 MMT से बढ़कर 2050 तक 436 MMT हो जाएगी। ❖ **रणनीतिक हस्तक्षेप:** ➢ **मीथेन शमन:** लैंडफिल की आग को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर 'बायो-मेथेनेशन' के माध्यम से भारतीय अपशिष्ट की 40-60% कार्बनिक सामग्री का उपयोग करना। ➢ **चक्रीय पुनर्प्राप्ति:** 50% गीले कचरे के प्रसंस्करण से प्रति वर्ष ₹2,460 करोड़ का योगदान मिल सकता है। ➢ **नए अपशिष्ट प्रवाह:** लिथियम-आयन बैटरी कचरे में नौ गुना वृद्धि के लिए विशेष औपचारिक पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और बाधाएं	❖ **वित्त पोषण अंतराल:** 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए 22.7 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। वर्तमान निवेश 135 बिलियन डॉलर/वर्ष है; भारत को 500 बिलियन डॉलर/वर्ष की आवश्यकता है। ❖ **खनिज सुरक्षा:** 'ईंधन निर्भरता' से 'खनिज निर्भरता' की ओर संक्रमण। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे 'महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों' (CETMs) की मांग में 51% की वृद्धि होगी। ❖ **संसाधन संघर्ष:** 75% नवीकरणीय क्षमता जल-तनाव वाले राज्यों में केंद्रित है, जिससे भूमि-जल-ऊर्जा के बीच अंतर्संबंध (Nexus) की समस्या उत्पन्न हो रही है। ❖ **नई तकनीक:** CCUS (कार्बन कैप्चर) और छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों जैसी अभी तक बड़े पैमाने पर अपुष्ट तकनीकों पर निर्भरता।

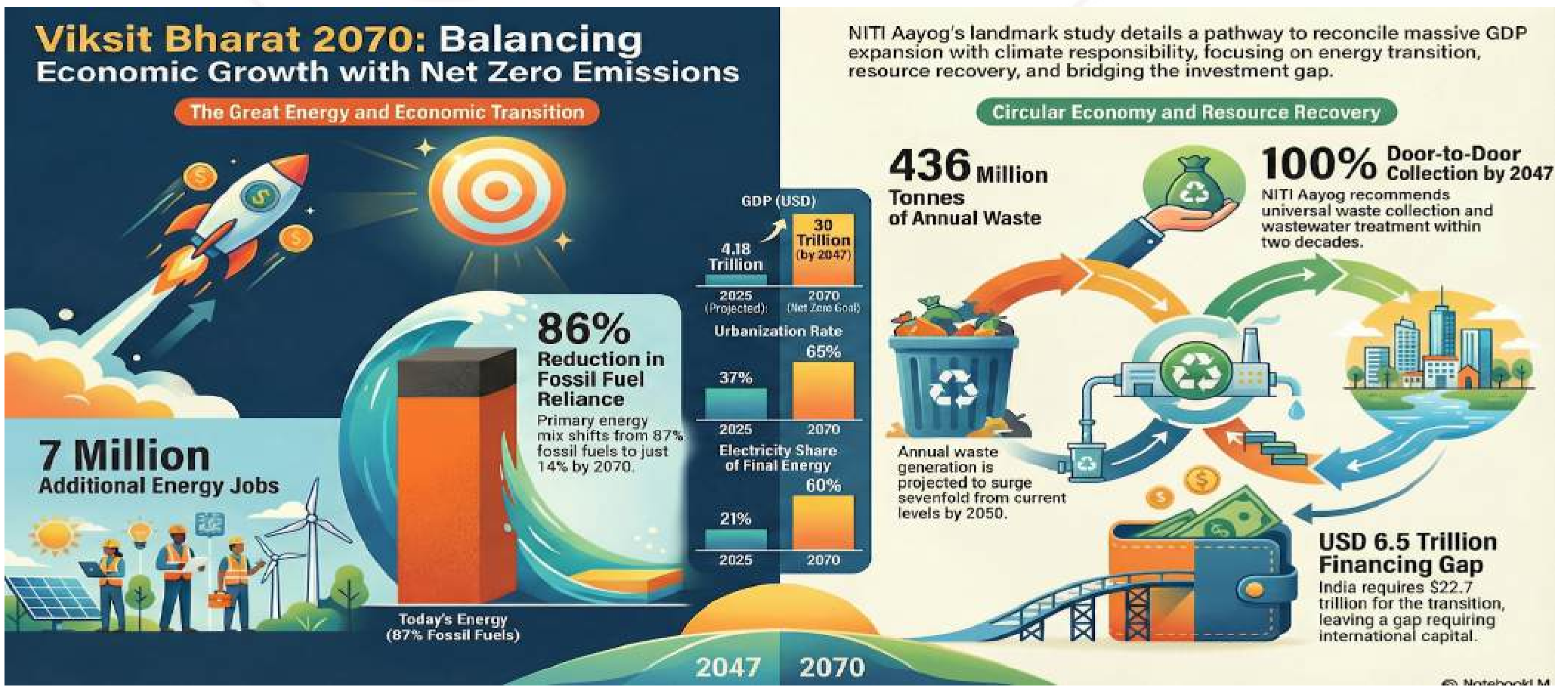

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

रणनीतिक सिफारिशें: आगे की राह	➢ **अपशिष्ट क्षेत्र में सुधार:** ➢ **सार्वभौमिक संग्रह:** 2047 तक 100% घर-घर कचरा संग्रह और अपशिष्ट जल उपचार सुनिश्चित करना। ➢ **नीतिगत बदलाव:** आयातित पुराने टायरों के 'पायरोलिसिस' पर प्रतिबंध लगाना; पुनर्चक्रित सामग्री मानकों को अनिवार्य करना। ➢ **एकीकरण:** अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना; स्रोत पर कचरा पृथक्करण को 'जन आंदोलन' बनाने के लिए 'मिशन लाइफ' (LiFE) का उपयोग करना। ❖ **अर्थव्यवस्था-व्यापी संक्रमण:** ➢ **Avoid–Shift–Improve:** अनावश्यक मांग से बचना (Avoid), निम्न-कार्बन मोड (सड़क के बजाय रेल) पर जाना (Shift), और दक्षता में सुधार (हरित भवन) करना (Improve)। ➢ **जलवायु वित्त:** एक राष्ट्रीय हरित वित्त संस्थान और एक एकीकृत जलवायु वित्त वर्गीकरण (Taxonomy) स्थापित करना। ➢ **लचीली आपूर्ति श्रृंखला:** विदेशी खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए 'काबिल' (KABIL) जैसे संस्थानों को सशक्त बनाना और घरेलू शोधन (refining) क्षमता बढ़ाना। ➢ **न्यायोचित संक्रमण (Just Transition):** 150 से अधिक कोयला-निर्भर जिलों में श्रमिकों के पुनर्कौशल के लिए 'जिला खनिज फाउंडेशन' (DMF) और 'स्किल इंडिया मिशन' का उपयोग करना।
निष्कर्ष	नीति आयोग का अध्ययन स्पष्ट करता है कि भारत का नेट जीरो संक्रमण जलवायु बोझ के बजाय एक रणनीतिक विकासात्मक अवसर है। कचरे को "सन्निहित ऊर्जा" (Embodied energy) के रूप में देखकर और तकनीक एवं 'सर्कुलरिटी' के माध्यम से संरचनात्मक अंतराल को पाटकर, भारत अपनी सामग्री आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित कर सकता है और ग्लोबल साउथ के लिए एक नया "भारतीय विकास मॉडल" पेश कर सकता है।

Topic 5 - भारत में ELVs की चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट

Syllabus	Paper I | Indian Economy
संदर्भ	नीति आयोग की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भारत में 'एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स' (ELVs) यानी अनुपयोगी वाहनों की संख्या 2030 तक दोगुनी होकर लगभग 5 करोड़ (50 मिलियन) हो सकती है। इससे प्रदूषण, सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन के गंभीर जोखिम उत्पन्न होंगे, साथ ही इसमें स्टील (इस्पात) प्राप्ति की भी अपार संभावनाएं छिपी हैं।
परिभाषा और उद्देश्य	❖ **ELVs:** वे वाहन जिन्हें सड़क के लिए अनुपयुक्त माना गया है, जिनका पंजीकरण अमान्य हो गया है, या जिन्हें मालिकों द्वारा स्वेच्छा से अपशिष्ट घोषित कर दिया गया है। ❖ **मुख्य उद्देश्य:** इन वाहनों का वैज्ञानिक तरीके से विखंडन (dismantling) और पुनर्चक्रण (recycling) सुनिश्चित करना। यह स्टील जैसे मूल्यवान पदार्थों की प्राप्ति और अनौपचारिक स्क्रैपिंग प्रथाओं से जुड़े पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वर्तमान रुझान और सांख्यिकी	अनुपयोगी वाहनों की संख्या में कमी लाने की दिशा में निम्नलिखित प्रमुख रुझान देखे गए हैं: ❖ **ELV की बढ़ती संख्या:** अनुपयोगी वाहनों की संख्या 2025 के 2.3 करोड़ से लगभग दोगुनी होकर 2030 तक 5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। ❖ **प्रदूषण का स्तर:** पुराने BS-I मानक वाले वाहन आधुनिक BS-VI मानकों वाले वाहनों की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। ❖ **स्टील प्राप्ति की क्षमता:** 2005 और 2023 के बीच निर्मित वाहनों से लगभग 9.8 करोड़ टन स्टील प्राप्त होने का विशाल अनुमान है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

<table>
<tr>
<td>बुनियादी ढांचे की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र का दबदबा</td>
<td>

❖ **बुनियादी ढांचे में कमी (अधिकृत परीक्षण स्टेशन - ATS):** वर्ष 2027 तक लगभग 500 ATS की आवश्यकता है। हालांकि, 2025 तक केवल 156 ही चालू हो पाए हैं।

❖ **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** वर्तमान में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़े हिस्से को संभाल रहा है, जो प्रति वर्ष 2-3 लाख ELVs का प्रसंस्करण करता है। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2025 में औपचारिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSFs) द्वारा केवल ~72,000 वाहनों का प्रबंधन किया गया।

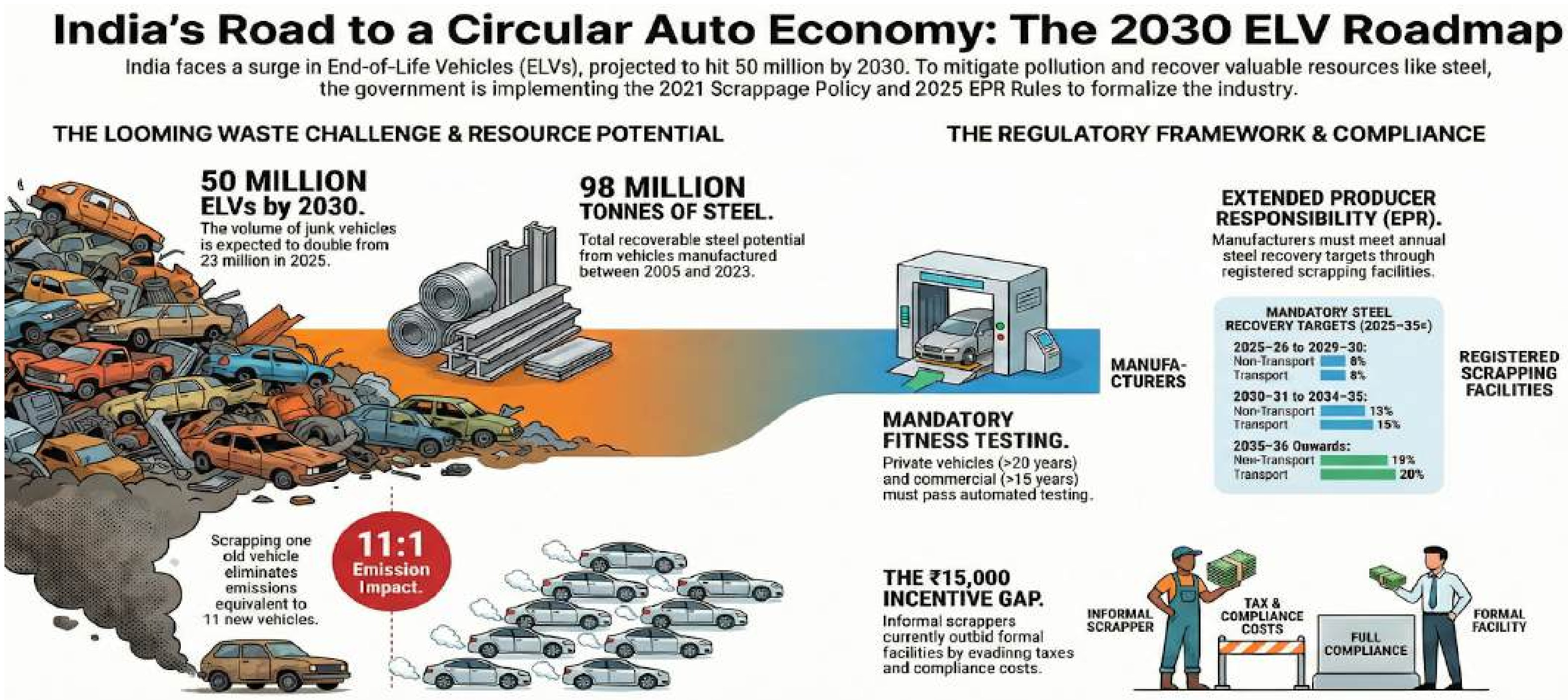

</td>
</tr>
<tr>
<td>नियामक उपाय और प्रोत्साहन</td>
<td>

❖ **स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति (2021):** पुराने वाहनों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 20 वर्ष से पुराने निजी वाहनों और 15 वर्ष से पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य करती है।

❖ **मोटर वाहन (RVSF) नियम, 2021:** यह पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है और 'जमा प्रमाणपत्र' (CoD) की व्यवस्था लागू करता है।

❖ **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) नियम, 2025:** यह मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) पर स्क्रैप किए गए वाहनों से स्टील जैसे पदार्थों की रिकवरी का लक्ष्य (जैसे शुरुआती 8%) निर्धारित करता है।

❖ **अनिवार्य स्वचालित परीक्षण (2024):** सभी परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र अब केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे।

❖ **SASCI सहायता:** केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग और ATS बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (SASCI) के तहत ₹2,000 करोड़ से अधिक आवंटित किए हैं।

</td>
</tr>
<tr>
<td>परिचालन संबंधी चुनौतियाँ</td>
<td>

❖ **अनौपचारिक क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा:** अनौपचारिक क्षेत्र के लोग GST और अनुपालन लागतों की बचत कर RVSFs की तुलना में अधिक कीमत की बोली लगाते हैं। इससे वाहन मालिक त्वरित नकदी के लिए असंगठित बाजार की ओर आकर्षित होते हैं।

❖ **बुनियादी ढांचे का असंतुलन:** ATS और RVSFs का संकेंद्रण कुछ ही राज्यों में है, जिससे उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों में इनकी पहुंच बहुत कम है।

❖ **प्रशासनिक बाधाएं:** पंजीकरण रद्द करने (de-registration) की प्रक्रिया अभी भी कागजी कार्रवाई पर निर्भर है, जिससे देरी होती है और 'घोस्ट व्हीकल्स' (भूतिया वाहन) की संख्या बढ़ती है, जो केवल VAHAN डेटाबेस पर सक्रिय होते हैं।

❖ **RVSFs की व्यवहार्यता:** उच्च प्रारंभिक निवेश और वाहनों की कम आवक के कारण RVSFs की वित्तीय स्थिति कमजोर है; ये अपनी क्षमता के 20% से भी कम पर कार्य कर रहे हैं।

❖ **परीक्षण की सत्यता:** कुछ ATS केंद्रों द्वारा बिना वास्तविक निरीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के मामले सामने आए हैं, जो सड़क सुरक्षा से समझौता है।

</td>
</tr>
</table>

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

नीति आयोग की सिफारिशें	❖ **बुनियादी ढांचे का विस्तार:** ➢ प्रत्येक जिले में कम से कम एक अधिकृत परीक्षण स्टेशन (ATS) स्थापित करना। ➢ उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा RVSFs स्थापित करना जहाँ निजी लाभ कम है। ❖ **अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारिकीकरण:** ➢ इस क्षेत्र को 'उद्यम असिस्ट' के साथ एकीकृत करना। ➢ औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पुरानी देनदारियों (liabilities) को माफ करना। ❖ **पर्यावरणीय उत्तरदायित्व (EPR) को बढ़ाना:** ➢ स्टील रिकवरी के लक्ष्यों को बढ़ाकर 2035 तक लगभग 35% करना। ❖ **डिजिटल और नियामक सुधार:** ➢ पारदर्शिता के लिए आधार-लिंक्ड स्वामित्व हस्तांतरण अनिवार्य करना। ➢ वाहन का पंजीकरण रद्द करने के लिए वैध 'जमा प्रमाणपत्र' (CoD) को पूर्व-शर्त बनाना। ❖ **स्क्रैपेज के लिए प्रोत्साहन:** ➢ औपचारिक स्क्रैपिंग के लिए 'कार्बन क्रेडिट' तंत्र शुरू करना, जिससे प्रति वाहन लगभग ₹2,000 का अतिरिक्त मूल्य प्राप्त हो सके।
निष्कर्ष	भारत की ELV चुनौती एक पर्यावरणीय जोखिम भी है और चक्रीय अर्थव्यवस्था का अवसर भी। औपचारिक-अनौपचारिक मूल्य अंतर को कम करके, बुनियादी ढांचे का विस्तार कर और डिजिटल पंजीकरण रद्दीकरण को लागू करके बड़े पैमाने पर स्टील रिकवरी और प्रदूषण में कमी के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।

Topic 6 - अवैध खनन का संकट

Syllabus	Paper I | Indian Economy | Industry
संदर्भ	मेघालय में एक घातक विस्फोट के बाद अवैध 'रैट-होल' (Rat-hole) कोयला खनन का मुद्दा पुनः गरमा गया है। यह लंबे समय से लगे प्रतिबंधों के बावजूद कमजोर प्रवर्तन, श्रम शोषण और पर्यावरणीय क्षति को उजागर करता है।
यह क्या है?	❖ **अवैध खनन:** बिना लाइसेंस/मंजूरी के अथवा न्यायालय के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर किया जाने वाला निष्कर्षण। ❖ **रैट-होल खनन:** 3-4 फीट संकरी सुरंगों या ऊर्ध्वाधर गड्ढों का उपयोग करने वाली एक आदिम विधि; यह अत्यधिक असुरक्षित और अवैज्ञानिक है। ❖ **कानूनी स्थिति:** एनजीटी (NGT) द्वारा प्रतिबंध (2014) जिसे उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है, फिर भी कम राख वाले कोयले की उच्च मांग के कारण यह जारी है।
प्रमुख रुझान	❖ **बार-बार होने वाली दुर्घटनाएं:** ईस्ट जयंतिया हिल्स में कुछ ही महीनों के भीतर कई घटनाएं। ❖ **निष्कर्षण का पैमाना:** मेघालय में प्रति वर्ष अनुमानित ~60 लाख टन कोयले का अवैध खनन। ❖ **निगरानी में कमी:** रिपोर्टों के अनुसार ~80% से अधिक उपग्रह चेतावनियों (MSS) पर कमजोर अनुवर्ती कार्रवाई (follow-up)। ❖ **संवेदनशील कार्यबल:** खतरनाक काम के लिए प्रवासी मजदूरों को ₹1,500–2,000 प्रतिदिन का भुगतान। ❖ **प्रतिबंध का उल्लंघन:** अभी भी हजारों अवैध गड्ढों के सक्रिय होने का अनुमान है।
प्रभाव (Implications)	❖ **जनहानि:** सुरंगों का ढहना, गैस विस्फोट और बाढ़ के कारण मौतें। ❖ **पर्यावरणीय क्षति:** खदानों से अम्लीय जल का रिसाव (Acid mine drainage), नदियों में विषाक्तता और जैव विविधता की हानि। ❖ **राजस्व की हानि:** रॉयल्टी/करों की चोरी → बड़े पैमाने पर राजकोषीय रिसाव।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **आपराधिक नेटवर्क:** कोयला माफिया, कार्यकर्ताओं को डराना-धमकाना और कानून-व्यवस्था की समस्याएं। ❖ **पारिस्थितिक अस्थिरता:** भू-धंसाव (Land subsidence), वनों की कटाई और मृदा अपरदन।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **राजनीतिक-आपराधिक सांठगांठ:** स्थानीय प्रभाव सख्त कार्रवाई में बाधा डालता है। ❖ **दुर्गम क्षेत्र:** वनाच्छादित और दूरस्थ पहाड़ियाँ वास्तविक समय की निगरानी को सीमित करती हैं। ❖ **आजीविका पर निर्भरता:** कृषि की तुलना में अधिक मजदूरी स्थानीय समर्थन को बनाए रखती है। ❖ **तकनीकी प्रवर्तन की कमजोरी:** MSS अलर्ट के बाद जमीनी सत्यापन की धीमी गति। ❖ **कानूनी अस्पष्टता:** पुराने स्टॉक के दावों का उपयोग नए अवैध कोयले को छिपाने के लिए किया जाता है।
सरकारी कदम	❖ **खनन निगरानी प्रणाली (MSS):** अनधिकृत खनन का पता लगाने के लिए उपग्रह-आधारित तकनीक। ❖ **MMDR संशोधन (प्रस्तावित):** कड़े दंड और उच्च जवाबदेही का प्रावधान। ❖ **न्यायिक समितियाँ:** अवैध परिवहन की निगरानी और पुनर्स्थापन (restoration)। ❖ **अनुग्रह राशि (Ex Gratia):** दुर्घटनाओं के बाद पीड़ितों के परिवारों को तत्काल मुआवजा।
आगे की राह	❖ **सैटेलाइट-टू-एक्शन नियम:** MSS अलर्ट पर पुलिस की समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। ❖ **वैज्ञानिक खनन की ओर संक्रमण:** जहाँ अनुमति हो, वहाँ विनियमित और सुरक्षा-सम्मत निष्कर्षण। ❖ **वैकल्पिक आजीविका:** कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए पर्यटन, जैव-अर्थव्यवस्था और कौशल कार्यक्रम। ❖ **डिजिटल ट्रैकिंग:** कोयले की आवाजाही के लिए GPS ट्रक, स्मार्ट वे-ब्रिज और ई-ट्रांजिट पास। ❖ **विशेष खनन न्यायालय:** माफियाओं और आदतन अपराधियों को रोकने के लिए त्वरित सुनवाई।
निष्कर्ष	कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक प्रोत्साहन, कमजोर स्थानीय प्रवर्तन और आजीविका की निर्भरता के कारण अवैध खनन जारी है। खतरनाक 'रैट-होल' प्रथाओं को सुरक्षित और सतत संसाधन शासन से बदलने के लिए तकनीक-संचालित निगरानी, सख्त जवाबदेही और व्यवहार्य वैकल्पिक रोजगार का समन्वय आवश्यक है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

History

Topic 1 - संस्कृति और भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

Syllabus	Paper I | Art & Culture
संदर्भ	भारत अपनी विशाल सांस्कृतिक विरासत को सुलभ डिजिटल संपत्तियों में बदलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को संस्थागत रूप दे रहा है। 'स्थिर संरक्षण' से 'सक्रिय सहभागिता' की ओर बढ़ते हुए, राष्ट्रीय मंच डिजिटल और भाषाई विभाजन को पाटने के लिए AI को "मानवता के लिए प्रौद्योगिकी" के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरासत सभी के लिए एक जीवंत परिसंपत्ति बन जाए।

AI-संचालित राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र: प्रमुख मंच

पहल	फोकस क्षेत्र	मुख्य प्रभाव
भाषिणी (BHASHINI)	राष्ट्रीय अनुवाद मिशन	22 अनुसूचित भाषाओं में AI-आधारित आवाज और पाठ सेवाएँ; कुंभ 'सह-AI-यक' चैटबॉट को संचालित किया।
ज्ञान भारतम	पाण्डुलिपि विरासत	44 लाख से अधिक पाण्डुलिपियों के डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन (2024–31)।
आदि वाणी	जनजातीय भाषाएँ	संथाली, भीली और गोंडी जैसी भाषाओं के लिए मौखिक परंपराओं और लिपियों का संरक्षण।
अनुवादिनी	शिक्षा/तकनीकी	तकनीकी और शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने हेतु AICTE का उपकरण।
भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (TDIL)	मानकीकरण	भारतीय लिपियों के लिए कोर OCR, मशीन अनुवाद और हस्तलेखन पहचान विकसित करना।

संरक्षण और सशक्तिकरण में AI की भूमिका	❖ **खोज और डिकोडिंग:** AI नाजुक पाण्डुलिपियों की उच्च-गति स्कैनिंग और बुद्धिमत्तापूर्ण वर्गीकरण (cataloging) को सक्षम बनाता है। 'ज्ञान-सेतु' चुनौती विशेष रूप से प्राचीन कृतियों के AI-आधारित पुनरुद्धार पर केंद्रित है। ❖ **पहुंच का लोकतंत्रीकरण:** वास्तविक समय में 'स्पीच-टू-टेक्स्ट' अनुवाद साक्षरता की बाधाओं को दूर करता है। ➢ **उदाहरण:** काशी तमिल संगमम 2.0 में प्रधानमंत्री मोदी के हिंदी भाषण का 'भाषिणी' के माध्यम से तुरंत तमिल में अनुवाद किया गया। ❖ **मौखिक परंपराओं का पुनरुद्धार:** AI उन भाषाओं के सामुदायिक आख्यानों को लिपिबद्ध करता है जिनकी कोई लिपि नहीं है, जिससे डिजिटल युग में जनजातीय लोककथाओं का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। ❖ **शिल्पकार एकीकरण:** AI उपकरण शिल्पकारों को वैश्विक बहुभाषी कैटलॉग में अपने GI-टैग वाले उत्पादों को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होती है और आजीविका में सुधार होता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	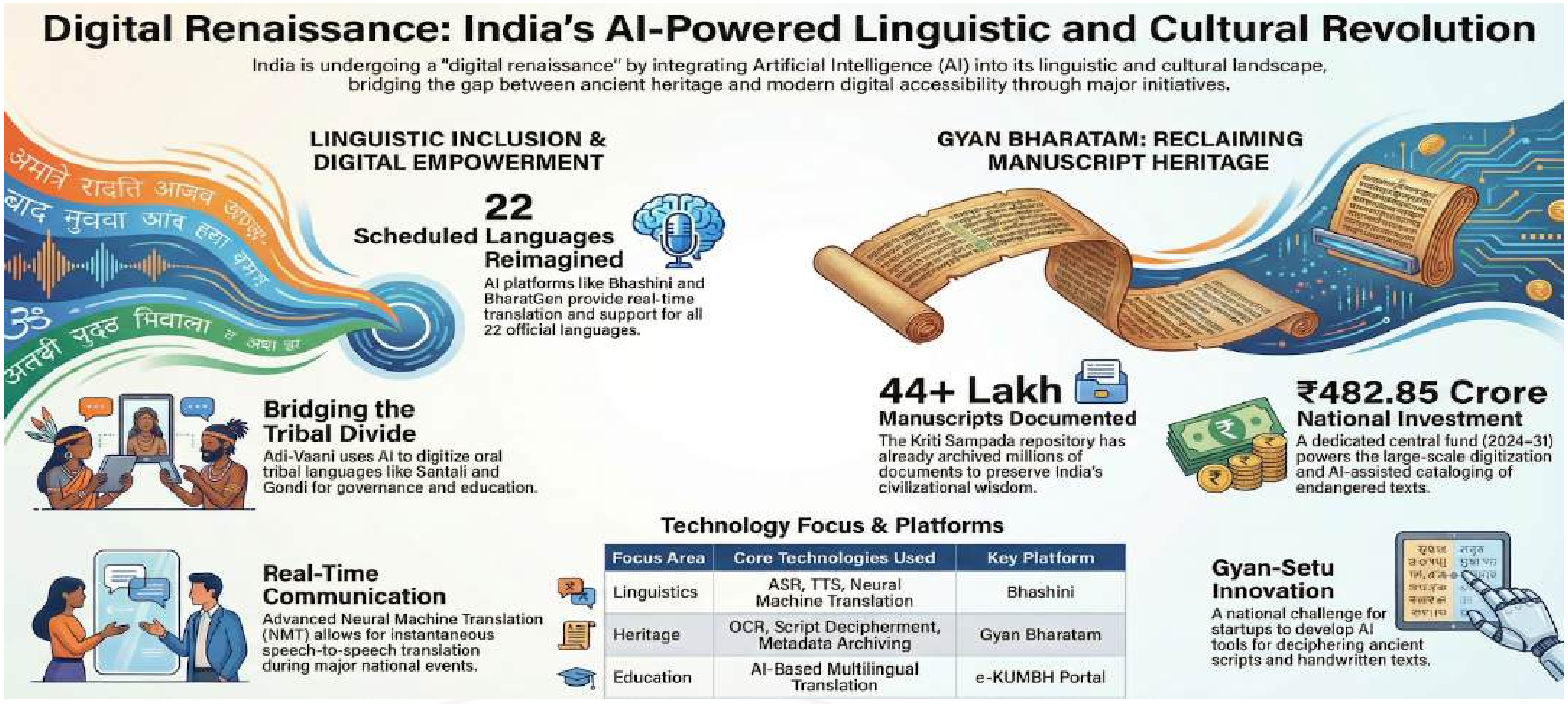
महत्वपूर्ण चुनौतियाँ	❖ **अल्प-संसाधन डेटा (Low-Resource Data):** कुई और गारो जैसी भाषाओं में सटीक 'लार्ज लैंग्वेज मॉडल' (LLMs) को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक विशाल डिजिटल पाठ संग्रह (text corpora) का अभाव है। ❖ **डिजिटल विभाजन:** जनजातीय क्षेत्रों में सीमित कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता परिष्कृत AI प्लेटफार्मों के उपयोग में बाधा डालती है। ❖ **प्रामाणिकता के जोखिम:** डिजिटलीकरण पारंपरिक ज्ञान के स्वामित्व और स्वदेशी डिजाइनों के संभावित दुरुपयोग के संबंध में चिंताएं पैदा करता है। ❖ **बुनियादी ढांचे का अभाव:** AI के लिए उच्च गणना (compute) आवश्यकताओं के कारण दूरस्थ विरासत स्थलों के लिए 'ऑफलाइन-सक्षम' मॉडल की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
आगे की राह	❖ **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) के रूप में भाषा:** "भाषा स्तर" (Language Layer) का विस्तार करना ताकि निजी क्षेत्र ओपन-सोर्स सरकारी मॉडल पर समावेशी ऐप बना सके। ❖ **समुदाय-आधारित AI:** जनजातीय बुजुर्गों और भाषाविदों को शामिल करना ताकि AI मॉडल संदर्भगत बारीकियों और मुहावरों को सटीक रूप से ग्रहण कर सकें। ❖ **ऑफलाइन पहुंच:** "अंतिम मील" के सांस्कृतिक कार्यकर्ता के लिए कम-बैंडविड्थ और विकेंद्रीकृत AI समाधान विकसित करना। ❖ **वैश्विक नेतृत्व:** भारत के स्केलेबल बहुभाषी AI मॉडल को 'ग्लोबल साउथ' के अन्य भाषाई विविधता वाले देशों को निर्यात करना।
निष्कर्ष	'भाषिणी' और 'ज्ञान भारतम' जैसे मिशनों के माध्यम से, भारत AI को अपनी सभ्यतागत पहचान के संरक्षक के रूप में स्थापित कर रहा है। तकनीकी प्रगति को सामाजिक सशक्तिकरण के साथ जोड़कर, राष्ट्र यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी समृद्ध विरासत डिजिटल युग में जीवंत और सुलभ बनी रहे।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Science and Technology

Topic 1 - भारत में मलेरिया उन्मूलन

Syllabus	Paper II | Science | Biology | Health
संदर्भ	भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। वर्ष 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों में **80%** से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही, 160 जिलों में पिछले तीन वर्षों से कोई भी स्थानीय (indigenous) मामला सामने नहीं आया है।
यह क्या है?	❖ **मलेरिया उन्मूलन (Elimination):** किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थानीय संचरण का रुकना अर्थात मानव मलेरिया परजीवियों के शून्य स्थानीय मामले। ❖ **उन्मूलन बनाम उन्मूलन (Eradication):** 'इरेडिकेशन' का अर्थ वैश्विक स्तर पर रोग की स्थायी अनुपस्थिति (शून्य वैश्विक घटना) से है।
मलेरिया में कमी के प्रमुख रुझान और आँकड़े	मलेरिया के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसे निम्नलिखित रुझानों से समझा जा सकता है: ❖ **मामलों में तीव्र गिरावट:** मलेरिया के मामले 2015 के 11.69 लाख से घटकर 2023 में लगभग 2.27 लाख हो गए हैं, जो **80.5%** की कमी को दर्शाता है। ❖ **मृत्यु दर में कमी:** मलेरिया से होने वाली मौतों में लगभग **78%** की गिरावट आई है, वर्ष 2023 में केवल 83 मौतें दर्ज की गई हैं। 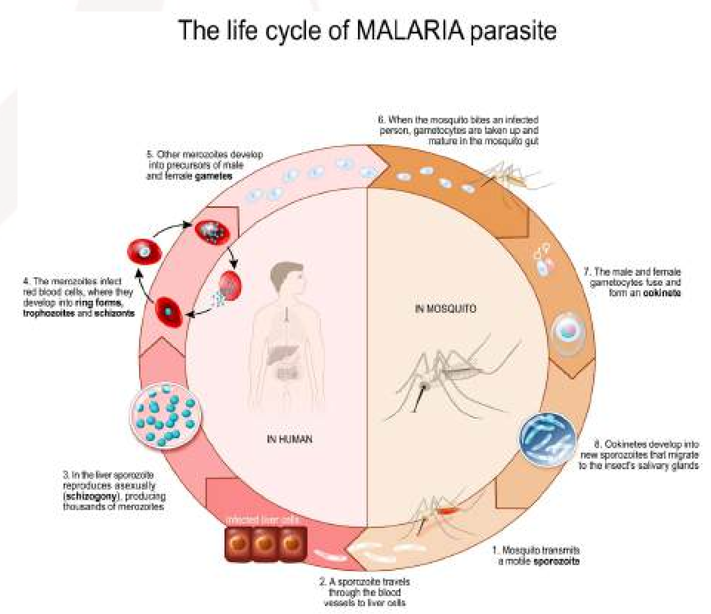 ❖ **निगरानी में वृद्धि:** वार्षिक रक्त परीक्षण दर (**ABER**) 2015 के 9.58 से बढ़कर 2023 में 11.62 हो गई है। यह कुल मामलों में कमी के बावजूद बेहतर परीक्षण और निगरानी प्रयासों का संकेत देता है। ❖ **प्रमुख प्रजातियां और पुनरावृत्ति (Relapse) का जोखिम:** लगभग 40% मामले अब **प्लाज्मोडियम विवैक्स (Plasmodium vivax)** के कारण होते हैं। यह प्रजाति अपनी सुप्त यकृत अवस्था (dormant liver stage) के कारण पुनरावृत्ति का जोखिम पैदा करती है। ❖ **भौगोलिक संकेंद्रण:** 85% से अधिक मामले कुछ ही राज्यों में केंद्रित हैं, मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ❖ **शून्य संचरण जिले:** 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 160 जिलों ने 2022 और 2024 के बीच शून्य स्थानीय मलेरिया संचरण को सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
चुनौतियाँ	❖ **P. vivax का पुनरावृत्ति (Relapse):** यकृत में सुप्त अवस्था की उपस्थिति के कारण मच्छर के नए काटने के बिना भी संक्रमण दोबारा हो सकता है। ❖ **उभरती औषधि प्रतिरोधकता:** आर्टेमिसिनिन-आधारित संयोजन चिकित्सा (**ACTs**) के प्रति आंशिक प्रतिरोध विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ❖ **मामलों का आयात (Importation):** उन्मूलन के करीब पहुँच चुके राज्य प्रवासन के कारण उच्च-भार वाले क्षेत्रों से आने वाले मामलों के प्रति संवेदनशील हैं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **शहरी संचरण:** एनोफिलीज स्टीफेंसी मच्छर घरेलू जल स्रोतों जैसे टैंकों, कुओं और निर्माण स्थलों में पनप कर शहरी मलेरिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ❖ **कीटनाशक प्रतिरोध:** मच्छरों ने सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स के खिलाफ जीवित रहने की क्षमता विकसित कर ली है, जिससे अधिक महंगे, दोहरे कीटनाशक वाले जाल तैनात करने की आवश्यकता हो रही है।

प्रमुख पहलें

भारत	वैश्विक
मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा (2016–2030): संचरण की तीव्रता के आधार पर राज्यों का श्रेणीकरण।	**WHO वैश्विक तकनीकी रणनीति (GTS):** 2030 तक रुग्णता और मृत्यु दर में 90% की कमी।
राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2023–27): 3Ts – टेस्ट (परीक्षण), ट्रीट (उपचार), ट्रैक (निगरानी); शून्य स्थानीय मामलों का लक्ष्य।	**WHO E-2025 पहल:** उन्मूलन के निकट वाले देशों को सहायता।
एकीकृत वाहक प्रबंधन: आदिवासी/वन क्षेत्रों में LLIN (कीटनाशक युक्त मच्छरदानी) वितरण + आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव (IRS)।	**मलेरिया टीके:** अफ्रीका में RTS,S और R21 की शुरुआत, जो निवारक दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक है।
MERA इंडिया (ICMR): परिचालन अनुसंधान, नवाचार, औषधि और वाहक (vector) अध्ययन।	

आगे की राह	❖ **निगरानी सुदृढ़ करना:** शून्य और निकट-शून्य संचरण वाले जिलों में 'केस-आधारित जांच' को एक मुख्य उपकरण के रूप में लागू करना। ❖ **अनिवार्य रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना:** निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को अनिवार्य मामला अधिसूचना प्रणाली में एकीकृत करना। ❖ **अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना:** शहरी नियोजन, स्वच्छता और जल प्रबंधन के बीच समन्वित प्रयास सुनिश्चित करना। ❖ **सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन:** व्यवहार परिवर्तन संचार (**BCC**) का उपयोग करके सामुदायिक स्तर पर लार्वा नियंत्रण और मच्छरदानी के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना। ❖ **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा:** दोहरे कीटनाशक वाले जालों के विकास को प्राथमिकता देना और मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन (MERA) के नेतृत्व में क्षेत्रीय अनुसंधान को मजबूत करना।
निष्कर्ष	भारत में मलेरिया का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है और शून्य-संचरण क्षेत्र बढ़ रहे हैं। हालांकि, प्राप्त सफलताओं को बनाए रखना और शेष आदिवासी तथा शहरी हॉटस्पॉट्स को समाप्त करना ही मलेरिया मुक्त दशक की अंतिम सफलता का निर्धारण करेगा।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 2 - रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि	
Syllabus	Science & Technology | Defence Technology
संदर्भ	ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट में 15.2% की वृद्धि** की घोषणा की, जो बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और तीव्र क्षमता निर्माण की दिशा में बदलाव का संकेत है।
यह क्या है?	❖ **पूंजीगत व्यय / पूंजीगत परिव्यय:** बजट का वह भाग जिसका उपयोग **आधुनिकीकरण और परिसंपत्ति निर्माण** के लिए किया जाता है → लड़ाकू जेट, जहाज, पनडुब्बियां, मिसाइलें, तकनीकी प्रणालियाँ। ❖ **रणनीतिक धुरी (Strategic Pivot): मानवशक्ति-केंद्रित व्यय से हटकर → प्रौद्योगिकी-गहन क्षमता निर्माण** की ओर बढ़ना। ❖ **वित्तीय वर्ष 27 पूंजीगत परिव्यय: ~₹2.19 लाख करोड़** (वर्ष-दर-वर्ष लगभग 8% की वृद्धि)।
मुख्य बजट डेटा	❖ **कुल रक्षा आवंटन: ₹7.85 लाख करोड़** → सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक। ❖ **आधुनिकीकरण पर ज़ोर:** पूंजी अधिग्रहण में ~**22%** की वृद्धि। ❖ **घरेलू खरीद लक्ष्य: 75% भारतीय उद्योग के लिए आरक्षित** (~₹1.39 लाख करोड़)। ❖ **BRO (सीमा सड़क संगठन) आवंटन:** सुरंगों, पुलों और सीमा सड़कों के लिए **₹7,394 करोड़**। 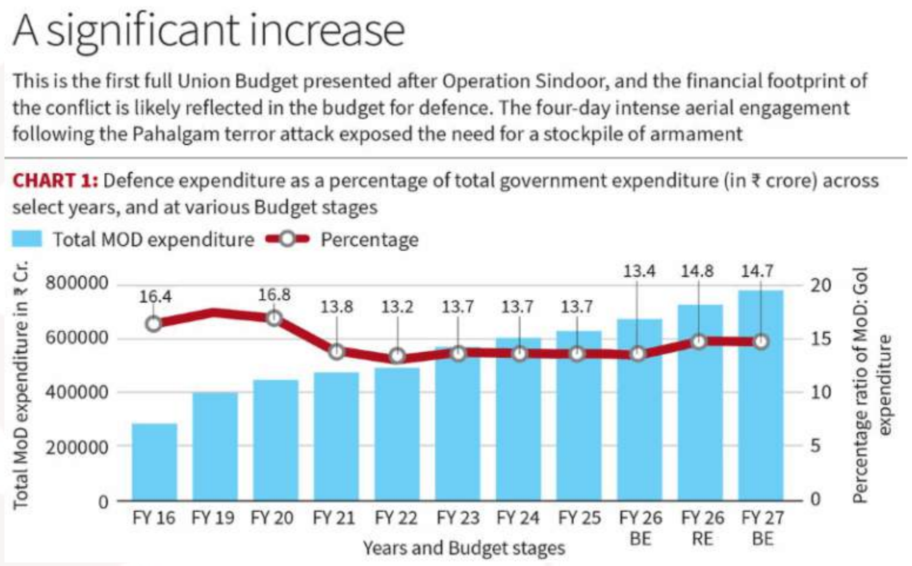 ❖ **DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) R&D बजट:** अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी, स्वदेशी नवाचार के लिए **₹29,100 करोड़**। ❖ **सीमा शुल्क छूट (Customs Duty Waiver):** विमान/MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल) क्षेत्र के लिए कच्चा माल सस्ता किया गया → **घरेलू एयरोस्पेस इकोसिस्टम** को बढ़ावा।
रक्षा पूंजीगत व्यय क्यों बढ़ रहा है?	❖ **युद्ध भंडार की भरपाई:** हाल के संघर्षों में समाप्त हुए **गोला-बारूद और सटीक munitions** को बदलना। ❖ **दो-मोर्चे की रोकथाम (Two-Front Deterrence): चीन-पाकिस्तान खतरे के स्पेक्ट्रम** के विरुद्ध एक साथ तत्परता। ❖ **समुद्री सुरक्षा (IOR - हिंद महासागर क्षेत्र):** समुद्री मार्गों और choke points की निगरानी के लिए **पनडुब्बी और सतह बेड़े** को मजबूत करना। ❖ **तकनीकी श्रेष्ठता: AI, साइबर, ड्रोन, अंतरिक्ष युद्ध और EW (इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर) प्रणालियों** में निवेश। ❖ **सीमा संपर्कता:** सैनिकों और लॉजिस्टिक्स की तेजी से लामबंदी के लिए **ऑल-वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर (हर मौसम में उपयोग होने वाला बुनियादी ढाँचा)**।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

मुख्य चुनौतियाँ	❖ **संरचनात्मक असंतुलन: वेतन + पेंशन** का एक बड़ा हिस्सा उपभोग; पेंशन ~**₹1.7 लाख करोड़**। ❖ **अवशोषण क्षमता:** घरेलू फर्मों को **कार्यान्वयन में देरी और खंडित योजना** का सामना करना पड़ता है। ❖ **आयात निर्भरता:** उच्च-स्तरीय उप-प्रणालियाँ (जैसे, **एयरो-इंजन, सेंसर**) अभी भी विदेशी स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं। ❖ **परियोजना में देरी:** पनडुब्बियों, विमानों, स्वदेशी प्लेटफार्मों में लंबी gestation अवधि → **क्षमता अंतराल (capability gaps)**। ❖ **कम जीडीपी अनुपात:** रक्षा व्यय **जीडीपी का ~2%** है, जो दो-मोर्चे के परिदृश्य के लिए अनुशंसित **2.5–3%** से कम है।
आगे की राह (Way Forward)	❖ **संस्थागत तीव्र-ट्रैक खरीद:** महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए आपातकालीन खरीद मानदंडों को **स्थायी बनाना**। ❖ **थिएटर कमांड का गठन और Jointness:** एकीकृत कमान, **सेवाओं के बीच संसाधनों का समन्वय (resource pooling)**। ❖ **IP-आधारित स्वदेशी डिज़ाइन:** केवल असेंबली नहीं, बल्कि **मुख्य प्रौद्योगिकियाँ और पेटेंट** स्वयं के पास रखना। ❖ **रक्षा निर्यात पर ज़ोर:** मॉड्यूलर, स्केलेबल प्रणालियों के माध्यम से **₹35,000 करोड़+ वार्षिक निर्यात** का लक्ष्य। ❖ **MSME एकीकरण:** इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, स्पेयर पार्ट्स और ड्रोन के लिए **घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएँ** बनाना।
निष्कर्ष	भारत का वित्तीय वर्ष 2026-27 का रक्षा पूंजीगत व्यय **तत्परता + आत्मनिर्भरता की दोहरी रणनीति** को दर्शाता है, लेकिन वास्तविक सफलता **समय पर स्वदेशी वितरण, कम आयात निर्भरता और संरचनात्मक सुधारों** पर निर्भर करेगी जो उच्च आवंटन को वास्तविक युद्धक क्षमता में परिवर्तित करते हैं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Environment & Geography

Topic 1 - विश्व बैंक – A Breath of Change रिपोर्ट

Topic	Paper II | Environment | Air Pollution
संदर्भ	विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट सचेत करती है कि भारत-गंगा के मैदान और हिमालय की तलहटी (IGP-HF) क्षेत्र में रहने वाले लगभग 1 अरब लोग दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। यह स्थिति तत्काल 'सीमा-पारीय सहयोग' (Transboundary Cooperation) की मांग करती है।
यह क्या है?	❖ **विषय:** भारत-गंगा के मैदान और हिमालय की तलहटी के वायुक्षेत्र (Airshed) में क्षेत्रीय वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की रणनीतिक समाधान रिपोर्ट। ❖ **व्याप्ति:** भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के 13 क्षेत्राधिकारों को कवर करती है। ❖ **प्रस्तावित ढांचा:** '4Is फ्रेमवर्क' → सूचना (Information), प्रोत्साहन (Incentives), संस्थान (Institutions) और अवसंरचना (Infrastructure)। ❖ **मुख्य उद्देश्य:** केवल निदान से आगे बढ़कर एक कार्ययोजना आधारित क्षेत्रीय रोडमैप तैयार करना।
प्रमुख आंकड़े	❖ **स्वास्थ्य पर भार:** इस क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 10 लाख असामयिक मौतें। ❖ **आर्थिक हानि:** वायु प्रदूषण से होने वाली क्षति इस क्षेत्र के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 10% के बराबर है। ❖ **जीवन प्रत्याशा:** $PM_{2.5}$ के संपर्क में रहने के कारण जीवन प्रत्याशा में 3 वर्ष से अधिक की कमी। ❖ **छात्रों पर प्रभाव:** सरकारी स्कूलों के 81% बच्चे हानिकारक $PM_{2.5}$ (>35 μg/m^3) के स्तर में सांस लेते हैं। ❖ **बाहरी प्रदूषण की हिस्सेदारी:** कई शहरों में 50% से अधिक $PM_{2.5}$ स्थानीय सीमाओं के बाहर से आता है। ❖ **प्रदूषण की तीव्रता:** $PM_{2.5}$ का स्तर WHO के दिशा-निर्देशों से 8 से 20 गुना अधिक है। ❖ **सीमा-पारीय उदाहरण:** नेपाल के तराई क्षेत्र में लगभग 68% प्रदूषण अन्य क्षेत्रों से आता है। ❖ **लक्ष्य:** "35 बाई 35" ('35 by 35') → WHO के अंतरिम स्वच्छ वायु मानक के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करना।
सीमा-पारीय प्रदूषण के कारण	❖ **भूगोल और स्थलाकृति:** हिमालय प्रदूषकों को रोक लेता है, जिससे सर्दियों में 'स्मॉग' (धुंध) और 'तापीय प्रतिलोमन' (Inversion layers) की स्थिति बनती है। ❖ **पवन का स्वरूप:** उत्तर-पश्चिमी हवाएं सीमाओं के पार सूक्ष्म कणों (Particulates) को ले जाती हैं। ❖ **द्वितीयक कण:** SO_2 और अमोनिया लंबी दूरी तय करते हैं और अन्य स्थानों पर $PM_{2.5}$ का निर्माण करते हैं। ❖ **पराली जलाना:** मौसमी रूप से फसल अवशेषों को जलाने से क्षेत्रीय स्तर पर धुंध का संकट उत्पन्न होता है। ❖ **औद्योगिक संकुल:** ताप विद्युत संयंत्र और MSME बेल्ट व्यापक रूप से उत्सर्जन फैलाते हैं।
की गई पहलें	❖ **काठमांडू रोडमैप (2022):** क्षेत्रीय विज्ञान-नीति समन्वय। ❖ **थिम्पू परिणाम (2024):** "35 बाई 35" स्वच्छ वायु दृष्टिकोण को अपनाना। ❖ **माले घोषणा:** गैर-बाध्यकारी क्षेत्रीय निगरानी और सहयोग मंच। ❖ **भारत - NCAP:** 130 से अधिक शहरों में PM_{10} में कमी लाने का मिशन। ❖ **बाजार पायलट:** सूरत ETS – विश्व की पहली सूक्ष्म कण उत्सर्जन व्यापार प्रणाली।
चुनौतियाँ	❖ **संस्थागत विखंडन:** मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी और पृथक रूप से कार्य करना। ❖ **वित्त पोषण का अभाव:** अस्थिर दानदाता वित्त पोषण पर निर्भरता। ❖ **कमजोर प्रवर्तन:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में कर्मचारियों की कमी।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **डेटा की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी नेटवर्क का अभाव। ❖ **आर्थिक बाधाएं:** MSMEs और किसानों के लिए अनुपालन की उच्च लागत।
आगे की राह – 4Is मॉडल	❖ **सूचना (Information):** वास्तविक समय के मॉनिटर, उपग्रह और 'जियो-एआई' (GeoAI) प्रदूषण मानचित्रण का विस्तार करना। ❖ **प्रोत्साहन (Incentives):** जीवाश्म ईंधन और उर्वरक सब्सिडी को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और स्वच्छ तकनीक की ओर मोड़ना। ❖ **संस्थान (Institutions):** समर्पित 'स्वच्छ वायु अधिनियम' और एक स्थायी क्षेत्रीय सचिवालय का गठन। ❖ **अवसंरचना (Infrastructure):** क्षेत्रीय पावर ग्रिड, EV चार्जिंग स्टेशन और साझा औद्योगिक बॉयलर। ❖ **बाजार उपकरण:** उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS), प्रदूषण कर और हरित वित्त तंत्र को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष	भारत-गंगा के मैदान और हिमालय की तलहटी में वायु प्रदूषण एक साझा क्षेत्रीय संकट है, न कि किसी एक देश की समस्या। समन्वित नीतियों, वित्त पोषण और प्रवर्तन के माध्यम से "35 बाई 35" लक्ष्य प्राप्त करना, इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को लगभग एक अरब लोगों के लिए निम्न-कार्बन और सतत विकास में बदल सकता है।

Topic 2 - वैश्विक जलवायु शासन (Global Climate Governance)

Syllabus	Environment | Climate Change
संदर्भ	कॉप-30 (COP30, बेलेम, ब्राजील) के बाद की चर्चा 'ग्लोबल मुतिराव' (Global Mutirão - सामूहिक प्रयास) की ओर स्थानांतरित हो गई है। हालांकि, कमजोर बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं, वित्त की कमी और 1.5°C की सीमा के उल्लंघन (overshoot) की मौन स्वीकृति के कारण आलोचना अभी भी जारी है।
यह क्या है?	❖ **जलवायु शासन:** ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन (adaptation) के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, घरेलू कानूनों और संस्थानों (जैसे UNFCCC) का एक नेटवर्क। ❖ **मुख्य ध्यान:** एनडीसी (NDCs) का समन्वय, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जवाबदेही।
वर्तमान वैश्विक संरचना	❖ **दोहरा ट्रैक तंत्र (Dual-Track System):** सी.एम.पी. (CMP - क्योटो प्रोटोकॉल) + सी.एम.ए. (CMA - पेरिस समझौता) → राजनैयिक निरंतरता तो है, परंतु अनिवार्य अंतिम लक्ष्य अनुपस्थित हैं। ❖ **सर्वसम्मति वीटो (Consensus Veto):** लगभग 200 राष्ट्र → प्रत्येक के पास वीटो शक्ति है → इसके परिणामस्वरूप अंतिम समझौतों के मसौदे कमजोर हो जाते हैं। ❖ **ग्लोबल मुतिराव (कॉप-30):** सख्त सरकारी दायित्वों के बजाय स्वैच्छिक, जन-केंद्रित और बहु-हितधारक सहयोग पर आधारित। ❖ **उन्नत पारदर्शिता ढांचा (ETF):** एनडीसी (NDCs) के मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) की अधिक सुदृढ़ व्यवस्था।
प्रमुख रुझान	❖ **सर्वाधिक उत्सर्जन:** 2024 में ~57.4 $GtCO_2e$ → अब तक का उच्चतम स्तर। ❖ **तापमान मार्ग:** वर्तमान नीतियां → ~2.8°C ऊष्मण (warming) बनाम 1.5°C का लक्ष्य। ❖ **वित्त अंतराल:** प्रति वर्ष 2.4–3 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता बनाम अत्यधिक कम प्रतिबद्धताएं। ❖ **अनुकूलन की कमी (Adaptation Deficit):** 2022 में केवल ~$32 बिलियन अनुकूलन कार्यों के लिए निर्देशित। ❖ **भारत:** G20 देशों में पूर्ण उत्सर्जन वृद्धि (absolute emission rise) के उच्चतम स्तरों वाले देशों में शामिल।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **कार्यान्वयन अंतराल:** महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञाएं, परंतु समय सीमा और वित्त पोषण कमजोर। ❖ **विकास बनाम स्थिरता:** बुनियादी ढांचा और रोजगार अक्सर पारिस्थितिकी (ecology) पर भारी पड़ते हैं। ❖ **कोयले पर निर्भरता:** ऊर्जा सुरक्षा (बेस-लोड) बनाम कार्बन मुक्तिकरण (decarbonisation)। ❖ **शहरी संवेदनशीलता:** 'हीट आइलैंड' (Heat islands), बाढ़ और कमजोर लचीलापन नियोजन। ❖ **राजनीतिक अल्पकालिकता:** दीर्घकालिक जलवायु सुधार के बजाय केवल आपदा प्रतिक्रिया पर ध्यान।
प्रमुख पहलें	❖ **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF):** प्रस्तावित $125 बिलियन का वन संरक्षण कोष। ❖ **हानि और क्षति कोष (Loss & Damage Fund):** जलवायु प्रभावित राष्ट्रों के लिए वित्तीय राहत कोष का संचालन। ❖ **ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलरेटर (GIA):** 1.5°C के लक्ष्य के प्रति स्वैच्छिक तकनीकी संरेखण। ❖ **पीएम सूर्य घर योजना (भारत):** 1 करोड़ (10 मिलियन) परिवारों के लिए छत पर सौर ऊर्जा (rooftop solar) को बढ़ावा।
आगे की राह	❖ **कानूनी रूप से बाध्यकारी रोडमैप:** जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए समयबद्ध योजना। ❖ **जलवायु वित्त सुधार:** कम ब्याज और लंबी अवधि वाले हरित ऋण (Green loans)। ❖ **उप-राष्ट्रीय शासन:** अनुकूलन कार्यों में शहरों और राज्यों का नेतृत्व। ❖ **प्रकृति-आधारित समाधान:** 'ब्लू-ग्रीन' बुनियादी ढांचा, शहरी वन और मैंग्रोव संरक्षण। ❖ **सार्वभौमिक जलवायु बीमा:** किसानों और तटीय आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष	वैश्विक जलवायु शासन मंचों की बढ़ती संख्या को तो दर्शाता है, लेकिन बढ़ता उत्सर्जन कूटनीति और क्रियान्वयन के बीच की खाई को उजागर करता है। जैसे-जैसे 1.5°C की खिड़की तेजी से संकरी हो रही है, वित्त की उपलब्धता, बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

Topic 3 - राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तु के रूप में आर्द्रभूमि

Syllabus	Paper III | Environment & Biodiversity
संदर्भ	भारत ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर दो नए रामसर स्थलों - **पटना पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)** और **छारी-ढंढ (गुजरात)** - को जोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है, जो आर्द्रभूमि को साझा पारिस्थितिक संपत्ति के रूप में रेखांकित करती है।
यह क्या है?	❖ **आर्द्रभूमि (Wetland):** वे भू-क्षेत्र जो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से जल से संतृप्त या जलमग्न रहते हैं (जैसे दलदल, झीलें, मैंग्रोव, बाढ़ के मैदान)। ❖ **राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तु:** ये गैर-अपवर्जित और गैर-प्रतिद्वंद्वी लाभ प्रदान करती हैं → जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, जैव विविधता और जलवायु बफर। ❖ ये **'इकोटोन' (Ecotone)** के रूप में कार्य करती हैं → जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र होते हैं।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **जल विज्ञान (Hydrology):** वर्ष के कुछ भाग में मृदा की सतह पर या उसके निकट जल की उपस्थिति। ❖ **आर्द्र मृदा (Hydric Soils):** लंबे समय तक जलमग्न रहने के कारण ऑक्सीजन की कमी वाली मृदा का निर्माण। ❖ **जलोद्भिद (Hydrophytes):** जल के अनुकूल वनस्पति (जैसे मैंग्रोव, नरकुल, कमल)। ❖ **बफर कार्य:** शुष्क भूमि और गहरे जल निकायों के बीच झटकों को सोखने का कार्य।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

भारत में प्रमुख आँकड़े	❖ **रामसर स्थल:** 98 स्थल (2026 तक) → दक्षिण एशिया में सर्वाधिक। ❖ **क्षेत्रफल:** भारत के कुल भू-भाग का लगभग **5%** (~15.9 मिलियन हेक्टेयर)। ❖ **आर्द्रभूमि का क्षरण:** शहरीकरण और भूमि परिवर्तन के कारण पिछले तीन दशकों में ~40% की गिरावट। ❖ **अग्रणी राज्य:** तमिलनाडु – 20 रामसर स्थल।
आर्द्रभूमि का महत्व (सार्वजनिक वस्तु के रूप में)	❖ **बाढ़ शमन:** 'प्राकृतिक स्पंज' के रूप में अतिरिक्त अपवाह (runoff) को सोखना। ❖ **जल शुद्धिकरण:** नाइट्रोजन, फास्फोरस, भारी धातुओं और अपशिष्ट जल को छानना। ❖ **जलवायु नियमन:** कार्बन सिंक + चक्रवात/तूफान की लहरों के विरुद्ध जैव-ढाल (bio-shields)। ❖ **आजीविका सहायता:** मत्स्य पालन, चारा, कृषि और पर्यटन। ❖ **जैव विविधता हॉटस्पॉट:** प्रवासी पक्षियों, लुप्तप्राय जीवों और जलीय जीवन का आवास।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **शहरी अतिक्रमण:** रियल एस्टेट निर्माण और बुनियादी ढांचे का विस्तार। ❖ **प्रदूषण और डंपिंग:** सीवेज का प्रवाह, औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस कचरा। ❖ **जल विज्ञान संबंधी व्यवधान:** बांध, रेत खनन और पोषक नहरों (feeder channels) का मार्ग बदलना। ❖ **आक्रामक प्रजातियां:** जलकुंभी (Water hyacinth) और विदेशी घासें जल निकायों का दम घोंट रही हैं। ❖ **जलवायु परिवर्तन:** समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, लवणता का प्रवेश, भीषण चक्रवात और हिमनदों का पिघलना।
आगे की राह	❖ **कानूनी अधिसूचना और सीमांकन:** सार्वजनिक GIS मानचित्र और सीमाओं का संरक्षण। ❖ **जलग्रहण-स्तर का शासन:** नदी-बेसिन योजना में आर्द्रभूमि को एकीकृत करना। ❖ **क्षमता निर्माण:** प्रबंधकों को GIS, जल विज्ञान और सामुदायिक पुनर्स्थापन में प्रशिक्षित करना। ❖ **पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण:** स्थानीय जल प्रणालियों और स्वदेशी प्रथाओं का उपयोग। ❖ **प्रकृति-आधारित शहरी नियोजन:** कंक्रीट की नालियों के स्थान पर आर्द्रभूमि को बाढ़ बफर और हरित बुनियादी ढांचे के रूप में उपयोग करना।
निष्कर्ष	आर्द्रभूमि जल सुरक्षा, जलवायु लचीलेपन और जैव विविधता के लिए पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करती है। टिकाऊ शहरी और ग्रामीण भविष्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तु के रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

राजस्थान में रामसर स्थल:

नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	आर्द्रभूमि का प्रकार	मान्यता वर्ष
मेनार आर्द्रभूमि	उदयपुर	463.40	अंतःस्थलीय	2025
सिलीसेढ़ झील	अलवर	315.97	अंतःस्थलीय	2025
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	2873.00	प्राकृतिक (अंतःस्थलीय)	1981
सांभर झील	अजमेर	24000.00	प्राकृतिक (अंतःस्थलीय)	1990
खिंचन	फलोदी	54.19	अंतःस्थलीय	2025

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

SMA, SBL and Ethics

Topic 1 - साइबर अपराध और वैश्विक शासन का संकट	
Syllabus	Paper II | Science & Technology/Cybersecurity
संदर्भ	2024 के 'साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (UN Convention against Cybercrime) पर हस्ताक्षर न करने का भारत का निर्णय, वैश्विक साइबर मानदंडों और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच बढ़ते मतभेदों को रेखांकित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शासन (Digital Governance) में मौजूद कमियों को भी उजागर करता है।
परिभाषा और विस्तार	❖ **यह क्या है:** वैश्विक स्तर पर स्वीकृत साइबर सुरक्षा मानकों (जैसे- सुरक्षित AI, डेटा संरक्षण, बाल सुरक्षा) और व्यक्तिगत राष्ट्रों द्वारा उनके असंगत एवं खंडित कार्यान्वयन के बीच बढ़ती असमानता। ❖ **परिणामी व्यवस्था:** इसके कारण एक 'बहुकेंद्रित डिजिटल वातावरण' (Polycentric Digital Environment) उत्पन्न होता है, जिसकी विशेषता कई क्षेत्रीय और द्विपक्षीय साइबर नियम हैं जो अक्सर एक-दूसरे के विपरीत होते हैं।
प्रमुख खतरे और आंकड़े	साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां निरंतर बढ़ रही हैं, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है: ❖ **बढ़ती घटनाएं:** भारत में साइबर घटनाओं की संख्या 2022 के 10.29 लाख से दोगुनी से अधिक बढ़कर 2024 में 22.68 लाख हो गई है। ❖ **शक्ति गुणक के रूप में AI:** डीपफेक, स्वचालित फिशिंग और जेनरेटिव मालवेयर जैसे AI-आधारित उपकरणों के माध्यम से हमले और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। ❖ **रैनसमवेयर में बदलाव:** रैनसमवेयर अब बहु-चरणीय जबरन वसूली और मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) प्राथमिक लक्ष्य बन रहे हैं। ❖ **वित्तीय प्रभाव:** 2025 की पहली छमाही में साइबर धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान लगभग ₹1,000 करोड़ प्रति माह तक पहुंच गया, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के ~0.7% तक वार्षिक जोखिम पैदा करता है। ❖ **पहचान-केंद्रित शोषण:** खतरे अब व्यक्तिगत पहचान (Identity) पर केंद्रित हैं। क्रेडेंशियल चोरी और डीपफेक के माध्यम से पारंपरिक बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा घेरों को सफलतापूर्वक भेद दिया जाता है।
साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हनोई कन्वेंशन)	❖ **सार्वभौमिक अपराधीकरण:** रैनसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अश्लील छवियों के दुरुपयोग के लिए साझा कानूनी परिभाषाएं। ❖ **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साझा करना:** सीमा पार डिजिटल साक्ष्य अनुरोधों के लिए तीव्र प्रक्रिया। ❖ **24×7 सहयोग नेटवर्क:** वास्तविक समय (Real-time) में जांच और संपत्ति की वसूली के लिए सहायता। ❖ **मानवाधिकार खंड:** गोपनीयता और गरिमा की सुरक्षा के उपाय, हालांकि ये घरेलू कानूनों पर निर्भर हैं। ❖ **बाल संरक्षण पर ध्यान:** ऑनलाइन बाल यौन शोषण को विशेष रूप से लक्षित करने वाली पहली वैश्विक संधि।
प्रमुख वैश्विक पहलें	❖ **बुडापेस्ट कन्वेंशन (2001):** व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला साइबर अपराध ढांचा; प्रमुख शक्तियों की सीमित समावेशिता के लिए इसकी आलोचना की जाती है। ❖ **G7 हिरोशिमा AI प्रक्रिया:** सुरक्षित जेनरेटिव AI विकास के लिए वैश्विक मानक। ❖ **UN ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट:** मानव-केंद्रित और सुरक्षित डिजिटल भविष्य का एजेंडा।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **साइबर इनिशिएटिव टोक्यो 2025:** AI-युग में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और निवारण (Deterrence) पर ध्यान।
चुनौतियाँ	❖ **कानूनी और प्रवर्तन असमानता:** साइबर सुरक्षा सिद्धांतों पर वैश्विक सहमति के बावजूद, विविध घरेलू कानूनों और व्यावहारिक कमियों के कारण वास्तविक कार्यान्वयन में भिन्नता है। ❖ **संप्रभुता और डेटा नियंत्रण:** राज्य अपने नागरिकों के डेटा पर बाहरी निगरानी या नियंत्रण की अनुमति देने में संकोच करते हैं, विशेष रूप से आपराधिक जांच के दौरान, जिससे संस्थागत संप्रभुता की चिंताएं पैदा होती हैं। ❖ **आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) जोखिम:** तीसरे पक्ष के वेंडर सिस्टम में कमजोरियों के कारण संगठनात्मक सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। ❖ **मानवाधिकार प्रभाव:** साइबर अपराधों की अत्यधिक व्यापक परिभाषाओं से राजनीतिक दुरुपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन का जोखिम बना रहता है। ❖ **वित्तीय प्रणाली की कमजोरियां:** 'घोस्ट सिम' (Ghost SIMs) का उपयोग, अपर्याप्त KYC प्रक्रियाएं और डिजिटल बैंकिंग में सुरक्षा अंतराल सीमा पार वित्तीय धोखाधड़ी को बढ़ावा देते हैं।
भारत के लिए आगे की राह	❖ **तकनीकी विशेषज्ञता को मजबूत करना:** साइबर कानून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सुरक्षा पहलुओं और उन्नत डिजिटल फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। ❖ **घरेलू नियमों का आधुनिकीकरण:** वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के जोखिमों के अनुरूप अद्यतन किया जाना चाहिए। ❖ **जीरो-ट्रस्ट सुरक्षा अपनाना:** भारत को पारंपरिक VPN-आधारित मॉडल से 'जीरो-ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस' (ZTNA) की ओर बढ़ना चाहिए ताकि क्रेडेंशियल के दुरुपयोग को कम किया जा सके। ❖ **सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना:** उन्नत खतरों का पता लगाने और कुशल साइबर फॉरेंसिक के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और AI-आधारित उपकरणों का लाभ उठाना आवश्यक है। ❖ **स्थानीयकृत प्रतिक्रिया इकाइयाँ स्थापित करना:** जिला स्तर पर साइबर इकाइयाँ बनाना, जो सीधे CERT-In से जुड़ी हों, ताकि नागरिकों को तीव्र और स्थानीय सुरक्षा प्राप्त हो सके।
निष्कर्ष	भारत के समक्ष साइबर चुनौती एक सीमा रहित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी संस्थागत स्वायत्तता और वैश्विक सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की है। मजबूत घरेलू प्रवर्तन और तकनीकी क्षमता के बिना, वैश्विक मानदंड केवल प्रतीकात्मक रह जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को एक सुदृढ़ राष्ट्रीय साइबर बुनियादी ढांचे में बदलना ही उभरती डिजिटल व्यवस्था में भारत के नेतृत्व को निर्धारित करेगा।

Topic 2 - कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

Syllabus	Paper III | Law | Laws related to Womens
संदर्भ	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने हाल ही में 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (SH Act) के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए 'कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
भारतीय कार्यबल में महिलाओं की स्थिति (आँकड़े और रुझान)	❖ **बढ़ती भागीदारी:** जुलाई 2025 में महिला पेरोल में 4.42 लाख की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई, जो मजबूत औपचारिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ❖ **कम रिपोर्टिंग का विरोधाभास:** कानूनी सुरक्षा के बावजूद, व्यावसायिक प्रतिशोध या सामाजिक कलंक के डर से लगभग दो-तिहाई उत्पीड़न की घटनाएँ रिपोर्ट नहीं की जाती हैं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

- **"उत्पीड़न कर" (Harassment Tax):** 2026 के अध्ययन बताते हैं कि महिलाएँ सुरक्षित कार्यस्थल के लिए संभावित वेतन का लगभग 19% तक छोड़ने को तैयार हैं, जो एक बड़े अदृश्य आर्थिक नुकसान को दर्शाता है।
- **अनुपालन अंतराल:** बड़ी कंपनियों में 'आंतरिक समितियाँ' (ICs) होने के बावजूद, 53% मानव संसाधन (HR) पेशेवर अभी भी अधिनियम की प्रक्रियात्मक बारीकियों को समझने में संघर्ष कर रहे हैं।

SH अधिनियम, 2013: वैधानिक ढाँचा

यह अधिनियम एक व्यापक कानूनी कवच है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में सभी महिलाओं—नियमित, अस्थायी, तदर्थ (ad-hoc), प्रशिक्षु (interns) या शिक्षु (apprentices)—को कवर करता है।

विशेषता	प्रावधान
आंतरिक समिति (IC)	10 या अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक शाखा/कार्यालय के लिए अनिवार्य। इसकी अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए।
स्थानीय समिति (LC)	10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों और असंगठित क्षेत्र के लिए जिला स्तर पर गठित।
निवारण मार्ग	सुलह (कोई वित्तीय समझौता मान्य नहीं) या जांच (90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए)।
दंड	₹50,000 तक का जुर्माना; बार-बार उल्लंघन करने पर व्यापार लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता

- **संवैधानिक दायित्व:** अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत गरिमा की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय (जैसे 'ऑरेलियनो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य' मामला) ने निर्णय दिया है कि POSH प्रवर्तन में चूक संवैधानिक उल्लंघन है।
- **आर्थिक अनिवार्यता (विकसित भारत 2047):** सुरक्षा के बिना महिला श्रम बल भागीदारी के 70% लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। कुछ शहरी क्षेत्रों में गिरती भागीदारी दर का प्राथमिक कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं।
- **प्रतिभा प्रतिधारण (Talent Retention):** उत्पीड़न करियर के बीच में नौकरी छोड़ने का एक बड़ा कारण है। तकनीकी क्षेत्र (2025-26) में पक्षपातपूर्ण निवारण प्रक्रिया को महिलाओं के कार्यबल से बाहर निकलने का प्राथमिक कारण बताया गया।
- **मानसिक कल्याण:** उत्पीड़न मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनता है; **'प्रोजेक्ट स्त्री मनोरक्षा'** (2025) जैसी पहल अब कार्यस्थल सुरक्षा को मानसिक स्वास्थ्य सहायता से जोड़ती हैं।

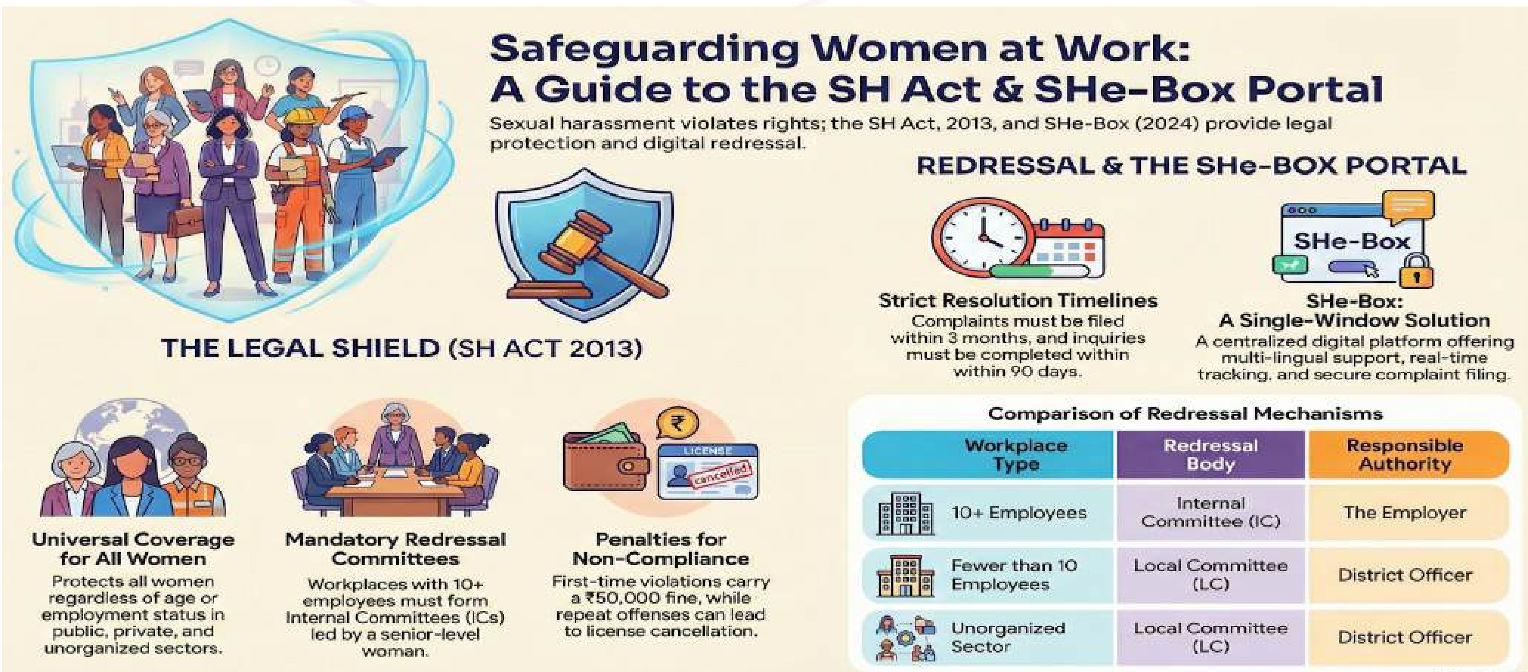

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और बाधाएँ	❖ **असंगठित क्षेत्र का अंतराल:** भारत के महिला कार्यबल का 90% (घरेलू सहायिका, कृषि) औपचारिक IC के दायरे से बाहर है। 70% से अधिक घरेलू कामगार 'स्थानीय समितियों' (LCs) से अनभिज्ञ हैं। ❖ **विश्वास की कमी:** 'नारी 2025' (NARI 2025) रिपोर्ट के अनुसार, 75% महिलाएँ कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास की कमी व्यक्त करती हैं। ❖ **डिजिटल और जागरूकता विभाजन:** 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) जैसे पोर्टल लैपटॉप उपयोग करने वाले वर्ग के लिए प्रभावी हैं, लेकिन कम डिजिटल साक्षरता वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए सुलभ नहीं हैं। ❖ **'प्रतिशोध' का मुद्दा:** शिकायत दर्ज करने के बाद सामाजिक बहिष्कार या व्यावसायिक नुकसान (द्वितीयक उत्पीड़न) को साबित करना कठिन बना रहता है। ❖ **प्रक्रियात्मक कदाचार:** कई आंतरिक समितियों की "अनौपचारिक ढंग" से मामले निपटाने और कंपनी की साख बचाने के लिए पीड़ितों पर "आपसी सुलह" का दबाव बनाने के लिए आलोचना की जाती है।
प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए हालिया पहलें	❖ **शी-बॉक्स पोर्टल (2024 नवीनीकरण):** सभी क्षेत्रों में शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत, बहुभाषी डिजिटल मंच। ❖ **अनिवार्य प्रकटीकरण:** कंपनी (खाता) नियमों में संशोधन के तहत फर्मों को अपनी वार्षिक बोर्ड रिपोर्ट में POSH मामलों की संख्या का खुलासा करना अनिवार्य है। ❖ **राष्ट्रीय कार्यस्थल सुरक्षा संकल्प (2026):** सरकारी और निजी क्षेत्रों में "शून्य-सहनशीलता" (Zero-Tolerance) की संस्कृति विकसित करने के लिए मंत्रालय की एक पहल। ❖ **हाइब्रिड कार्य अनुकूलन:** महामारी के बाद की वास्तविकता को देखते हुए 'डिजिटल वर्कस्पेस' (Zoom, Slack, WhatsApp) को स्पष्ट रूप से कवर करने के लिए मानदंडों को अद्यतन करना।
आगे की राह	❖ **LC को मजबूत करना:** राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पंचायत और जिला कार्यालय में स्थानीय समितियाँ अच्छी तरह से वित्तपोषित और प्रचारित हों। ❖ **अनुपालन को प्रोत्साहित करना:** सरकारी अनुबंधों और 'सेफ सिटी' परियोजना के कोष को 'शी-बॉक्स' पोर्टल पर फर्म की सत्यापित 'सेफ वर्कप्लेस' रेटिंग से जोड़ना। ❖ **लिंग-तटस्थ विस्तार:** कानूनी विशेषज्ञ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए POSH को लिंग-तटस्थ बनाने की वकालत कर रहे हैं। ❖ **सार्वभौमिक प्रशिक्षण:** केवल एक बार की औपचारिक ट्रेनिंग के बजाय सभी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करना।
निष्कर्ष	यद्यपि SH अधिनियम 2013 और शी-बॉक्स पोर्टल एक मजबूत कानूनी और डिजिटल ढाँचा प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तव में सुरक्षित कार्यबल के लिए नियोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी और सख्त न्यायिक निगरानी आवश्यक है। महिलाओं की सुरक्षा केवल एक कानूनी जनादेश नहीं है, बल्कि भारत के समावेशी और सतत आर्थिक विकास की यात्रा के लिए एक पूर्व-शर्त है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 3 - भारत में बांझपन (Infertility)	
Syllabus	Paper I | Sociology/Demography & Associated Issues
संदर्भ	भारत में बांझपन (Infertिटी) एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय चिंता के रूप में उभर रहा है। बढ़ता शहरी तनाव, जीवनशैली संबंधी विकार और देर से माता-पिता बनना पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर रहा है।
यह क्या है?	❖ **बांझपन:** 12 महीने तक नियमित असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी गर्भधारण करने में असमर्थता। ❖ **लिंग-तटस्थ मुद्दा:** इसमें महिला और पुरुष दोनों कारक लगभग समान रूप से उत्तरदायी हैं; पुरुष बांझपन और मानसिक स्वास्थ्य के जुड़ाव की पहचान बढ़ रही है।
प्रमुख रुझान	❖ **व्यापकता:** लगभग **15-20%** जोड़े (लगभग 3 करोड़) इससे प्रभावित हैं। ❖ **घटती कुल प्रजनन दर (TFR):** भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग **1.9** है (जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है)। ❖ **पुरुष कारक:** 40-50% मामले शुक्राणु की गुणवत्ता में गिरावट, विषाक्त पदार्थों और तनाव से जुड़े हैं। ❖ **शहरी-ग्रामीण विभाजन:** ➢ **शहरी क्षेत्र:** प्राथमिक बांझपन (Primary infertility) के अधिक मामले। ➢ **ग्रामीण क्षेत्र:** माध्यमिक बांझपन (Secondary infertility) के अधिक मामले (अनुपचारित संक्रमणों के कारण)। ❖ **IVF का विस्तार:** चिकित्सा निर्भरता के कारण प्रजनन उपचार बाजार तेजी से बढ़ रहा है।
प्रमुख कारण	❖ **विलंबित पितृत्व (Delayed Parenthood):** करियर और वित्तीय प्राथमिकताओं के कारण जैविक आयु के बाद गर्भधारण की योजना बनाना। ❖ **पर्यावरणीय प्रदूषण:** अंत:स्रावी तंत्र को बाधित करने वाले रसायन और वायु प्रदूषण हार्मोन एवं शुक्राणु की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। ❖ **जीवनशैली विकार:** मोटापा, पीसीओएस (PCOS), गतिहीन आदतें और प्रसंस्कृत आहार (Processed diet)। ❖ **दीर्घकालिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य:** उच्च कोर्टिसोल स्तर अंडोत्सर्ग (Ovulation) और शुक्राणुजनन (Spermatogenesis) को बाधित करता है। ❖ **अनुपचारित संक्रमण:** यौन संचारित संक्रमण (STIs), पीआईडी (PID) और तपेदिक (Tuberculosis) के कारण फैलोपियन ट्यूब में अवरोध, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **सामाजिक कलंक (Stigma):** महिलाओं को असमान रूप से दोषी ठहराया जाना; सामाजिक बहिष्कार और पहचान का संकट। ❖ **उपचार की उच्च लागत:** IVF के एक चक्र (Cycle) का खर्च ₹1.5–3 लाख; बीमा कवरेज का न्यूनतम होना। ❖ **पुरुषों की चुप्पी:** पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण वीर्य परीक्षण (Semen testing) में देरी। ❖ **मनोवैज्ञानिक फीडबैक लूप:** बांझपन का तनाव गर्भधारण की संभावना को और कम कर देता है। ❖ **नियामक कमियाँ:** द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में अनियंत्रित ART क्लीनिक और सफलता दर के भ्रामक दावे।
सरकारी पहलें	❖ **ART और सरोगेसी विनियमन अधिनियम:** क्लीनिकों का अनिवार्य पंजीकरण और डोनर संरक्षण मानक। ❖ **मानसिक स्वास्थ्य विस्तार:** क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों पर बजटीय ध्यान। ❖ **प्रोजेक्ट संजीवनी:** जमीनी स्तर पर प्रजनन जागरूकता अभियान।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **राष्ट्रीय ART रजिस्ट्री:** क्लीनिकों के परिणामों की डिजिटल ट्रैकिंग और पारदर्शिता।
आगे की राह	❖ **मानसिक स्वास्थ्य एकीकरण:** प्रजनन उपचार में अनिवार्य परामर्श (Counselling) शामिल करना। ❖ **बीमा समावेशन:** स्वास्थ्य पॉलिसियों के तहत ART/IVF का आंशिक कवरेज प्रदान करना। ❖ **कार्यस्थल संवेदनशीलता:** फर्टिलिटी लीव (Fertility leave) और एग-फ्रीजिंग सहायता। ❖ **पुरुष-केंद्रित जागरूकता:** पुरुष बांझपन परीक्षण से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करना। ❖ **सामुदायिक शिक्षा:** आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांझपन को एक चिकित्सा मुद्दे के रूप में प्रचारित करना।
निष्कर्ष	भारत में बांझपन केवल किसी एक लिंग की समस्या नहीं है, बल्कि यह जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का मिश्रण है। जनसांख्यिकीय संतुलन और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामर्थ्य और सामाजिक जागरूकता के समन्वय वाला एक समग्र दृष्टिकोण अनिवार्य है।

Topic 4 - बढ़ती डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ

Syllabus	Paper I | Sociology/Population & Associated Issues
संदर्भ	आर्थिक समीक्षा 2025–26 ने बढ़ती डिजिटल लत (Digital Addiction) और स्क्रीन से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भारत के लिए एक बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता जोखिम के रूप में रेखांकित किया है।
यह क्या है?	❖ **डिजिटल लत:** डिजिटल उपकरणों या ऑनलाइन संसाधनों का निरंतर, बाध्यकारी या अत्यधिक उपयोग, जो मनोवैज्ञानिक संकट और कार्यात्मक अक्षमता का कारण बनता है। ❖ **प्रभाव:** ➢ **मानसिक:** चिंता (Anxiety), अवसाद (Depression), निम्न आत्म-सम्मान, साइबर-बुलिंग का तनाव। ➢ **शारीरिक:** नींद की कमी, गतिहीन जीवनशैली, "टेक-नेक" (गर्दन की समस्या)। ➢ **संज्ञानात्मक/सामाजिक:** एकाग्रता अवधि (Attention span) में कमी, कमजोर सामाजिक संबंध।
प्रमुख रुझान	❖ **इंटरनेट की पहुंच:** इंटरनेट कनेक्शन 2014 के ~25 करोड़ से बढ़कर 2024 में ~97 करोड़ हो गए हैं। ❖ **स्क्रीन टाइम:** भारतीयों ने 2024 में स्मार्टफोन पर लगभग 1 लाख करोड़ घंटे बिताए। ❖ **शिक्षा बनाम सोशल मीडिया:** 57% किशोर पढ़ाई के लिए फोन का उपयोग करते हैं, जबकि 76% सोशल मीडिया के लिए (ASER 2024)। ❖ **उच्च जोखिम समूह:** 15–24 वर्ष की आयु के युवा, गेमिंग और सोशल मीडिया की लत के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। ❖ **डिजिटल अर्थव्यवस्था विरोधाभास:** राष्ट्रीय आय का ~74% डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, जबकि इसके साथ ही व्यवहारिक स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ रहे हैं।
प्रमुख कारण	❖ **डोपामाइन-संचालित एल्गोरिदम:** 'इन्फिनिट स्क्रॉल' और 'ऑटोप्ले' जैसी विशेषताएँ उपयोगकर्ता को लंबे समय तक जोड़े रखती हैं। ❖ **महामारी की विरासत:** ऑनलाइन शिक्षा और सामाजिकता ने लंबे समय तक स्क्रीन देखने को सामान्य बना दिया। ❖ **सस्ता डेटा और 5G:** अत्यधिक कम डेटा कीमतों के कारण HD स्ट्रीमिंग और गेमिंग में भारी उछाल आया है। ❖ **गेमिंग और जुआ ऐप्स:** वास्तविक धन के प्रलोभन बाध्यकारी उपयोग को बढ़ावा देते हैं। ❖ **शहरी अलगाव:** कमजोर सामुदायिक नेटवर्क के कारण डिजिटल निर्भरता में वृद्धि हुई है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

चुनौतियाँ	❖ **डेटा का अभाव:** डिजिटल लत की व्यापकता पर कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है। ❖ **नियंत्रणों का उल्लंघन:** VPN और फर्जी आईडी के माध्यम से माता-पिता या आयु संबंधी सीमाओं को आसानी से पार कर लिया जाता है। ❖ **कॉर्पोरेट प्रतिरोध:** तकनीकी कंपनियां सख्त नियमों का विरोध करती हैं। ❖ **व्यवहार का सामान्यीकरण:** अत्यधिक स्क्रीन उपयोग को "आधुनिक जीवनशैली" के रूप में देखा जाता है। ❖ **विशेषज्ञों की कमी:** तकनीक-व्यसन मुक्ति केंद्रों की संख्या बहुत कम है; ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नगण्य है।
आगे की राह	❖ **नेटवर्क सुरक्षा उपाय:** ISP-स्तर पर 'फैमिली डेटा कैप' लगाना; शिक्षा बनाम मनोरंजन के लिए कोटा निर्धारित करना। ❖ **आयु संबंधी नियम:** अनिवार्य सत्यापन; सोशल मीडिया और गेमिंग के लिए समय सीमा तय करना। ❖ **डिजिटल वेलनेस पाठ्यक्रम:** स्क्रीन-टाइम साक्षरता, साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा में शामिल करना। ❖ **ऑफलाइन पारिस्थितिकी तंत्र:** युवा केंद्रों, खेलों और स्कूलों में अनिवार्य शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ❖ **टेली-मानस (Tele-MANAS) का विस्तार:** संकटकालीन सहायता से लेकर निवारक डिजिटल-व्यवहार परामर्श तक इसका विस्तार करना।
निष्कर्ष	भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) की रक्षा के लिए 'डिजिटल पहुंच' से 'डिजिटल कल्याण' (Digital Wellness) की ओर बढ़ना चाहिए। संतुलित नियमन, मानसिक स्वास्थ्य में निवेश और मजबूत ऑफलाइन सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि तकनीक एक सशक्तिकरण का साधन बनी रहे, न कि एक लत।

Topic 5 - नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध	
Syllabus	Paper I | Sociology/Vulnerable Section
संदर्भ	गाजियाबाद में हुए तिहरे आत्मघात के मामले ने - जो स्क्रीन की लत और 'टास्क-आधारित' ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा था - 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बहस को पुनः सक्रिय कर दिया है।
भारतीय परिदृश्य: आंकड़े और रुझान	❖ **विस्तार:** भारत एक वैश्विक "डिजिटल प्रयोगशाला" है, जहाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 40 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। ❖ **मानसिक स्वास्थ्य चेतावनी:** आर्थिक समीक्षा 2025-26 ने आधिकारिक तौर पर 15-24 आयु वर्ग के लिए "अनिवार्य स्क्रॉलिंग" (compulsive scrolling) को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में वर्गीकृत किया है। ❖ **लैंगिक अंतराल:** इंटरनेट तक पहुंच में गहरा अंतर विद्यमान है—केवल 33.3% महिलाओं की पहुंच इंटरनेट तक है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 57.1% है। प्रतिबंध अक्सर इस स्थिति को और बिगाड़ देते हैं, क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवार लड़कियों के उपकरणों पर अधिक कड़ाई से पहरा देते हैं। ❖ **डिजिटल ऋण:** शहरी बच्चे प्रतिदिन औसतन 3-6 घंटे ऑनलाइन बिताते हैं, जिसके बारे में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने टिप्पणी की है कि यह संज्ञानात्मक एकाग्रता (attention span) और निद्रा चक्र को प्रभावित कर रहा है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

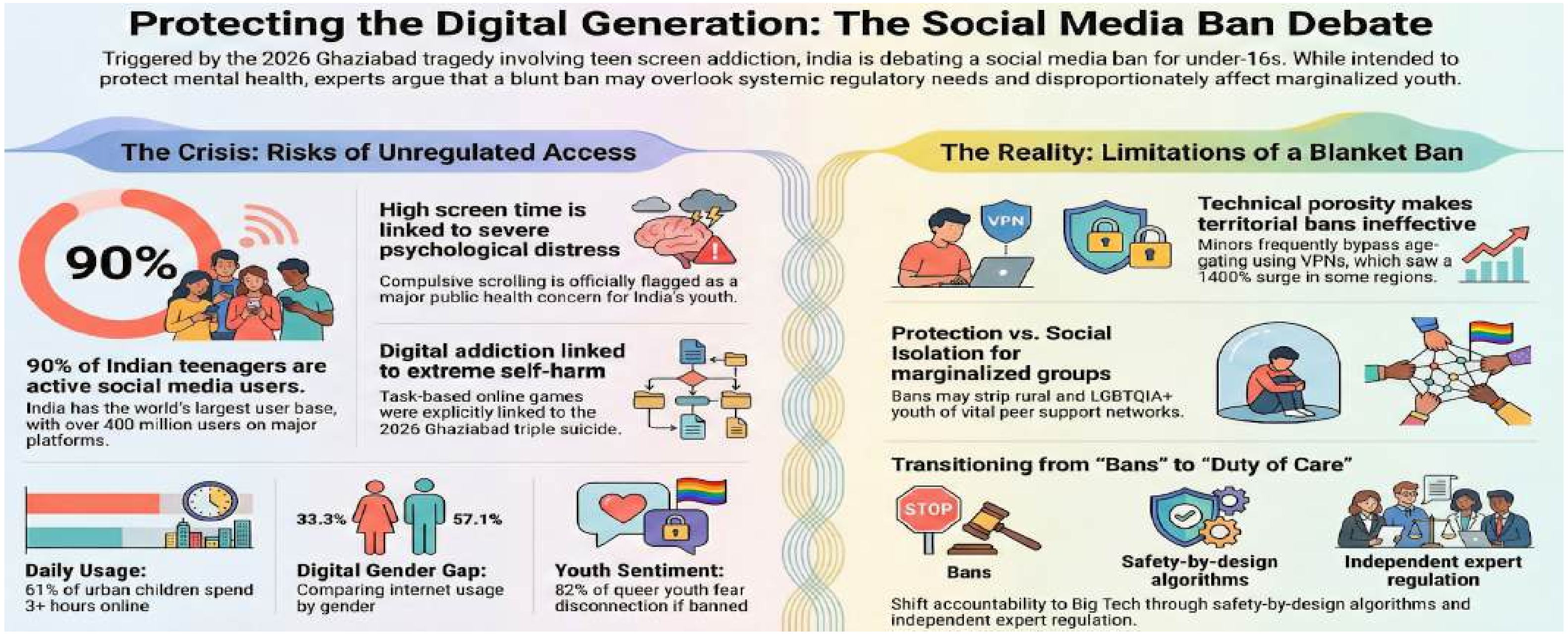

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क: "राज्य के पितृसत्तात्मक संरक्षण" की आवश्यकता

- **घातक व्यसन से मुकाबला:** बच्चों को एल्गोरिदम-आधारित उन "रैबिट होल्स" (भटकाव वाले चक्रों) से बचाना जो स्व-हानि को बढ़ावा देते हैं।
  - **उदाहरण:** गाजियाबाद के पीड़ित एक कोरियाई "लव टास्क" गेम के प्रति इतने आसक्त थे कि वे मनोवैज्ञानिक रूप से उसे छोड़ने में असमर्थ महसूस कर रहे थे।
- **साइबर-ग्रूमिंग की रोकथाम:** उन अनियंत्रित स्थानों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - **उदाहरण:** 2026 की रिपोर्टों ने रेखांकित किया कि AI चैटबॉट्स नाबालिगों के साथ अवांछित यौन संवाद स्थापित कर रहे हैं।
- **संस्थागत उत्तरदायित्व:** आयु सत्यापन का भार परेशान माता-पिता से हटाकर अरबों डॉलर की टेक कंपनियों पर डालना।

तुलनात्मक वैश्विक मॉडल

देश	मॉडल का प्रकार	मुख्य तंत्र	अनुपालन न करने के परिणाम
ऑस्ट्रेलिया	सख्त न्यूनतम आयु	16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अधिकांश प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित।	प्लेटफॉर्म्स पर 50 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना।
स्पेन	आपराधिक उत्तरदायित्व	कार्यकारी जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16 से कम उम्र के उपयोग पर प्रतिबंध।	तकनीकी नेतृत्व पर संभावित आपराधिक आरोप।
सिंगापुर	गेटवे विनियमन	सख्त आयु रेटिंग लागू करने के लिए ऐप स्टोर्स को विनियमित करना।	ऐप की दृश्यता पर प्रतिबंध और डाउनलोड ब्लॉक।
फ्रांस	माता-पिता की सहमति	"डिजिटल एट 15" की आवश्यकता (15 से कम उम्र के लिए माता-पिता की अनुमति)।	सहमति सत्यापित न होने पर खाता निलंबन।

चुनौतियाँ और विपरीत तर्क

- **तकनीकी छिद्रता (Technical Porosity):** किशोर अक्सर नियामकों की तुलना में अधिक तकनीक-प्रेमी होते हैं; प्रतिबंध अक्सर उन्हें VPN या टेलीग्राम और 'डार्क वेब' जैसे अनियंत्रित स्थानों की ओर धकेल देते हैं।
- **निगरानी के जोखिम:** DPDP अधिनियम को आधार-लिंक्ड लॉगिन के माध्यम से लागू करने से नाबालिगों के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र (surveillance framework) बनने का जोखिम है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **सहायता प्रणालियों की हानि:** हाशिए पर रहने वाले युवाओं (जैसे एलजीबीटीक्यू या दिव्यांग) के लिए सोशल मीडिया अक्सर सामुदायिक समर्थन का एकमात्र स्थान होता है, जो उनके भौतिक वातावरण में अनुपस्थित होता है। ❖ **लोकतांत्रिक कमी:** नीतियां अक्सर युवाओं के लिए उन्हें परामर्श में शामिल किए बिना बनाई जाती हैं, जिससे "संरक्षण बनाम भागीदारी" का संघर्ष पैदा होता है।
आगे की राह	भारत को "सेंसरशिप" से हटकर निम्नलिखित माध्यमों से "जवाबदेही" की ओर बढ़ना चाहिए: ❖ **देखभाल का वैधानिक कर्तव्य:** बड़ी टेक कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य करना कि वे व्यसनकारी चक्रों को हटाने के लिए अपने एल्गोरिदम में सुधार करें। ❖ **स्वतंत्र नियामक:** केवल MeitY नौकरशाही पर निर्भर रहने के बजाय डिजिटल सुरक्षा के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बनाना। ❖ **स्थानीयकृत अनुसंधान:** जाति, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर दीर्घकालिक अध्ययनों को वित्तपोषित करना। ❖ **डिजिटल साक्षरता:** बच्चों को केवल प्रतिबंधित करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में "मीडिया स्वच्छता" (Media Hygiene) को एकीकृत करना।
निष्कर्ष	सोशल मीडिया पर प्रतिबंध "नियंत्रण का एक सुखद भ्रम" तो देता है, लेकिन यह उस अंतर्निहित तकनीकी ढांचे को संबोधित करने में विफल रहता है जो नुकसान पहुँचाता है। सफलता एक विनियमित मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में निहित है जहाँ टेक कंपनियाँ "सुरक्षा-दर-डिजाइन" (Safety-by-Design) दृष्टिकोण अपनाएं और अगली पीढ़ी के डिजिटल अधिकारों और साक्षरता को बढ़ावा दें।

Topic 6 - भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) 2025

Syllabus	Paper II | Administrative Ethics | Corruption
संदर्भ	ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) ने हाल ही में 'भ्रष्टाचार बोध सूचकांक' (CPI) 2025 जारी किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर 182 देशों का मूल्यांकन करता है। भारत 39/100 के स्कोर के साथ **91वें** स्थान पर पहुंच गया है (2024 में 96वें स्थान से ऊपर)। हालांकि पांच स्थानों का सुधार एक सकारात्मक रुझान है, फिर भी भारत 42 के वैश्विक औसत से नीचे "संघर्षरत" श्रेणी में बना हुआ है।
वैश्विक परिदृश्य: 2025 के रुझान	❖ **लोकतांत्रिक लाभ:** रिपोर्ट संस्थागत मजबूती और ईमानदारी के बीच स्पष्ट संबंध दर्शाती है; लोकतंत्रों का औसत स्कोर 71 है, जबकि सत्तावादी शासन का स्कोर काफी कम (32) है। ❖ **क्षेत्रीय अस्थिरता:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रगति धीमी रही। नेपाल और इंडोनेशिया में 'जेन-जी' (Gen Z) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने जवाबदेही के प्रति जनता की बढ़ती अधीरता को प्रतिबिंबित किया है। ❖ **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** डेनमार्क (89) और फिनलैंड शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि सोमालिया (9) सबसे निचले स्थान पर है।
भारत का प्रदर्शन: क्षेत्रीय तुलना	(see table below)

देश	स्कोर (100 में से)	रैंक
भूटान	71	18
चीन	43	76
भारत	**39**	**91**

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	पाकिस्तान	28	136
	बांग्लादेश	24	150

भारत में भ्रष्टाचार के प्रेरक कारक	❖ **नौकरशाही की लालफीताशाही (Red Tape):** अत्यधिक विनियमन छोटे स्तर की रिश्वतखोरी के लिए "गेटकीपिंग" के अवसर पैदा करता है। ❖ **व्हिसलब्लोअर सुरक्षा की कमी:** कानूनों के बावजूद, स्थानीय माफियाओं पर रिपोर्टिंग करने वाले खोजी पत्रकारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ❖ **राजनीतिक वित्त पोषण में अस्पष्टता:** अज्ञात कॉर्पोरेट दान का प्रभाव "क्विड प्रो क्यो" (अहसान के बदले अहसान) पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है।
प्रणालीगत भ्रष्टाचार के परिणाम	❖ **सामाजिक विश्वास का क्षरण:** यह गरीबों पर एक "प्रतिगामी कर" की तरह कार्य करता है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं से धन को विचलित कर देता है। ❖ **लोकतांत्रिक गिरावट:** यह "स्टेट कैप्चर" (राजकीय नियंत्रण) को सक्षम बनाता है, जहाँ नीतियां जनहित के बजाय कुलीन वर्गों के हितों की सेवा के लिए बनाई जाती हैं। ❖ **निवेश में बाधा:** यह "व्यापार करने की लागत" को बढ़ाता है, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) हतोत्साहित होता है और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। ❖ **जलवायु संवेदनशीलता:** यह जलवायु अनुकूलन कोष के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरण आपदाओं का प्रभाव हाशिए पर रहने वाले समूहों पर और भी गंभीर हो जाता है।
संस्थागत और नीतिगत उपाय	❖ **डिजिटलीकरण (DPI):** बिचौलियों और मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए ई-गवर्नेंस और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को अपनाना। ❖ **विधायी कार्रवाई:** भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2024 ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्तियों की जब्ती के प्रावधान पेश किए। ❖ **CVC सुधार:** केंद्रीय सतर्कता आयोग को संदिग्ध वित्तीय पैटर्न का पता लगाने के लिए AI-संचालित फॉरेंसिक उपकरणों से लैस करना। ❖ **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit):** सामुदायिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा (MGNREGS) जैसी योजनाओं में अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **न्यायिक लंबित मामले:** 2010 के दशक के मामले 2025 में भी लंबित हैं, जिससे कानून का "निवारक प्रभाव" (deterrent effect) काफी कम हो जाता है। ❖ **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:** अपराधी "डिजिटल अरेस्ट" घोटालों और जटिल वित्तीय धोखाधड़ी के लिए डीपफेक और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। ❖ **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** एक विशाल असंगठित क्षेत्र अवैध लेनदेन और "काले धन" को छिपाना आसान बनाता है। ❖ **सीमा पार वसूली:** विदेशी टैक्स हेवन में जमा धन का पता लगाने और उसे वापस लाने में महत्वपूर्ण कानूनी अड़चनें। ❖ **कमजोर स्थानीय निगरानी:** केंद्रीय एजेंसियां मजबूत हैं, लेकिन ग्राम और नगरपालिका निकाय अक्सर स्थानीय कुलीनों के नियंत्रण में होते हैं, जो शिकायतों को शुरुआत में ही दबा देते हैं।
आगे की राह	❖ **संस्थागत स्वतंत्रता:** जाँच एजेंसियों (CBI, ED) के प्रमुखों को अधिक स्वायत्तता और निश्चित कार्यकाल प्रदान करना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **फास्ट-ट्रैक कोर्ट:** भ्रष्टाचार के मुकदमों को एक वर्ष की सख्त समय सीमा के भीतर समाप्त करने के लिए समर्पित अदालतों की स्थापना। ❖ **राजनीतिक वित्त सुधार:** कॉर्पोरेट प्रभाव को कम करने के लिए पारदर्शी, सार्वजनिक-वित्त पोषित चुनाव मॉडल लागू करना। ❖ **शिक्षा और नीतिशास्त्र:** सांस्कृतिक मानसिकता को बदलने के लिए स्कूल और सिविल सेवा प्रशिक्षण में "सत्यनिष्ठा और नैतिकता" को अनिवार्य हिस्सा बनाना।
निष्कर्ष	भारत का 91वें स्थान पर पहुंचना क्रमिक प्रगति का संकेत है, लेकिन 39 का स्कोर चेतावनी देता है कि प्रणालीगत भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में अभी भी एक बड़ी बाधा है। आगे बढ़ते हुए, ध्यान केवल डिजिटल समाधानों से हटकर वास्तविक प्रवर्तन और उन लोगों की सुरक्षा पर होना चाहिए जो सत्ता के सामने सच बोलते हैं।

Topic 7 - शासन के अंतराल को पाटना (Bridging the Governance Divide)

Syllabus	Paper II | Administrative Ethics
संदर्भ	आर्थिक समीक्षा 2025-26 और 'एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप' के हालिया विचार-विमर्श के बाद **भारतीय वैज्ञानिक सेवा (ISS)** के प्रस्ताव ने महत्वपूर्ण गति पकड़ ली है। जैसे-जैसे भारत "डीप-टेक" और "AI-प्रथम" शासन मॉडल की ओर बढ़ रहा है, पारंपरिक सामान्यज्ञ (Generalist) प्रशासनिक ढांचा 21वीं सदी की तकनीकी जटिलताओं के साथ संस्थागत असंतुलन का सामना कर रहा है।
भारतीय वैज्ञानिक सेवा (ISS) क्या है?	ISS की परिकल्पना वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के एक स्थायी, अखिल भारतीय विशिष्ट कैडर के रूप में की गई है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के साथ मिलकर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ❖ **तकनीकी एकीकरण:** सामान्यज्ञ दृष्टिकोण के विपरीत, ISS वैज्ञानिक विशेषज्ञता को सीधे मंत्रालयों के निर्णय लेने वाले पदानुक्रम में शामिल करेगा। ❖ **विशिष्ट सेवा नियम:** यह उन नियमों के तहत कार्य करेगा जो पारंपरिक प्रशासनिक तटस्थता और प्रक्रियात्मक अनुपालन के बजाय वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा, 'पीयर रिव्यू' (सहकर्मी समीक्षा) और साक्ष्य-आधारित तर्क को प्राथमिकता देते हैं। ❖ **व्यावसायिक निरंतरता:** यह शोधकर्ताओं के लिए एक संरचित करियर पथ प्रदान करता है, जिससे दीर्घकालिक नीतिगत दूरदर्शिता संभव होती है जो प्रशासनिक रोटेशन के सामान्य तीन साल के कार्यकाल से परे होती है।
सुधार की अनिवार्यता: अभी क्यों?	➢ **आधुनिक शासन की जटिलता:** आधुनिक नीति-निर्माण में क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सामान्यज्ञ प्रशासकों के पास अक्सर इन "फ्रंटियर" तकनीकों को विनियमित करने के लिए आवश्यक तकनीकी गहराई की कमी होती है। ➢ **उदाहरण:** 'डिजिटल इंडिया अधिनियम 2025' के मसौदे के लिए एल्गोरिदम के पूर्वाग्रह और 'न्यूरल आर्किटेक्चर' की परिष्कृत समझ की आवश्यकता थी, जिसे मानक प्रशासनिक प्रशिक्षण कवर नहीं करता है। ❖ **"वैली ऑफ डेथ" (Valley of Death) को पाटना:** भारत प्रयोगशाला अनुसंधान (TRL 1-3) में उत्कृष्ट है, लेकिन इसे बाजार के लिए तैयार उत्पादों (TRL 7-9) में बदलने में संघर्ष करता है। ➢ **उदाहरण:** 'ग्रीन हाइड्रोजन' अनुसंधान में नेतृत्व के बावजूद, खंडित तकनीकी निगरानी के कारण औद्योगिक विस्तार में बाधा आई है। ❖ **सत्यनिष्ठा का संस्थागत संरक्षण:** वर्तमान सेवा नियम (CCS आचरण नियम 1964) अक्सर वैज्ञानिकों को आधिकारिक नीति के विपरीत डेटा प्रस्तुत करने के लिए दंडित करते हैं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

- ➢ **उदाहरण:** हाल के हिमालयी पारिस्थितिक संकटों के दौरान, वैज्ञानिकों को उन पर्यावरणीय चेतावनियों को आधिकारिक रूप से दर्ज करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा जो बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विपरीत थीं।
- ❖ **वैश्विक तकनीकी कूटनीति:** वैश्विक मानकों (G2G प्रमाणपत्र) में नेतृत्व करने के लिए भारत को 'वैज्ञानिक-राजनयिकों' की आवश्यकता है जो जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बातचीत कर सकें।

भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य (2025-26)

सूचक	वर्तमान स्थिति	ISS का लाभ
वैश्विक नवाचार सूचकांक	38वाँ स्थान	R&D को बाजार से जोड़कर भारत को शीर्ष 20 में ला सकता है।
GERD (R&D व्यय)	GDP का 0.64% (USA: 3.48%)	विशेषज्ञ कैडर उच्च R&D परिव्यय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं।
पेटेंट फाइलिंग	वैश्विक स्तर पर 6ठा	बौद्धिक संपदा की रक्षा और मुद्रीकरण के लिए विशेष निगरानी।

कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियाँ

- ❖ **सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ संघर्ष:** एकीकरण के कारण IAS और प्रस्तावित ISS के बीच वरिष्ठता और अधिकार को लेकर 'टर्फ वॉर' (अधिकार क्षेत्र का संघर्ष) शुरू हो सकता है।
- ❖ **पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) का विरोध:** मध्य-करियर स्तरों पर उच्च-क्षमता वाले वैज्ञानिकों को लाने को अक्सर स्थापित सेवा संघों के विरोध का सामना करना पड़ता है।
- ❖ **वेतन समानता:** सरकारी वेतनमान के कारण निजी क्षेत्र या सिलिकॉन वैली से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करना कठिन है।
- ❖ **सीमाओं का निर्धारण:** यह तय करने के लिए एक सूक्ष्म संतुलन की आवश्यकता है कि वैज्ञानिक सलाह कहाँ समाप्त होती है और राजनीतिक/आर्थिक नीति कहाँ शुरू होती है।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

- ❖ **यूनाइटेड किंगडम:** 'गवर्नमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशन' (GSEP) कैडर सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक मंत्रालय के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पास विशेषज्ञों की एक संरचित टीम हो।
- ❖ **संयुक्त राज्य अमेरिका:** औपचारिक 'वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा नीतियां' संघीय वैज्ञानिकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाती हैं।
- ❖ **फ्रांस और जापान:** राष्ट्रीय नियोजन में स्वतंत्र तकनीकी इनपुट सुनिश्चित करने के लिए समर्पित वैज्ञानिक कैडर बनाए रखते हैं।

आगे की राह

- ❖ **पायलट कैडर:** 'भारतीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी सेवा' तथा 'भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा' जैसे उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों में इस सेवा की शुरुआत करें।
- ❖ **संरचनात्मक सुरक्षा:** कानूनी रूप से यह अनिवार्य करें कि तकनीकी आकलन और जोखिम मूल्यांकन आधिकारिक स्थायी रिकॉर्ड का हिस्सा हों।
- ❖ **गतिशील प्रोत्साहन:** प्रतिभा पलायन (Brain Drain) को रोकने के लिए प्रदर्शन-लिंक्ड वेतन और बाजार-प्रतिस्पर्धी वेतनमान लागू करें।
- ❖ **सहयोगात्मक प्रशिक्षण:** 'संपूर्ण सरकार' (Whole-of-Government) दृष्टिकोण विकसित करने के लिए LBSNAA (मसूरी) में IAS और ISS अधिकारियों के लिए संयुक्त आधारभूत कार्यक्रम आयोजित करें।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **वित्तीय स्वायत्तता:** ISS अधिकारियों को बहु-स्तरीय नौकरशाही अनुमोदन के बिना उच्च-जोखिम वाले स्वदेशी अनुसंधान के लिए अनुदान देने हेतु सशक्त बनाएं।
निष्कर्ष	भारतीय वैज्ञानिक सेवा का गठन भारत के एक औपनिवेशिक प्रशासनिक राज्य से आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शक्ति में परिवर्तन की "महत्वपूर्ण कड़ी" है। विशेषज्ञता को संस्थागत बनाकर और पेशेवर सत्यनिष्ठा की रक्षा करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि 'विकसित भारत 2047' की यात्रा वैज्ञानिक सुदृढ़ता और भविष्य-सुरक्षित नीतिगत लचीलेपन की नींव पर बनी हो।

Topic 8 - डिजिटल मीडिया नीतिशास्त्र (Digital Media Ethics)

Syllabus	Paper II | Administrative Ethics
संदर्भ	उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में डिजिटल रचनाकारों और पत्रकारों को एक ऐतिहासिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि "लोकतंत्र का चौथा स्तंभ" नियामक शून्य (regulatory vacuum) में काम नहीं कर सकता। सोशल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते "मीडिया ट्रायल" के बीच, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मानहानि या जबरन वसूली के आपराधिक दायित्व से बचने के लिए डिजिटल संचालकों को 'आचार संहिता' (Code of Ethics) का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
भारत में डिजिटल परिदृश्य (2026)	भारत में डिजिटल उपभोग का पैमाना इतना व्यापक है कि नैतिक निगरानी अब राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन गई है: ❖ **उपयोगकर्ता आधार:** भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.03 अरब को पार कर गई है, जिनमें से 80 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। ❖ **विश्वास की कमी:** 'रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2025' के अनुसार, केवल 36% भारतीय उपयोगकर्ता मीडिया पर भरोसा करते हैं, जिसका मुख्य कारण "क्लिकबेट" (Clickbait) और असत्यापित "ब्रेकिंग न्यूज" का प्रसार है। ❖ **कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना (SGI):** आईटी संशोधन नियम, 2026 अब 'डीपफेक' (Deepfakes) के नैतिक संकट से निपटने के लिए AI-जनित सामग्री पर लेबल लगाना अनिवार्य बनाते हैं।

नियामक ढांचा: डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने वाले कानून

भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र एक बहुस्तरीय कानूनी संरचना द्वारा शासित है:

विनियमन	मुख्य अधिदेश
आईटी नियम, 2021	त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र और पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन अनिवार्य करता है।
आईटी संशोधन नियम, 2026	मानहानिकारक सामग्री को हटाने की समय सीमा (takedown window) 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे करता है।
DPDP अधिनियम, 2023	डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है, नाबालिगों के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य करता है और बच्चों के लिए लक्षित विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता।
BNS (भारतीय न्याय संहिता)	डिजिटल मानहानि और संगठित जबरन वसूली के मामलों में आपराधिक अभियोजन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

<table>
<tr>
<td>नैतिक संहिता की आवश्यकता</td>
<td>
❖ चरित्र हनन की रोकथाम: डिजिटल गति अक्सर सत्य से आगे निकल जाती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मामले में, एक वायरल पोस्ट के कारण एक बैंक प्रबंधक को उस शिकायत के आधार पर निलंबित कर दिया गया था जो पहले ही वापस ली जा चुकी थी।
❖ वायरल गलत सूचना पर अंकुश: असत्यापित अफवाहें, जैसे 2025 में अनुभवी अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु की झूठी खबरें, जनता में भारी संकट पैदा करती हैं।
❖ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना: गलत लेबल वाली सामग्री वास्तविक दुनिया में हिंसा भड़का सकती है।
➢ उदाहरण: 2025 के उत्तरार्ध में, म्यांमार के वीडियो अनैतिक रूप से मणिपुर हिंसा के रूप में प्रसारित किए गए थे, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पैदा हो गया था।
❖ संवेदनशील समूहों का संरक्षण: नीतिशास्त्र नाबालिगों के द्वितीयक उत्पीड़न (secondary victimization) को रोकता है। अरुणाचल प्रेस क्लब (2025) को एक नाबालिग शोषण पीड़िता का अनैतिक साक्षात्कार करने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी।
❖ लोकतांत्रिक अखंडता: यह सुनिश्चित करना कि मतदाताओं को 2025-26 के राज्य चुनावों के दौरान भुगतान किए गए "एग्जिट पोल" या प्रचार के बजाय तथ्य प्राप्त हों।
</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियां</td>
<td>
❖ "क्लिक" आधारित अर्थव्यवस्था: विज्ञापन-संचालित मॉडल सनसनीखेज खबरों को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल पैपराजी अक्सर जुड़ाव (engagement) बढ़ाने के लिए संवेदनशील फुटेज (जैसे अस्पताल के वीडियो) लीक करते हैं।
❖ घोस्ट पोर्टल और गुमनामी: कई आउटलेट बिना किसी भौतिक पते या पंजीकृत संपादक के काम करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए व्हाट्सएप-आधारित समाचार समूहों को नोटिस देना मुश्किल हो जाता है।
❖ गति बनाम सटीकता का समझौता: खबर को सबसे पहले "ब्रेक" करने का दबाव तथ्यों की जांच (fact-checking) की अनदेखी का कारण बनता है।
❖ एल्गोरिदम का पूर्वाग्रह: 'एंगेजमेंट-आधारित रैंकिंग' अक्सर हाशिए की आवाजों को दबा देती है जबकि ध्रुवीकरण करने वाली सामग्री को बढ़ावा देती है।
❖ कमजोर स्व-विनियमन: उच्चतम न्यायालय (2025) ने मौजूदा जुर्माने को "दंतविहीन" (toothless) बताया है, क्योंकि सनसनीखेज खबरों से होने वाला लाभ कानूनी दंड से कहीं अधिक है।
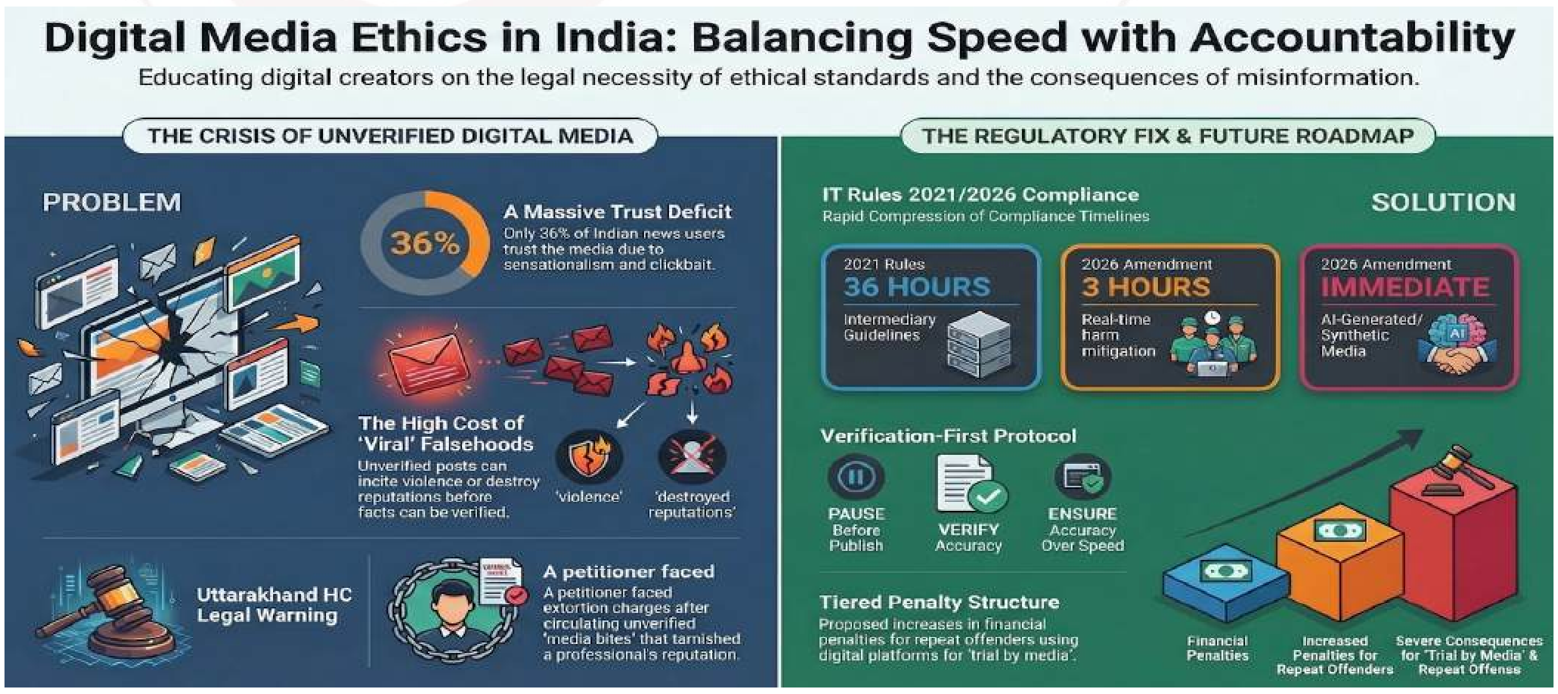

</td>
</tr>
<tr>
<td>आगे की राह: चौथे स्तंभ को मजबूत करना</td>
<td>
❖ अनिवार्य पंजीकरण: औपचारिक शिकायत ट्रेल सुनिश्चित करने के लिए सभी डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के पास पंजीकरण कराना चाहिए।
</td>
</tr>
</table>

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **सत्यापन-प्रथम प्रोटोकॉल:** निजी व्यक्तियों या आपराधिक आरोपों से जुड़ी सामग्री के लिए "प्रकाशन से पहले विचार" (pause before publish) नीति लागू करना। ❖ **AI-लेबलिंग और वॉटरमार्किंग:** वास्तविक फुटेज और कृत्रिम मीडिया के बीच अंतर करने के लिए 2026 के आईटी नियमों का सख्त प्रवर्तन। ❖ **स्तरीकृत दंड संरचना:** "अनैतिक पत्रकारिता" को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बनाने के लिए बार-बार अपराध करने वालों पर वित्तीय दंड बढ़ाना। ❖ **डिजिटल साक्षरता (जन आंदोलन):** नागरिकों को "घोस्ट न्यूज" की पहचान करने और NCPCR या MIB को अनैतिक सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए शिक्षित करना।
निष्कर्ष	जैसा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, "वाक स्वतंत्रता चरित्र हनन का लाइसेंस नहीं है।" डिजिटल मीडिया को लोकतंत्र का एक विश्वसनीय स्तंभ बने रहने के लिए अपनी अभूतपूर्व तकनीकी गति को सटीकता, निष्पक्षता और संयम के कालातीत गुणों के साथ समन्वित करना होगा।

Your Notes

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Our Programs

Courses designed according to new RPSC Pattern

Foundation
Connect Civils RAS

Offline + Online
Live from classroom
Weekly Test series
Daily DPP discussion
Prelims test and Que bank
Current affairs
12-14 Months duration

RAS FOUNDATION COMPLETE PACKAGE

RIPA Max
Connect Civils RAS

Complete Mains Course
Mentorship + Video Lectures + Notes
26 Mains Test + Discussion
Answer writing Sessions
20 Prelims test and Que bank
Current affairs
One stop solution for mains

RIPA MAX COMPLETE PACKAGE

RIPA Advance
Connect Civils RAS

Mentorship + Mains Notes
26 Mains Test + Discussion
Answer writing
Current affairs
20 Prelims test and que bank
Updated content

RIPA ADVANCE NOTES + TEST SERIES

Prelims
Connect Civils RAS

Complete Prelims Course
According to new syllabus
20 Prelims test
Que bank - 5000 questions
Current affairs
Duration - 90 Days
CLICK HERE

Integrated Test Series
Connect Civils RAS

26 Mains Tests and Solutions
Discussion & Detailed Feedback
Answer writing sessions
20 Prelims Tests
P□relims Question Bank
Live test discussions

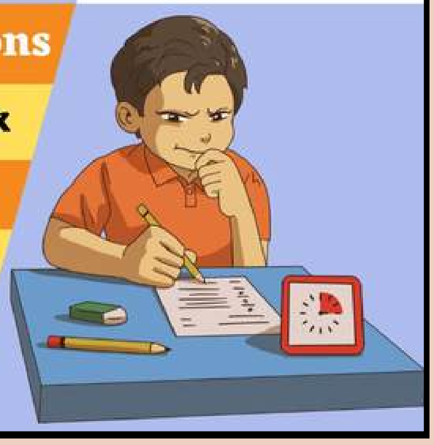

Prime Batch
Connect Civils RAS

RAS Mock Interviews
One to one guidance
Current Issues
Personalized content
Districts, College, Hobby, Jobs..
CLICK HERE

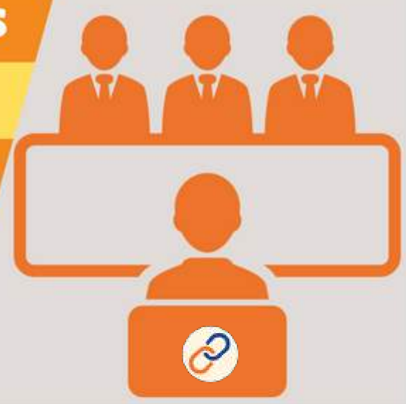

Connect Civils
RajRAS Ventures
In-app purchases
Uninstall Open

Download App

SCAN ME

8690222044 | Connect Civils RAS | Youtube Lecture

Study Material

Complete coverage of RBSE/NCERT/IGNOU/NIOS

Smart Strategy - Budget, Eco survey, PYQs analysis

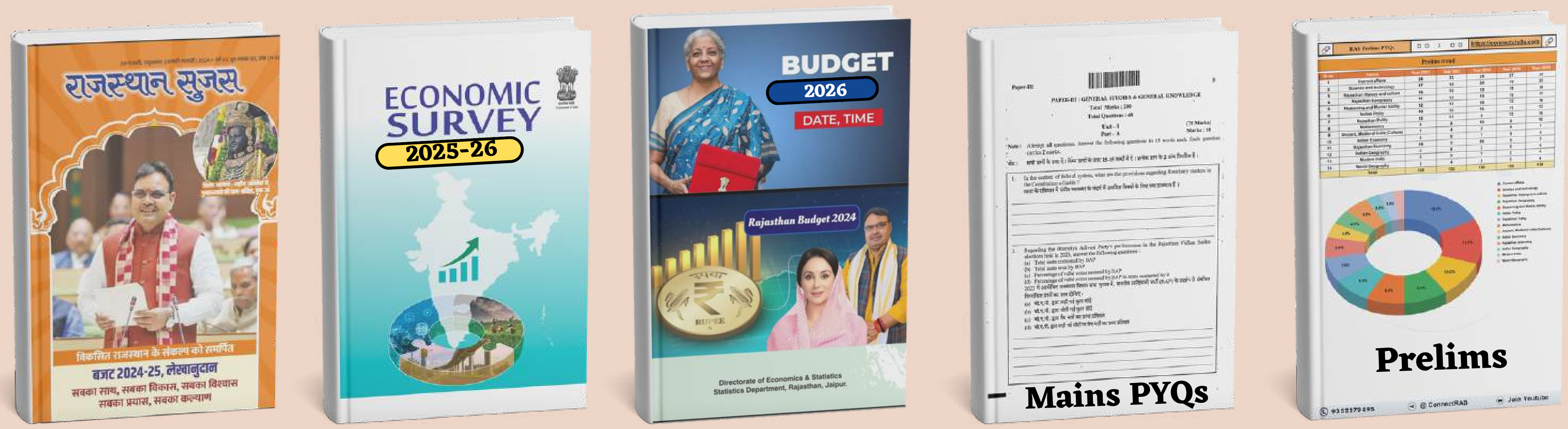

Visit the Connection center and feel the vibe

21/2, Gopalpura Bypass Rd,
VISHVAISARIYA NAGAR,
Jaipur, Rajasthan 302018

SCAN ME

8690222044 | Connect Civils RAS | Youtube Lecture